Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] चतुर्थ विधान सभा के सप्तम सत्र का २४ वां दिवस [संख्या २०

बुधवार, दिनांक १ अप्रेल, १९७०

विधान सभा की बैठक म. पू. ११-०२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री विजयसिंह (मकराना) : एक अप्रेल मुबारक हो ।

श्री अध्यक्ष : जिनको मुबारक है वह बाहर हैं । यहां सब सज्जन लोग बैठे हैं ।

श्री विजयसिंह : हुकुम ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न !

[गृह, राजस्व, विधि, विद्युत, उद्योग, समाज कल्याण, जन-स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन एवं सा. निर्माण विभाग]

प्रश्न संख्या ४३९

श्री प्रेमसिंह सिंघवी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा !

राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

४४०. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन सम्बन्धी मामलों में राज्य सरकार अथवा राजस्व मण्डल द्वारा गत ३ वर्षों में कितने राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? ऐसे अधिकारियों के नाम व अन्य विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कब से जांच विचाराधीन है और ६ माह से अधिक किन-किन मामलों में समय लगा और उसका क्या कारण है ?

(३) किन-किन अधिकारियों को ऐसे मामलों में गत ३ वर्षों से दण्ड किस रूप में दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) गत ३ वर्षों में ऐसे मामलों में अधिकारियों के अनियमित कार्य की सर्वप्रथम जानकारी किस तिथि को हुई और उसके विरुद्ध जांच किस तिथि को प्रारम्भ हुई ? विभागीय जांच आरम्भ करने में यदि कोई देरी हुई हो तो उसका कारण बताये जाने की कृपा करें ।

(५) क्या राज्य सरकार यह अनुभव नहीं करती कि आवंटन सम्बन्धी अधिकार जो नियमों के अन्तर्गत तहसीलदार को दिया गया है उसको बहुत दुरुपयोग हुआ है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार किसी अन्य अधिकारी को आवंटन सम्बन्धी अधिकार देना आवश्यक समझती है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए इसको स्थगित किये जाने की प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित। श्रीमती मदन-कौर !

श्री मूलचन्द डागा : इतना महत्त्वपूर्ण प्रश्न है उसका उत्तर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर !

श्री मूलचन्द डागा : कई महीनों से यह प्रश्न रखा है।

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): है भी काफी लम्बा !

पानी में फ्लोरीन के कारण बीमारी

४४१. श्रीमती मदन कौर (पत्रपदरा): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि पीने के पानी में फ्लोरीन के कारण आंत्रशोथ और लम्बागो जैसी बीमारियां होती हैं ?

(२) क्या रेगिस्तानी क्षेत्र के कुओं के पानी में फ्लोरीन अधिक होती है ?

(३) कितने प्रतिशत फ्लोरीन की मात्रा पीने के पानी में स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नहीं है ?

(४) क्या बाड़मेर जिले में नलकूपों और अन्य कुओं के पानी में फ्लोरीन की मात्रा का पता लगाया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या यह मात्रा स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है और राज्य सरकार फ्लोरीन की मात्रा कम करने की ओर क्या कदम उठा रही है ?

(५) यदि फ्लोरीन की पीने के पानी में मात्रा की जांच नहीं की गई है, तो क्या इसकी जांच करने की ओर कदम उठाये जा रहे हैं ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखा भाई): (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) १.५ पी. पी. एम. और उससे अधिक।

(४) इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की गई। प्रश्न ही नहीं उठता।

(५) यदि आवश्यकता हुई तो जांच कर ली जावेगी।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, खण्ड एक का उत्तर मिला जी नहीं, तो बीकानेर और बाड़मेर में यह लम्बागो और आंत्रशोथ की बीमारियां क्यों फैलती हैं ?

श्री भीखाभाई : यह टैक्निकल सवाल है, इसका मेडिकल डिपार्टमेंट ही जवाब दे सकता है। मेरी जानकारी है उसके अनुसार मैं निवेदन कर दूं, जहां तक पानी से बीमारी का सवाल है, और जो बीमारियां होती हैं। वह मकराना, गंगापुर और शिव-गंज के पास एवं बांका पट्टी में बीमारियां होती हैं, जो पानी से बीमारी होने वाली है वह बीमारी दांतों के अन्दर अथवा उसकी हड्डियों में होती है। फ्लोरीन से कमर झुकती है और पैरों में कमजोरी आती है, इससे अन्दाज लगाया जा सकता है। फ्लोरीन जो होती है पानी में उसका पी. पी. एम. १.५ के अन्दर रेश्यो आता है, उससे नीचे आता है रेश्यो तो उससे बीमारी नहीं होती है। ऊपर होने पर बीमारी होती है।

Page No 3

श्रीमती मदनकौर : खण्ड तीन में उत्तर दिया है कि कुछ मात्रा अधिक होने से नुकसान हो सकता है, तो क्या राजस्थान सरकार रेगिस्तानी क्षेत्र में कुओं के पानी में फ्लोरीन कितनी है इसकी जांच करना उचित नहीं समझती ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया, यह टेस्ट किया गया है, जैसा कि विभाग से उत्तर मिला है और जो मैंने विभागीय अधिकारियों से चर्चा की उससे पता लगा कि यह टेस्ट किया गया है, इसमें जांच करने की आवश्यकता नहीं है। दो तीन जगह पर, जैसा मैंने निवेदन किया, मकराना, गंगापुर और शिवगंज के पास पट्टी में यह बीमारी होती है। इसलिये इसकी जांच करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने यह भी निवेदन किया कि १.५ पी. पी. एम., जिसका मतलब हुआ, १.५ पी. पी. एम. में बीमारी की आशंका है, उससे नीचे होती है तो बीमारी नहीं होती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : बाड़मेर में कहां-कहां टेस्ट किया है ?

श्री भीखाभाई : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अलग से प्रश्न नहीं है। आपने कहा कि टेस्ट किया गया है तो आपके पास सूची होनी चाहिये।

श्री भीखाभाई : रेगिस्तान के बारे में पूछा है, रेगिस्तानी कुओं के पानी के बारे में पूछा है, वहां पर जांच की है उससे प्रिजम्प्शन है। अभी जहां पर टेस्ट किया गया उसमें इस प्रकार की चीज नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो मूल प्रश्न है जो प्रश्न माननीय सदस्या ने पूछा है उसमें मूल बात है कि इसकी जांच कराई है क्या ?

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मेन सवाल है, उसके नीचे के सवाल हैं वे मेन नहीं है। फर्स्ट में है, क्या यह सत्य है कि पीने के पानी से फ्लोरीन के कारण आंत्रशोथ और लम्बागो जैसी बीमारियां होती हैं ? इस कन्टेक्स्ट में मैंने जवाब दिया है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : इन गांवों के लिये पानी की क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री भीखाभाई : हमने टेस्ट किया है उससे मालूम हुआ है कि इससे बीमारी नहीं हो सकती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बाड़मेर जिले के अन्दर खराब पानी से बहुत मौत हुई है, आन्त्रशोथ से हुई हैं। मेरी मान्यता है कि पानी अधिक खराब होने के कारण ये बीमारियां हुई हैं। क्या राज्य सरकार उन कुओं के पानी का टेस्ट नहीं करायेगी ?

उप-मंत्री (श्री खेतसिंह) : कराया है।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : करा लेंगे।

श्री भीखाभाई : जैसा माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, उसमें आंत्रशोथ और लम्बागो बीमारी के बारे में कहा। उसका मैंने कैटेगरीकली जवाब दिया है कि ये बीमारीयां इससे नहीं होती हैं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है मंत्री महोदय....

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो प्रश्न किया है उसमें यह है, यदि फ्लोरीन की पीने के पानी में मात्रा की जांच नहीं की गई है, तो क्या इसकी जांच करने की ओर कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : क्या आप इस प्रश्न पर पानी का टेस्ट कराने को तैयार हैं? इस बीमारी से लोग मर न जायें।

श्री भीखाभाई : मैं टेस्ट कराने को तैयार हूं, जिस जगह के लिये कहें उस जगह करा लूंगा।

श्रीमती मदनकौर : मैंने प्रश्न में जिक्र किया है....

श्री भीखाभाई : एक दो जगह बता दीजिये, पूरे रेगिस्तान में करना तो कठिन है। स्पेसिफिक जगह बता दीजिये कि यहां करा लें तो जांच कराने को तैयार हूं।

श्रीमती मदनकौर : दस कुओं में से एक का करा लीजिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हजारों आदमी पिछले साल मरे हैं इसलिये आप कुओं के पानी की जांच अवश्य करायें।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह !

श्री विजयसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां इस प्रकार की बीमारी है उसके हल के लिये आप क्या कर रहे हैं ?

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब मैं इस वक्त देने की पोजीशन में नहीं हूं। क्या-क्या किया है, यह सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है। ऐसी हालत में क्या कह सकता हूं....

श्री अध्यक्ष : प्रयत्न किया जाय।

श्री भीखाभाई : मैं इसकी जांच करके पता कर लूंगा।

प्रश्न संख्या ४४२

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलानिया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४४३

श्री मजलिस खां !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री केदारनाथ !

ऊन की खरीद

४४४. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर राजकीय वूलन मिल में अब तक कुल कितने रुपयों का कच्चा ऊन, खरीदा गया ? यह ऊन किन-किन व्यापारियों से तथा सरकारी केन्द्रों से खरीदा गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) खरीदे गये ऊन में से दिसम्बर, १९६९ से अभी तक कितनी कच्ची ऊन और कितने रुपयों का ऊनी धागा मौजूद है ?

(३) अब तक कितने किलो ऊन बेचा गया तथा उससे कुल कितनी धनराशि मिल को प्राप्त हुई ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री प्रद्युम्न-सिंह) : (१) इस मिल में प्रारम्भ से अब तक कुल ४४,६४,३८६.७० रुपयों का ऊन

Page No 5

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
खरीदा गया। सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची 'ब' व 'स' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) दिनांक १५-३-७० तक कुल २,१२,९०८.८०० किलोग्राम धागा बेचा गया जिसका मूल्य ३६,४७,२०९.०० रुपये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री केदारनाथ : जो ऊन एक ही किस्म की आपने गवर्नमेन्ट एजेंसी से ली और व्यापारियों से खरीदो उसकी प्राइस में कितना वेरीएशन है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं निवेदन करदूं कि प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। जो ओपन मार्केट से, व्यापारियों से खरीदी है और गवर्नमेन्ट से ली है वह अलग-अलग लोट में खरीदी है इसलिये मैं अलग-अलग लोट को नहीं बता सकता, लेकिन I can give you assurance कि प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है।

श्री केदारनाथ : क्या यह सही है कि उसी किस्म की ऊन व्यापारियों से खरीदी उसकी कीमत कम पड़ी है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन समय-समय के ऊपर, अलग-अलग मौकों पर प्राइवेट व्यापारी से नेगोसियेशन करके ऊन खरीदी गई, लोगों से ओपन आक्शन से ली गई है। मेरे पास फीगर्स नहीं हैं लेकिन मैंने जानकारी की है। जब आपका प्रश्न आया तो मैंने अधिकारियों से जानकारी की है उसके आधार पर कह सकता हूं कि प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं है। मुझे यह बताया गया है कि फ्लक्चुएशन नहीं है प्राइस में जो ओपन मारकेट से खरीदी और गवर्नमेन्ट से खरीदी उसमें।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : मिल से ऊन खरीदने में क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है, क्या प्रक्रिया है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने आपसे कहा कि जो आर्डर निकाला गया है उसमें चार प्रकार के ऊन खरीदने के तरीके निकाले हैं:— "Purchase through agents appointed by the Government." लेकिन इस तरह से ऊन नहीं खरीदी। दूसरा तरीका है : "Purchase made in any auction," आक्शन के तरीके से गवर्नमेन्ट के शीप एण्ड वूल डिपार्टमेन्ट से जो ऊन आक्शन होती है, वूल ग्रेडिंग सेन्टर से वह खरीदी। तीसरा तरीका रखा है, प्राइवेट नेगोसियेशन का तरीका, मार्केट, मण्डियों या व्यापारियों से जो ऊन खरीदी जाती है उसके लिये कमेटी बनी हुई है, अधिकारी बात करते हैं और प्राइवेट नेगोसियेशन करके खरीदते हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : इसमें से कौनसा तरीका अपनाया है, कौनसा तरीका उपयुक्त है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : दोनों तरीके उपयुक्त हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : चार तरीके बतलाये, उनमें से उपयुक्त कौनसा है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग मौकों पर डिपेण्ड करता

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
है लेकिन दो तरीकों से खरीदी—वूल ग्रेडिंग सेन्टर से ग्राक्शन से खरीदी और प्राइवेट नेगोसियेशन से प्राइवेट लोगों से खरीदी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : पहले तरीके से कितनी और दूसरे तरीके से कितनी खरीदी ?

श्री हरजीराम बुरड़क : यह जो गवर्नमेंट से खरीदी उसको रेट ऊंची है और मार्केट से खरीदी उसकी रेट नीची है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने रेट पेश नहीं की हैं, मैंने क्वान्टिटी बताई है और कितना पैसा दिया है वह बताया है। रेट को मैंने निवेदन नहीं किया है।

श्री हरजीराम बुरड़क : उससे रेट मालूम हो गई, क्वान्टिटी और कुल पैसा दिया है वह बता दिया तो इससे साफ हो गया।

रेवेन्यू अपीलेट आॅथोरिटी

४४५. राजवी श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में रेवेन्यू अपीलेट आॅथोरिटी की कितनी पोस्ट्स हैं व उन पोस्ट्स पर कौन-कौन कार्य करते हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) बीकानेर व जोधपुर की अपीलेट आॅथोरिटी का हैडक्वार्टर कहां है और वह प्रतिमाह जोधपुर व बीकानेर में कितने-कितने दिन काम करते हैं। रेवेन्यू अपीलेट आॅथोरिटी के पास बीकानेर में कितने मुकदमात व जोधपुर में कितने मुकदमात जेर तजवीज हैं और उनमें एक साल से लेकर सात साल तक के कितने कितने मुकदमात व किस किस किस्म के जेर तजवीज हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) राजस्थान में रेवेन्यू अपीलेट आॅथोरिटी की चार पोस्ट्स हैं जिन पर निम्नलिखित अधिकारी कार्य कर रहे हैं:—

१.	श्री विशम्भरसिंह	जयपुर
२.	श्री एम० एन० कोल	कोटा
३.	श्री शुभकरण कविया	बीकानेर
४.	श्री सी० एव० पंचोली	उदयपुर

(२) बीकानेर व जोधपुर की अपीलेट आॅथोरिटी का मुख्यालय बीकानेर है। राजस्व अपील अधिकारी प्रति माह में १५ दिन जोधपुर व शेष दिन बीकानेर में कार्य करते हैं। इनके पास बीकानेर के ७१३ और जोधपुर सम्बन्धित १०२२ अर्थात् कुल १७२५ मुकदमात दिनांक ३१-१२-६९ तक जेर तजवीज थे। सन् १९६२ से ३१-१२-६९ तक के कितने कितने मुकदमे किस-किस किस्म के जेर तजवीज हैं उसकी सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

राजवी श्री रूपसिंह : यह जो आपने बताया कि अपीलेट आॅथोरिटी १५ दिन जोधपुर में और १५ दिन बीकानेर में काम करती है, तो क्या १ से १५ तारीख तक एक जगह काम करती है और १६ से ३० तक दूसरी जगह काम करती है, या सात दिन तक एक जगह और सात दिन दूसरी जगह, इस तरह काम करती है ?

श्री अध्यक्ष : १५ दिन कन्टिन्युग्रस या बेफर्ड ?

श्री गंगाराम चौधरी : इसकी अलग सूचना तो मेरे पास नहीं है

(विराम)

१५ दिन लगातार बैठते हैं।

राजवी श्री रूपसिंह : मेरे खयाल से लगातार नहीं है, और सात सात दिन बैठते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : लगातार है।

राजवी श्री रूपसिंह : आपने जो सूची दी है कि १७२५ केसेज पेंडिंग हैं तो क्या आप यह नहीं महसूस करते कि इतने केसेज डिस्पोज आफ करना एक आदमी के पॉवर से बाहर है और यह एक आदमी का काम नहीं है और दो आदमियों का है। तो जोधपुर और बीकानेर के लिये अलग अलग से अपीलेट आँथोरिटी हो, क्या आप ऐसा विचार नहीं रखते ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : बजट में आपने प्रावधान किया है कि एक रेवेन्यू अपीलेट आँथोरिटी की पोस्ट बढ़ायेंगे, वह कहां के लिये है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : खास तौर से अलवर में बढ़ायेंगे ।

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जयपुर के लिये। जयपुर में तीन हजार से ज्यादा केसेज हैं।

राजवी श्री रूपसिंह : जब एक आदमी की केपेसिटी से ज्यादा काम है तो एक आदमी कैसे पूरा कर सकता है।

श्री रामकिशोर व्यास : केपेसिटी से ज्यादा नहीं है, उनका डिस्पोजल कुछ स्लो है।

प्रश्न संख्या ४४६

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री शिवनाथसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दौलतराम सारण !

ट्राइबल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, उदयपुर की सर्वे रिपोर्ट

४४७. **श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सीमलवाड़ा एवं बिच्छीवाड़ा की सर्वे रिपोर्ट ट्राइबल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, उदयपुर द्वारा सन् १९६७-६८ में छपवाई गई थी ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह सही है कि उस मुद्रित प्रकाशन को राज्य सरकार ने वितरण करने से रोक दिया था क्योंकि सरकार की दृष्टि में सर्वे रिपोर्ट में आपत्तिजनक तथ्य थे ?

(३) इसके छपवाने में कितना खर्च हुआ था ?

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण (श्री विश्वम्भरनाथ जोशी) : (१) केवल पंचायत समिति सीमलवाड़ा की सर्वे रिपोर्ट ट्राइबल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, उदयपुर द्वारा वर्ष १९६७-६८ में छपवाई गई थी। प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं। पंचायत समिति बिच्छीवाड़ा का सर्वे नहीं किया।

Page No 8

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

(२) जी नहीं, रिपोर्ट का वितरण नहीं रोका गया।

(३) रिपोर्ट के दोनों भागों के छपवाने पर क्रमशः रुपये २७७४.४१ तथा ३५५७.३० खर्च हुए।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री विजयसिंह!

प्रश्न संख्या ४४८

भूतपूर्व शिक्षा सचिव का यात्रा व्यय

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, सम्बन्धित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, इसलिये मैं इस प्रश्न को नहीं पूछना चाहता।

श्री अध्यक्ष : Thankyou.

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : बहुत अच्छा।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल जेलिया!

सवाई माधोपुर जिले में भूमि एकीकरण कार्य

४४९. श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार-सु.) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि सवाई माधोपुर जिले में भूमि एकीकरण का कार्य चालू किया गया था? यदि हां, तो किस-किस तहसील में तथा किस तारीख को किया गया?

(२) क्या राज्य सरकार, जिन तहसीलों में भूमि एकीकरण का कार्य नहीं हुआ था अधूरा पड़ा है, वहां पर कार्य सम्पन्न कराने का विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक?

(३) क्या भूमि एकीकरण विभाग के विचाराधीन मामलों के निपटारे के लिये राज्य सरकार ने कोई योजना बनायी है?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जी हां, जिला सवाई माधोपुर में भूमि एकीकरण का कार्य आरम्भ किया गया था, वह भूमि एकीकरण का कार्य इस जिले की ४ तहसीलों, गंगापुर, महुआ, नादोती, बामनवास में हुआ था। तहसील गंगापुर में सन् १९५८ से १९६० में, तहसील नादोती में सन् १९६१ से १९६३ में, तहसील महुआ में सन् १९६० से १९६२ में, एवं तहसील बामनवास में सन् १९६१ से १९६२ में उक्त कार्य आरम्भ हुआ था।

(२) जिला सवाई माधोपुर में किसी भी तहसील का भूमि एकीकरण कार्य अधूरा नहीं है। जहां तक अन्य जगह कार्य आरम्भ कराने का प्रश्न है वह अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(३) भूमि एकीकरण सम्बन्धी विचाराधीन मामले, जो भूमि एकीकरण अधिकारी के पास थे उन्हें उस क्षेत्र का एस० डी० ओ० व भू-प्रबन्ध अधिकारी (भूमि एकीकरण) के पास की अपीलें उस जिले के जिलाधीश एवं उसके बाद में होने वाले रिवीजन केसेज् राज्य सरकार के अधिकार प्राप्त संचालक, भूमि एकीकरण, राजस्थान, जयपुर द्वारा निर्णीत किये जा रहे हैं व आगे किये जाते रहेंगे।

Page No 9

श्री चुन्नीलाल जेलिया : ये जो बाकी तहसीलें बची हुई हैं, उनमें कब तक एकीकरण कर लिया जायेगा ?

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण (श्री विश्वम्भर नाथ जोशी) : सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : कब एकीकरण करेंगे ?

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा-सु.) : उन्होंने पूछा है कि इन चार तहसीलों को छोड़ कर बाकी की तहसीलों में कब तक एकीकरण किया जायेगा ?

राजस्व मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : यह अभी विचाराधीन है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आपने जिले में सब जगह आरम्भ कर लिया बताया है, और फिर आप कहते हैं कि चार तहसीलों में, तो यह कैसे माना जाये कि आपने एकीकरण कर लिया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जहां तक अन्य जगहों पर कार्य आरम्भ करने का प्रश्न है वह राज्य सरकार के विचाराधीन है।

प्रश्न संख्या ४५०

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री नथमल चौहला।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४५१

श्री दिग्विजयसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४५२

श्री हरलालसिंह खर्रा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह शेखावत !

नगर विकास न्यास, जयपुर की स्वीकृत योजनाएं

४५३. श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में नगर विकास न्यास की स्थापना कहां-कहां व कब-कब हुई ? तथा उनमें अब तक किन-किन को सदस्य बनाया गया है ? नगर विकास न्यास के सदस्यों की सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

(२) जयपुर नगर विकास न्यास की स्थापना के बाद अब तक जयपुर में कितनी योजनायें बनायी गयीं तथा उनमें कितने-कितने भू-खण्ड आवन्टन, नीलामी तथा रिजर्व प्राइस पर लोगों को दिये गये हैं ?

(३) भू-खण्डों के आवन्टन से अब तक न्यास को कितनी आय हुई तथा विकास योजनाओं पर कितना व्यय किया गया ? वर्ष वार आय-व्यय की सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या यह सही है कि जयपुर नगर विकास न्यास ने योजनाओं को स्वीकृत योजना के अनुरूप विकसित नहीं किया तथा आरक्षित भू-खण्डो को नियम के विरुद्ध होते हुये भी रिहायशी प्लॉटों में विभाजित किया है ?

(५) यदि हां, तो अब तक न्यास ने किन-किन उप-नगरों में आरक्षित भू-खण्डों पर रिहायशी प्लॉट आवन्टित किये हैं ? जिन व्यक्तियों को आरक्षित भू-खण्डों पर प्लॉट दिये गये हैं उनके नाम, आवन्टन का वर्ष, उनके आवेदन की तिथि तथा भू-खण्डों की माप, भू-खण्ड की दर जो उनसे वसूल की

Page No 10

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गयी है, का विवरण कृपया सदन की मेज पर रखें।

(६) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास द्वारा आरक्षित भू-खण्डों पर किये गये रिहायशी प्लॉटों के आवन्टन के विरुद्ध लोगों ने राज्य सरकार को शिकायतें की हैं तथा कुछ मामलों में न्यायालय ने स्थगन आदेश प्रदान किये हैं ?

(७) यदि हां, तो अब तक किन-किन मामलों में राज्य सरकार अथवा न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिये गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। क्या इन मामलों में अन्तिम निर्णय हो चुका है ? यदि हां, तो क्या-क्या ? और नहीं हुआ तो किस स्तर पर विचाराधीन है ?

(८) अब तक सार्वजनिक उपयोग के लिये किन-किन संस्थाओं को कहां-कहां कितना-कितना भू-खण्ड निःशुल्क आवन्टित किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(९) क्या यह सही है कि इस प्रकार निःशुल्क आवन्टित किये जाने वाले भू-खण्डों की सुरक्षा तथा उसके सही उपयोग के प्रति आश्वस्त होने के लिये सम्बन्धित संस्थाओं की कार्यकारिणी अथवा संचालन समिति में न्यास द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि का होना अनिवार्य है ? यदि हां, तो उन संस्थाओं में प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों की सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री भीखा भाई) : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल बहुत लम्बा है, इसकी जानकारी लेने में....

श्री भैरोंसिंह : आपसे ज्यादा लम्बा तो नहीं है।

श्री भीखा भाई : इसलिये मैं इसका पोस्टपोनमेन्ट चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न और इस प्रकार के कई प्रश्न कई बार माननीय सदस्यों ने पूछे हैं और सरकार की ओर से उत्तर नहीं दिया जाता है। पिछले सत्र में भी नहीं दिया गया और उसके पहले वाले सत्र में भी नहीं दिया गया। ऐसा लगता है कि कुछ वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स इन्वाल्व्ड हैं और राज्य सरकार चाहती है कि उनके नाम सामने नहीं आये, और इसलिये इस प्रश्न को अवाइड किया जा रहा है। इसी तरह का अतारांकित प्रश्न भी एक माननीय सदस्य ने दिया था, उसके सम्बन्ध में भी जानकारी मिली है कि राज्य सरकार से उसका उत्तर नहीं आया और पोस्टपोन कराया। इस प्रश्न में कौनसी लम्बी बात है ? कुछ लोग ही इन्ट्रेस्टेड हैं जिनको इरेग्युलर भू-खण्ड एलॉट हुए हैं।

श्री भीखा भाई : माननीय सदस्य ने जो कहा वह ठीक नहीं है, निराधार है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर माननीय सदस्य या अध्यक्ष महोदय सही ढंग से देखें तो इतनी सूचियां मांगी हैं जो कि पुस्तकों और पोथों में ही दी जा सकती हैं। इसलिये मैंने निवेदन किया कि अगर अलॉटमेन्ट के बारे में चाहते हों तो वे अलग से पूछ लें तो....

श्री भैरोंसिंह : यह तो रूल्स में प्रावधान भीखा भाई जी, ऐसा लगता है कि क्वेश्चन को एक बार एडमिट कर लिया जाये, तो उसके लिये यह कहना कि लम्बा है, चौड़ा है या छोटा है, ये बातें खड़ी नहीं होतीं।

(श्री भैरोंसिंह)

फिर तो सरकार को केवल उत्तर ही देना है और उसके लिये १५ दिन का समय पर्याप्त है। मैं समझता हूं रूल्स की अनभिज्ञता के कारण ये कह रहे हैं कि लम्बा है, चौड़ा है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें निश्चित रूप से बताया जाये कि कब ले लेंगे? ये तो फिर कह देंगे कि लम्बा-चौड़ा है।

एक माननीय सदस्य : लम्बा नहीं, ठिगना है।

श्री अध्यक्ष : कन्टेम्प्चुअस।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, आप चेम्बर में देख लें, जितना समय आप दे देंगे....

श्री भैरोंसिंह : क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष : १५ दिन के बाद ले लेंगे।

श्री भीखा भाई : १५ दिन के बाद ले लेंगे। मैं निवेदन करूं कि एक बार मैं कह दूं और फिर उतने समय में उत्तर नहीं दे सकूं, इसलिये मेरा निवेदन है कि आपके चेम्बर में माननीय सदस्य के साथ बैठ कर इसको देख लें, फिर जैसा आप कहें।

श्री अध्यक्ष : (श्री भैरोंसिंह से) आपके चेम्बर में आ जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मेरे चेम्बर में या आपके चेम्बर में बैठने से क्या नतीजा निकलेगा?

श्री अध्यक्ष : आपके चेम्बर में बैठने के बाद तो नतीजा निकल ही जायेगा।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : तीन बार बार स्थगित हुआ है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। इस संबंध में मैं विवश हूं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी विवशता समझता हूं, पर मैं आपके अधिकार भी समझता हूं। आप मन्त्री महोदय को विवश करें उत्तर देने के लिये।

श्री अध्यक्ष : (श्री भीखा भाई से) क्या मैं आपको विवश कर सकता हूं?

श्री भीखा भाई : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अपनी विवशता आपके सामने निवेदन कर दी।

श्री भैरोंसिंह : क्या हुआ साहब?

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल बुरासिया!

श्री भैरोंसिंह : यह आ तो जायेगा?

श्री अध्यक्ष : मैं प्रयत्न करूंगा कि इसी सत्र में यह लिया जाये। आप भी मन्त्री महोदय तैयारी रखें।

श्री भैरोंसिंह : कौन से सत्र में?

श्री अध्यक्ष : इसी सत्र में।

प्रश्न संख्या ४५४

श्री देवीलाल बुरासिया!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया!

सूरतगढ़-हनुमानगढ़ के बीच की सड़क की मरम्मत

४५५. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा):** क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सूरतगढ़ व हनुमानगढ़ के बीच की सड़क जब से बनी है

Page No 12

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
तब से आज तक उस सड़क की मरम्मत नहीं करवाई गई ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़क की दशा अधिक खराब होने के कारण यातायात ठप्प हो गया था ? क्या इस सड़क में भारी गड्ढे पड़ जाने से यात्रियों को व बस चालकों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है ?

(३) क्या इस सड़क को नयी बनाने या इसकी मरम्मत करवाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक पूरी हो जावेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (१) मरम्मत करायी जाती रही है और कराई जा रही है।

(२) जी हां। सड़क को ठीक करा कर यातायात योग्य कर दी गई है।

(३) जी हां। रेल्वे विभाग, सूरतगढ़ फार्म और निर्माण विभाग सामूहिक तौर पर इस योजना पर विचार कर रहे हैं। निश्चित नहीं कहा जा सकता।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : इस सड़क की मरम्मत पिछले पांच वर्ष में कितनी बार की गई ?

श्री माधोसिंह : चार बार की गयी।

श्री दौलतराम सारण : कुल कितना व्यय हुआ चार बार में ?

श्री माधोसिंह : बारह लाख का खर्चा हुआ।

श्री दौलतराम सारण : १२ लाख रुपये जिस सड़क पर खर्च हो और उसकी हालत वही रहे जो पहले-पहले थी।

श्री माधोसिंह : मैं आपको यह सूचना दूं। आपको शायद जानकारी न हो। बार-बार फ्लड आता है और बार-बार यह सड़क टूटती है और उसको ठीक कराया जाता है।

श्री दौलतराम सारण : यह जानकारी है इसलिये कहता हूं। बार बार टूटती है लेकिन ठीक नहीं करायी जाती है। फ्लड के नाम से पैसा जेबों में चला जाता है। सड़क बनती नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार विचार रखती है कि लाखों रुपया खर्च होता है और सरकार कामयाबी प्राप्त नहीं कर सकती है, ऐसी जगह व्यय होता है तो जांच करायेगी ?

श्री माधोसिंह : खास बात लावेंगे ध्यान में तो जरूर करेंगे। साधारण बात है।

श्री दौलतराम सारण : इसको साधारण बात कहते हैं। १२ लाख रुपया खर्च हो चुका है तो क्या जानकारी करेंगे कि सड़क बनी भी है या नहीं ? बनी है तो कितनी दूर बनी है ? थोड़ी जानकारी तो करें।

श्री माधोसिंह : प्रयत्न किया भी जा रहा है। एक जगह डोला भी बनाया है। रेल्वे विभाग और सिंचाई विभाग भी काम करेंगे। उसमें जिस किस्म का काम होगा उसके लिये कोशिश की जा रही है।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस सड़क के नीचे पुल नहीं बनाने से यह बार बार बह जाती है।

Page No 13

श्री माधोसिंह : नया पुल भी बनाना है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : सही कौनसी बात है ?

श्री माधोसिंह : बात ही नहीं पूछी है।

श्री रामचन्द्र आर्य : पानी के लिये पुल बना दिया जाय और इसको ऊंचा कर दिया जाय तो हर साल जो पैसा खर्च करते हैं उससे बच सकते हैं लेकिन सूझ-बूझ की कमी के कारण सालाना सड़क टूटती है और लाखों रुपया साफ हो जाता है।

श्री माधोसिंह : कोई सूझ-बूझ की कमी नहीं है। यह तो कुदरत की बात है। माननीय सदस्य जानते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : कुदरत की बात है जब ही तो मंत्री बने बैठे हो।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : बार बार टूटती है तो बेकारों को निर्माण कार्य से बड़ी मदद मिलती है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह स्पेसिफिक इन्स्टान्स है। मैंने भी मौका देखा है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में विचार रखती है कि निष्पक्ष रूप से जांच कराये ? लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है।

श्री माधोसिंह : रिपेयर की जा रही है। रेल्वे विभाग और सिंचाई विभाग से बात की जा रही है। जहां पर डोला बनाना है वह बनायेंगे। केनाल को नीचे करना है वह करेंगे।

श्री दौलतराम सारण : यह विचार कितने वर्षों से किया जा रहा है ?

श्री माधोसिंह : आप मंत्री थे जब से किया जा रहा है ?

श्री दौलतराम सारण : मैं मंत्री था जब ही तो कह रहा हूं कि यह विचार कितने वर्षों से किया जा रहा है ?

श्री माधोसिंह : दो तीन दफा बाढ़ आ गयी है। तवज्जह दी जा रही है। आप मंत्री थे तब भी तवज्जह दे सकते थे।

(व्यवधान)

श्री दौलतराम सारण : आप जिम्मेदारी के साथ बात करें। मंत्री महोदय को अपने शब्द वापिस लेने चाहियें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हर साल वहां पर वन महोत्सव की तरह से फिजूल खर्ची होती है। आपा धापी हो उसको रुकवाया जाय। स्पेसिफिक प्रश्न है उस पर जांच कराने का विचार रखते हैं या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : सड़क में भारी गड़बड़ घोटाला हुआ है। मिट्टी और रोड़ी डाल दी जाती है। सड़क बनाने के नाम पर पैसा खा जाते हैं। लाखों रुपयों का घोटाला है।

श्री माधोसिंह : मेरी जानकारी में तो घोटाला नहीं है और माननीय सदस्य की जानकारी में हो तो बतायें।

श्री अध्यक्ष : सड़क है क्या ?

श्री माधोसिंह : सड़क है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मंत्री महोदय के साथ ऐसे सदस्य आये हुए हैं जो सदन के मेम्बर नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : कौन है ?

श्री मदनसिंह : वह है फर्स्ट एप्रिल।

श्री माधोसिंह : वह खुद ही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाह रहा हूं। मंत्री महोदय ने यह बताया ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अभी बहुत प्रश्न हैं।

परमवीर चक्र, महावीर चक्र आदि प्राप्त व्यक्तियों को सुविधायें

४५६. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान प्रान्त में किन-किन व्यक्तियों को परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी प्राप्त हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) राज्य सरकार द्वारा उनके या उनके वारिसों के प्रार्थना-पत्र देने पर क्या क्या सुविधायें नकद, सिंचित या असिंचित भूमि के रूप में किन-किन को किन-किन स्थानों में किस प्रकार प्रदान की गईं ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि श्री परतापा ड्राइवर, उत्तरी रेल्वे जोधपुर डिवीजन, निवासी बाड़मेर व श्री चेतनराम भूतपूर्व, पी० डब्ल्यू० आई० निवासी ग्राम खडीन, तहसील बाड़मेर को अशोक चक्र श्रेणी २ एवं अशोक चक्र श्रेणी ३ क्रमशः प्राप्त हुए? यदि हां, तो क्या उन्हें नकद एवं भूमि सिंचित असिंचित राज्य सरकार की ओर से प्रदान की गयी अगर नहीं तो देरी के क्या कारण हैं ?

(४) क्या राज्य सरकार उन्हें जल्दी से जल्दी नकद एवं भूमि के रूप में सुविधायें प्रदान कर उनके अधिकारों की रक्षा करेगी ?

राज्य मंत्री, गृह विभाग (श्री हीरालाल देवपुरा) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न रेवेन्यू से सम्बन्धित है इसलिये उनको स्थानान्तरित कर दिया गया है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह प्रश्न राजस्व विभाग से ही पूछा था।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामसिंह कुड़ी !

जायल तहसील में काबिल काश्त में परिवर्तित भूमि

४५७. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह जताने की कृपा करेंगे :—

जायल तहसील, जिला नागौर में तारीख-१-१-६७ से आज तक किस-किस गांव में कौन-कौन सा खसरा नम्बर व कितना-कितना रकबा किस किन प्रकार की क़िस्म जमीन से क़िस्म परिवर्तित कर किस-किस अधिकारी द्वारा उस भूमि को काबिल काश्त भूमि में परिवर्तित किया गया ? आदेश संख्या व तारीख सहित सूचना सदन की मेज पर रखी जाने की कृपा करावें।

Page No 15

उप-मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री रामसिंह कुड़ी : क्या इन गांवों में परिवर्तन किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री रामकुमार नंदवाना !

चित्तौड़गढ़ जिले की जल प्रदाय योजना

४५८. **श्री रामकुमार नंदवाना** (चित्तौड़गढ़) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चित्तौड़गढ़ जिले में किस-किस जगह जल प्रदाय योजना का कार्य चल रहा है और किस प्रगति पर है ?

(२) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिला एवं विजयपुर ग्रामीण जल प्रदाय योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई ?

(३) अर्बन एरिया की जल प्रदाय योजना जिले में कहां कहां चालू है और ग्रामीण जल-प्रदाय योजना कहां कहां किस स्टेज पर है, कब तक पूर्ण होने की संभावना है ? इस साल कितनी रकम उन पर खर्च की जा चुकी है ?

राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा): (१) निम्न योजनाओं पर कार्य निर्माणाधीन है:—

नगरीय जल प्रदाय योजनायें—

१. बड़ी सादड़ी।

ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं—

१. घोसुण्डा, २. कनेरा, ३. सावा, ४. बस्सी, ५. बेंगू।

कार्य प्रगति का विवरण संलग्न है।

(२) जी हां, धनाभाव के कारण योजनायें स्वीकृत नहीं की जा सकीं।

(३) अर्बन जल प्रदाय योजना जिले में निम्न जगह चालू हैं:—

१. चित्तौड़गढ़- २. निम्बाहेड़ा, ३. कपासन, ४. छोटी सादड़ी, ५. प्रतापगढ़।

स्टेटमेन्ट संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री रामकुमार नन्दवाना : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें अभी आपने बतायी उनमें से बस्सी जल प्रदाय योजना पर कितना खर्चा हुआ और उसकी क्या स्थिति है ?

श्रीमती सुमित्रा : कौनसी ?

श्री रामकुमार नन्दवाना : बस्सी !

श्रीमती सुमित्रा : बस्सी पर २,०६,००० रुपया कुल लागत होगी। १,६४, ४६१ रु० अब तक खर्च किये जा चुके हैं और मैं समझती हूं कि ये स्कीम्स मई और जून तक कम्पलीट हो जावेंगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : कपासन में पानी उपलब्ध नहीं है।

जयपुर शहर की सड़कों की मरम्मत का कार्य

४५९. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(१) क्या यह सत्य है कि किसी सड़क की चौड़ाई का कार्य नये कार्य में शुमार किया जाता है ? यदि हां तो जिला जयपुर में इस वर्ष और गत वर्ष में कौन कौनसी सड़कों पर इस प्रकार का कार्य किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह भी सत्य है कि उक्त सड़कों को मंजूरी अलग अलग से सड़क वाइज दी गई थी ? यदि हां तो कब कब किस किस अधिकारी द्वारा ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि जयपुर शहर की सड़कों की चौड़ाई का जो कार्य किया गया है उसकी अलग से सरकार की मंजूरी नहीं ली गई थी ? यदि हां, तो क्यों।

(४) क्या यह भी सत्य है कि जयपुर शहर की सड़कों की चौड़ाई का कार्य मरम्मत के हैड से खर्च करके किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(५) अल्पकालीन टेन्डर मांगने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

(६) जयपुर की उक्त सड़कों की चौड़ाई के कार्य के लिये कब टेन्डर मांगे गये थे और किस प्रकार से ठेका किस को दिया गया था तथा कितने रुपये इस कार्य में खर्च हुए ?

(७) क्या उक्त कार्य में ठेका देने, टेन्डर निकालने व स्वीकृति प्राप्त करने में सक्षम अधिकारियों की पूर्व स्वीकृति ली, गई थी ? यदि हां, तो कब-कब, किस किस से किस-किस कार्य की ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। काफी बड़ा लम्बा प्रश्न है, जितनी सूचना प्राप्त हो सकी उसे साइक्लोस्टाइल कराना चाहते थे।

श्री हरजीराम बुरड़क : जयपुर की सड़कों के बारे में सवाल है, कहीं दूर से उत्तर थोड़े ही लाना है। आप स्वयं इस प्रश्न को देख लें।

श्री नत्थीसिंह : साइक्लोस्टाइल खराब हो गया, नजर लग गयी क्या मंत्रीजी ?

श्री हरजीराम बुरड़क : जिस प्रश्न को टालना हो तो कह देते हैं कि उत्तर नहीं आ सका है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री हरजीराम बुरड़क : जयपुर से ही तो सूचना लेनी है ?

कोल्ड स्टोरेज की भूमि

४६०. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बूंदी जिले में गोविन्दपुरा बावड़ी पर निर्मित कोल्ड स्टोरेज ने काश्त भूमि पर बिना उसे आबादी में परिवर्तित कराये अनधिकृत रूप से भवन निर्माण कराया है ? अगर हां, तो कब व कितनी भूमि पर ?

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(२) क्या यह सही है कि तहसील से उन्हें लैन्ड रेवन्यू एक्ट के अधीन नोटिस दिये गये थे ? अगर हां, तो कब ? आगामी क्या कार्यवाही की गई ?

(३) क्या यह सही है कि कुछ भूमि आबादी में परिणत की गई ? अगर हां, तो, कब, कितनी व किस शर्त पर ?

राज्य मंत्री गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : अध्यक्ष महोदय इसका सम्बन्ध उपनिवेशन विभाग से है। इसलिये इसको स्थगित किया जावे।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। नेक्स्ट। श्री जयनारायण सालोदिया !

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : आज तीन सवाल ऐसे आये हैं जिनमें डिपार्टमेन्ट का नाम लेकर स्थगित किया गया है। अच्छा तो यह होगा कि, जैसे ही वह विभाग में पहुँचे वह विभाग सम्बन्धित विभाग को स्थानान्तरित कर दें ताकि इससे जवाब समय पर मिल सके।

श्री अध्यक्ष : जिस दिन विभाग में पहुँचे उस दिन ट्रान्सफर किया जाना उपयुक्त है। नेक्स्ट। श्री जयनारायण सालोदिया !

बनास नदी के पुल पर फाटक

४९१. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जयपुर-कोटा सड़क पर टोंक के पास बनास नदी के पुल के दोनों तरफ फाटक लगा रखे हैं ? यदि हां, तो कब से व क्यों, और उन पर हर साल कितना खर्चा किया जाता है ?

(२) क्या यह सच है कि यह दिल्ली-बम्बई रूट होने से इस पर काफी गाड़ियां हर समय आती जाती हैं और उन सब के नम्बर नोट कर के कन्डक्टरों या ड्राइवरों से हस्ताक्षर कराये जाते हैं इससे दोनों ओर के फाटकों पर काफी समय लग जाता है ? यदि हां, तो नम्बर क्यों नोट किये जाते हैं ?

(३) क्या यह भी सच है कि जयपुर से कोटा जाने वाली बसों को या अन्य गाड़ियों को बनास के दोनों फाटकों पर व नगरपालिका टोंक की दोनों ओर के फाटकों पर पन्द्रह-पन्द्रह मिनिट रुकना पड़ता है और इस प्रकार हर गाड़ी को करीब एक घंटा लेट होना पड़ता है जिससे सवारियों को परेशानी होती है, व जरूरी काम जैसे तारीख पेशियां आदि चूक जाती हैं ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार इस खर्च को बन्द करना चाहती है ? यदि हां, तो क्या यह बन्द कर दिया जावेगा और यदि नहीं तो क्यों ?

उप-मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (१) जी हां। जून १९६७ से एक तरफा ट्रैफिक लागू रखने के लिये फाटक लगाये गये हैं। लगभग २०,००० स्टाफ पर व्यय होता है।

(२) जी हां नम्बर व कन्डक्टरों के हस्ताक्षरों में लगभग २ मिनिट का समय लगता है। कार्यालय के रेकार्ड हेतु नम्बर नोट किये जाते हैं।

(३) बनास पुल बेरियर पर एक ओर रुकना पड़ता है जिस पर लगभग २ मिनिट का समय लगता है। नगरपालिका बेरियर की जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(श्री माधोसिंह)

(४) प्रश्न नहीं उठता। ट्रैफिक रेगूलेशन के लिये बेरियर्स का होना आवश्यक है।

श्री जयनारायण सालोदिया : इसके क्या कारण हैं ?

श्री माधोसिंह : यह पहले भूतपूर्व टौंक राज्य के समय में बनाया गया था और बीच में यह खराब हो गया था, क्रैक हो गया था। इसके बाद हमारे विभाग ने मरम्मत की और यह तय किया गया कि इस पर लोड नियमित रहे। और इस पर दो गाड़ियां एक साथ नहीं निकल सकें। इसीलिये बेरियर्स लगाये गये।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उस पुल पर से दो गाड़ियां निकल सकती हैं ?

श्री माधोसिंह : जी नहीं।

श्री जयनारायण सालोदिया : तब फिर फाटक क्यों लगाया गया ?

श्री माधोसिंह : फाटक नहीं होगा तो दो गाड़ियां आमने सामने हो जायेंगी तब एक को रिवर्स करना होगा। इसलिये एक फाटक खुलता है और गाड़ियां जाती हैं और उसके बाद दूसरा खुलता है और गाड़ी जाती है....

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या आप यह बता सकते हैं कि यह कब बना ?

श्री माधोसिंह : यह टौंक राज्य के समय बना।

श्री जयनारायण सालोदिया : तब से ही ट्रैफिक की यह व्यवस्था चली आ रही है ?

श्री माधोसिंह : यह पुल बना तब उस पर इतना हैवी ट्रैफिक नहीं था जितना आज है। उस समय इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियां नहीं थी। इसलिये यह करना पड़ा।

श्री अध्यक्ष : श्री ओमदत्त भाटी !

नगर विकास न्यास के अध्यक्षों को सुविधाएं

४६२. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुर, जोधपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अजमेर, बीकानेर, जयपुर व जोधपुर के नगर विकास न्यास के अध्यक्षों को क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं ?

(२) इन ऊपर की संस्थाओं के पास कितनी कितनी मोटर गाड़ियां हैं (अ) स्टाफ के लिये (ब) अध्यक्ष के लिये ?

(३) जोधपुर के भूतपूर्व अध्यक्ष के पास कितनी गाड़ियां थीं (अ) निजी काम के लिये (ब) अध्यक्ष के लिये ?

(४) जनवरी, १९६८ से १ जुलाई, १९६८ तक व १ जनवरी, १९६९ से १ जुलाई, १९६९ तक भाग (३) की गाड़ियों पर पैट्रोल पर कितना खर्च हुआ ?

(५) क्या यह सत्य है कि अभी नये अध्यक्ष के आने पर एक नई अम्बेसेडर गाड़ी खरीदी गई है ?

(६) क्या इसके खरीदने की इजाजत ली गई थी ? इसके खरीदने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

Page No 19

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भीखा भाई) : (१) अजमेर, बीकानेर, जयपुर व जोधपुर के नगर न्यासों के अध्यक्षों को निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं:—

(क) उपरोक्त न्यासों के नॉन-ऑफिशियल अध्यक्षों को ५००) रु० माहवार मानदेय (ओनेरेरियम) दिया जाता है तथा अजमेर, जयपुर व जोधपुर के ऑफिशियल अध्यक्षों को २००) रु० माहवार व बीकानेर के ऑफिशियल अध्यक्ष को १५०) रु० माहवार फीस (फी) के स्वरूप दिया जाता है।

(ख) नॉन-ऑफिशियल अध्यक्षों को उनके दौरे के समय यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता जो कि राजस्थान विधान सभा सदस्यों को मिलता है उसी दर से दिया जाता है।

(२) नगर न्यास में चालू गाड़ियां निम्न प्रकार हैं:—

(क) अजमेर न्यास में एक अम्बेसेडर गाड़ी है जो अध्यक्ष तथा अधिकारियों द्वारा न्यास के कार्य हेतु उपयोग की जाती है।

(ख) नगर न्यास, बीकानेर में १ जीप है जो अध्यक्ष व स्टाफ द्वारा न्यास के कार्यों हेतु प्रयोग में लाई जाती है।

(ग) नगर न्यास, जयपुर में मेम्बर अधिकारियों व स्टाफ के लिये एक जीप व एक स्टेशन वेगन है तथा अध्यक्ष के लिये एक एम्बेसेडर कार है।

(घ) नगर न्यास, जोधपुर में एक जीप व एक एम्बेसेडर कार है जो कि स्टाफ व अध्यक्ष द्वारा नगर न्यास के कार्य के लिये उपयोग में लाई जाती है।

(३) जोधपुर के भूतपूर्व अध्यक्ष के पास सिर्फ एक जीप गाड़ी थी जो कि अध्यक्ष व स्टाफ द्वारा नगर न्यास के कार्य के लिये उपयोग में लाई जाती थी।

(४) जनवरी, ६८ से १ जुलाई, ६८ तक जोधपुर न्यास की गाड़ियों के लिये २३७२ लीटर पैट्रोल खर्च हुआ है व १ जनवरी, ६९ से १ जुलाई, ६९ तक ३२२१ लीटर पैट्रोल खर्च हुआ।

(५) जी हां।

(६) जी हां। राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात् ही गाड़ी खरीदी गई थी। न्यास की भूमि पर अतिक्रमणों को रोकने एवं अनुसूचित जाति, जन-जाति व अल्प आय की बस्तियों के रेग्युलेराईजेशन करने तथा योजना में सफलता हेतु गति देने और योजनाओं के अन्तर्गत भूमि अवाप्त करने, ट्रस्टी को समय-समय पर मौका-मुलाहिजा हेतु एक गाड़ी से कार्य पूरा नहीं होता था। अतः एक गाड़ी और खरीदने की आवश्यकता महसूस की गई थी।

श्री ओमदत्त भाटी : अजमेर और बीकानेर में एक एक गाड़ी है और जोधपुर में दो गाड़ी इसके क्या कारण हैं? आपने जो कारण बताये हैं वे कोई खास कारण नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : वहां पर भी कर देंगे।

श्री ओमदत्त भाटी : मैं तो यह कहता हूं कि हवाई जहाज ही क्यों नहीं दे देते। यह तो आपके हाथ में है। दुःख की बात तो यह है कि जोधपुर में आई. ए. एस. ऑफिसर था तब एक ही गाड़ी थी और

Page No 20

(श्री ओमदत्त भाटी)

काम चलता था। अब एक एम्बेसेडर कार और दे दी। इसका क्या कारण ? यह तो पैसे का दुरुपयोग करना है। आपको मदद करना है तो पैसे से कर सकते हैं।

श्री भीखा भाई : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की व्यग्रता और उत्सुकता को मैं समझता हूं। लेकिन जो जो ट्रस्ट जैसी जैसी मांग करते हैं, उसके एक्सपेन्डीचर को देखते हुए उनके काम को नजर में रखते हुए, बजट प्रोविजन को देखते हुए उसकी स्वीकृति देते हैं और जगह से भी मांग आयेगी और उसका बजट में प्रोविजन होगा तो उसको भी स्वीकार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : यह लीजिये अब आप।

एक माननीय सदस्य : उनकी इच्छा तो हैलिकोप्टर में उड़ने की है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप उनको एम्पाला अवेलेबल करा दीजिये।

श्री भीखा भाई : एम्बेसेडर इसलिये दी गई है कि उनको शहर में घूमना पड़ता है। जीप और एम्पाला में पेट्रोल का कन्जम्पशन ज्यादा होता है। इसलिये जो मांग एम्बेसेडर के लिये रखी गई उसको स्वीकृत किया गया। और ट्रस्ट आटोनोमस बॉडी है वह तो स्वीकृति ही चाहते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : एम्पाला से ज्यादा आराम मिलेगा।

श्री ओमदत्त भाटी : आपने कहा कि एम्बेसेडर इसलिये दी गई कि उनको शहर में घूमना पड़ता है लेकिन वहां तो गलियां है जिसमें एम्बेसडर नही जा सकती। आपने तांगा क्यों नहीं दिया। यह जो कारण आपने बताये हैं वे फिजूल हैं आपको तांगा देना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष : जहां एम्बेसेडर नहीं चले वहां तांगे, गाड़ी का प्रावधान कर दीजिये।

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या सरकार फिजूल खर्चे को रोकना अच्छा नहीं समझती है ?

श्री भीखाभाई : मानती है। आवश्यकतानुसार उनके काम को देखते हुए, वर्क लोड को देखते हुए उनकी जो मांग होती है और बजट में प्राविजन होता है तो स्वीकार कर ली जाती है।

श्री अध्यक्ष : श्री गाड़िया !

बारां नगर में पटेल की हत्या

४९३. **श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां)** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि आज के कुछ मास पूर्व बारां नगर में पाटवा ग्राम के एक पटेल की हत्या दिन दहाड़े एक बोहरे की दुकान में हुई थी ?

(२) क्या यह सही है कि पुलिस घटनास्थल पर पहुँच गई थी और पुलिस ने लाश को कुए में से निकलवाया था ?

(३) क्या यह सही है कि पुलिस ने इस हत्याकांड के मामले को दर्ज करके लाश को चौराहे पर एक ठेले में से बरामद करने की कार्यवाही की है ?

(४) पुलिस ने इस हत्याकाण्ड में किस किस व्यक्ति की गिरफ्तारियां की हैं ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा):

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

पुलिस ने इस हत्याकाण्ड में सर्व श्री फकरुद्दीन पुत्र फजल हुसैन बोहरा, साकिन बारां व बदरुद्दीन पुत्र इस्ताकअली बोहरा को बन्दी बनाकर अभियोग का चालान तारीख २३-६-६९ को न्यायालय में पेश कर दिया है। जो दिनांक १५-७-६९ को सेशन्स में कमिट हो चुका है व अब वहां विचाराधीन है।

श्री देवीदत्त गाड़िया: क्या यह सच है कि जिस समय यह केस न्यायालय के सुपुर्द किया गया, न्यायालय ने अपने निर्णय में पुलिस के द्वारा एफ. आई. आर जो दर्ज की गई है उसको तोड़ मरोड़ कर फर्जी कार्यवाही करने के लिये स्ट्रिक्चर दिया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा: यह जानकारी मेरे पास नहीं है। केस कमिट हो चुका है।

श्री देवीदत्त गाड़िया: क्या यह सत्य है कि जो गवाह बनाये हैं उनके १६४ में बयान नहीं कराये हैं और उसके कारण अपराधी बच गये हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा: यह केस न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष: सब-जुडिस है। एवीडेंस पर नहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया: न्यायालय ने कमिट किया है कि पुलिस के जो गवाह हैं उनके १६४ में बयान नहीं होने के कारण अपराधी बच गये हैं। क्या इसकी सरकार को जानकारी है ?

श्री अध्यक्ष: सब-जुडिस है। जांच का कोई प्रश्न नहीं है। वहां से निकलने के बाद ही अपने आप जांच होगी।

ग्राम मोरासिम, भोदरा व बाकरा में पेयजल की व्यवस्था

४६४. श्री आईदानसिंह (भीनमाल) क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला जालौर के ग्राम मोरासिम, भोदरा व बाकरा में पेय जल हेतु जन सहयोग की वांछित धनराशि ग्रामवासियों द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध हो गई है ? अगर हां, तो कब ?

(२) क्या यह सही है कि अभी तक एक भी ग्राम में कार्य चालू नहीं किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि इसी जिले के ग्राम पाथेड़ी से राज्य सरकार को वांछित धनराशि से अधिक राशि उपलब्ध हुई है ? अगर हां, तो कितनी।

राज्य मन्त्री जन-स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा): (१) जी हां, भोदरा से फरवरी ६७ में, मोरासिम से जून ६७ में और बाकरा से अक्टूबर ६६ में।

(२) जी नहीं बाकरा जलप्रदाय योजना का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। बाकी दोनों योजनाओं का कार्य धन की उपलब्धि पर प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(३) जी हां, रु० ३६०० के मुकाबले रु० १५००० जन सहयोग द्वारा प्राप्त हुए हैं

श्री आईदानसिंह : आपको ६७ में धन उपलब्ध हो गया था फिर भी तीनों में से एक पर काम चालू हुआ । आपको सर्वे के बाद जितने धन की आवश्यकता थी वह उपलब्ध हो गया था तो काम चालू नहीं करने के क्या कारण थे ?

श्रीमती सुमित्रा : आपके ही यहां की केवल योजना नहीं थी ऐसी सैकड़ों योजनायें है जिनमें जन सहयोग से धन प्राप्त हो चुका है उसके बावजूद भी काम प्रारम्भ नहीं किया गया।

श्री आईदानसिंह : सैकड़ों ही नहीं लाखों रुपये इस तरह से जन सहयोग के नाम पर सरकार ने ले लिये क्या उसकी वसूली के लिये जनता पी० डी० आर में जाय या आपसे उसका पेनेल इन्ट्रेस्ट क्यों नहीं लिया जाय ?

श्रीमती सुमित्रा : इस तरह से जन सहयोग द्वारा धन लेने का एक क्राइटेरिया बना रखा है वाटर वर्क्स की स्थापना के लिये । जिस गांव के लिये वाटर योजना चालू करेंगे उनके लिये जन सहयोग की यह राशि जमा करानी होगी ।

इसके लिये कोई एग्रीमेन्ट नहीं हुआ कि रुपया जमा करा देंगे तो अविलम्ब कार्य कर देंगे ।

श्री आईदानसिंह : गारण्टी कोई नहीं तो क्या सरकार का मोरल ड्यूटी नहीं है कि ६६-६७ में जो रुपया जमा हुआ है जिसकी संख्या लाखों में है तो या तो उनके लिये वाटर वर्क्स का इन्तजाम किया जाय या उनको वापिस लौटाया जाय । पाथेड़ी में जो रुपया जमा हुआ है वह आपने सर्वे पर पैसा लगाया उससे कितना ज्यादा लिया है ?

श्रीमती सुमित्रा : मैंने उत्तर में निवेदन किया है कि ३९०० जमा कराना था उसके मुकाबले १५ हजार रुपया जमा हुआ पड़ा है।

श्री आईदानसिंह : तीन हजार नौ सो रुपया खर्च हुआ उससे ज्यादा जमा है वह क्या सरकार उन गांव के लोगों को वापिस लौटायेगी ?

श्रीमती सुमित्रा : यह थोड़े ही दिन पहले जमा हुये हैं ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है ।

श्री आईदानसिंह : क्या पाथेड़ी में आपकी योजना के मुताबिक पानी दिया जा रहा है ?

श्रीमती सुमित्रा : जी नहीं।

श्री आईदानसिंह : अध्यक्ष महोदय, जी हां पाथेड़ी में टैंक बनाया गया है वहां आपकी योजना के अनुसार पानी दिया जा रहा है। पुराना टांका जिसे होद कहते हैं उसकी दुरुस्ती करवाकर उसमें पानी डाल दिया गया है, छोटे-छोटे नल लगाकर लोग पानी ले रहे हैं इस योजना का काम तो चालू है ।

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखाभाई) : चिन्ता क्यों करते हो, काम जल्दी शुरू करा दिया जायगा।

श्री आईदानसिंह : जब आपका ४ हजार रुपया ही खर्च हुआ तो जो शेष ११ हजार बचा है उसे तो गांव वालों को लौटा दें ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, राज्य मन्त्री और मन्त्री महोदय झगड़ रहे हैं।

Page No 23

श्री दौलतराम सारण : राज्य सरकार इसको उचित समझती है क्या कि पहले धन-राशि उपलब्ध हुई जन सहयोग के नाम से उसका वर्षों तक उपयोग न हो और राज्य सरकार उसके लिये अपनी तरफ से धन उपलब्ध न कराये यह उचित समझती है ?

श्री मदनसिंह : (दांता रामगढ़) इस बारे में भविष्य में क्या नीति रहेगी ?

श्री भीखाभाई : बजट पर जो बहस हुई थी उस समय माननीय राज्य मन्त्री ने जवाब दिया था। इस साल में जिन योजनाओं के लिये जन सहयोग की राशि उपलब्ध हो गई है उस जगह के काम को हाथ में लिया जायगा वे सब शुरू हो जायेंगे।

श्री आईदानसिंह : पायेड़ी का जो ११ हजार रुपया बकाया है उसको वापिस कब तक लौटा देंगे। गरीबों का पैसा है बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करके दिया है।

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया काम जल्दी शुरू करा दिया जायगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : प्रश्न साफ है कि जो धन राशि आपने जन सहयोग से वसूल की है वह राशि आपने जो खर्च की है उससे ज्यादा है। जो राशि शेष बची है उस धन राशि को सरकार वापिस लौटाने का शीघ्रातिशीघ्र विचार रखती है ?

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, जो पांच प्रतिशत राशि जनता से ली गई है वह उन्होंने स्वेच्छा से दी है इसलिये उसको वापिस लौटाने का सवाल नहीं है। और जहां तक काम का सवाल है मैंने निवेदन किया जल्दी से काम हाथ में लेंगे।

श्री आईदानसिंह : वह कोई डोनेशन नहीं था उनसे कन्ट्रीब्यूशन के नाम पर लिया गया। वह छोटा सा गांव है गरीब लोगों की बस्ती है। पन्द्रह हजार में से चार हजार निकालकर शेष आप लौटाने की कृपा करेंगे।

श्री भीखाभाई : मैंने कह दिया है जो पांच प्रतिशत से अधिक रुपया जमा कराया है वह डोनेशन है। जबरदस्ती किसी से नहीं लिया गया है।

श्री आईदानसिंह : डोनेशन नहीं है जबरदस्ती लिया गया है।

श्री भीखाभाई : देखकर ही कह सकता हूं।

श्री मदनसिंह : माननीय मन्त्री महोदय, सैंकड़ों जगह से रुपया लिया गया है लाखों रुपया जमा है उसकी गारण्टी है। एक फार्म होता है उस पर लिखावट होती है। उसमें पाबन्दी होती है कि इतना रुपया जमा कराएंगे तो आपके गांव में नल योजना लागू की जायगी। यह गारण्टी है ?

श्री भीखाभाई : मैं कहता हूं राज्य सरकार इन्कार नहीं कर रही है वह योजना चलायगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : स्कीम मन्जूर होने के बाद ही जमा कराते हैं ?

श्री मदनसिंह : अगर आप यह कहते हैं कि गारण्टी नहीं है तो पांच सात गांवों ने रुपया जमा कराया उस रकम पर ब्याज कौन देगा ? लोग उधार ब्याज देकर रुपया लाये है या तो स्कीम शुरू करो या रुपया वापिस लौटाओ।

Page No 24

श्री भीखाभाई : जहां तक राजस्थान सरकार का सवाल है यह राज्य सरकार का संकल्प है कि राज्य सरकार को पेय जल की व्यवस्था करनी चाहिये। लेकिन बजट में किस प्रकार का प्रोविजन होता है उसके अनुसार ही हम बढ़ सकते हैं। जो रुपया जमा कराया गया है वह डोनेशन के रूप में है वह नहीं लौटाया जा सकता।

श्री मोहनलाल मोदी :(नीम का थाना) गारन्टी नहीं दे सकते तो पैसा जमा क्यों करते हो ?

श्री दौलतराम सारण : जनता से सहायता लेने के नाम पर उस समय तो स्कीम मन्जूर कर दी जाती है और बाद में काम शुरू नहीं किया जाता।

श्री भीखाभाई : हर्गिज नहीं है उसका रिवेल्यूएशन होता है कलेक्टर की सिफारिश होती है फिर रुपया जमा करते हैं।

श्री मदनसिंह : या तो आपको वह रुपया रिटर्न करना पड़ेगा या गारण्टी देनी पड़ेगी। यह रुपयों का मामला है तमाशा का नहीं हैं। गरीबों की कमाई है। उससे पैसा लेकर आप गारण्टी नहीं लें यह बात ठीक नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य स्थगित प्रश्न है और भी प्रश्न है मुझे दूसरे माननीय सदस्यों के प्रश्नों के लिये संघर्ष में आना पड़ता है।

स्थगित प्रश्न श्री राजस्व मन्त्री

(शोरगुल-व्यवधान)

मैं इस प्रश्न की विषमता के महत्व को समझ गया हूं इसको स्थगित किया जा सकता है या नहीं इस बारे मे जानकारी कर लूंगा।

श्री लाभचन्द्र वैद (सुजानगढ़) : दस दस साल पहले के पैसे जमा हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : स्कीम को मन्जूरी के पहले पैसे नहीं लिये जाने चाहियें।

श्री अध्यक्ष : मैं अपनी व्यवस्था इस पर दे रहा हूं। मैं मन्त्री से मिलकर जो इसका उत्तर आया है वह कहां अस्पष्ट है कहां अपर्याप्त है इसको देखकर मैं स्थगित करने का प्रयत्न करूंगा। (विराम)

यह कर दिया।

श्री मनोहरसिंह मेहता : ऑन ए पोइन्ट ऑफ आॅर्डर, सर।

मेरा ४६७ का प्रश्न है, उत्तर नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : यह पोइन्ट ऑफ आॅर्डर नहीं है। नो पोइन्ट आफ आॅर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : आसन की तरफ से जो आर्डर दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज आॅर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य : आसन की तरफ से जो आॅर्डर दिया जाता है वह हिन्दी में होना चाहिये। अंग्रेजी में नहीं।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, इस शब्द का हिन्दीकरण हो गया है। परम्पराओं के आधार पर हिन्दीकरण हो गया है। जैसे स्टेशन, सिगनल, प्लेटफॉर्म, लालटेन हो गये हैं।

Page No 25

स्थगित प्रश्न

१८-३-७०

तहसील किशनगढ़ और सरवाड़ की जमीन की श्रेणी

१९६. श्री सुमेरसिंह (किशनगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है राजस्थान टीनेन्सी नियम, १९६१ में तहसील किशनगढ़ और तहसील सरवाड़ की जमीन को प्रथम श्रेणी में रखा गया है जब कि जिला टोंक में मालपुरा व टोड़ा की तहसीलों की जमीन को तृतीय श्रेणी में रखा गया है ? यदि हां, तो मालपुरा व टोड़ा तहसीलों की किस्म जमीन, तहसील किशनगढ़ और सरवाड़ की तुलना में अधिक अच्छी होते हुए ऐसा वर्गीकरण किन नियमों के अन्तर्गत किया गया है ?

(२) क्या इसमें सीलिंग में असर नहीं पड़ेगा ?

(३) क्या इसकी दुरुस्ती हो सकेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

राजस्व उप-मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जी हां, यह सत्य है कि उक्त नियमों के अन्तर्गत तहसील किशनगढ़ और सरवाड़ को प्रथम श्रेणी में रखा गया है और तहसील टोड़ा रायसिंह व मालपुरा के कुछ ग्रामों को प्रथम श्रेणी में, कुछ ग्रामों को द्वितीय श्रेणी में व कुछ ग्रामों को तृतीय श्रेणी में रखा गया है। ऐसा वर्गीकरण उन्हीं नियमों में दिये गये आधारों पर ही किया गया है।

(२) यह वर्गीकरण सीलिंग क्षेत्र के निर्धारण हेतु तय किया गया है।

(३) इसमें दुरुस्ती करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : डिफ्रेंस होते हुए भी प्रथम श्रेणी में क्यों रखा गया ?

श्री गंगाराम चौधरी : प्रश्न के उत्तर में निवेदन कर दिया है कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट और फिक्सेशन ऑफ सीलिंग कानून ६१ में उनकी सीमा का प्रावधान किया गया है कि किन-किन आधारों पर यह वर्गीकरण होगा। उन्हीं आधारों पर वर्गीकरण किया गया है।

श्री मदनसिंह : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। इधर सवाल हो रहे हैं, उधर मन्त्री लड़ रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं हाउस को।

दोनों का कम्पीटीशन चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री गंगाराम चौधरी : वर्गीकरण करते हुए इस बात का ध्यान रखा गया था। फिजिकल, सोइल कण्डीशन, क्रॉप पैटर्न, ईल्ड और रेंट रेट।

श्री आईदानसिंह : जिस वक्त वर्गीकरण किया गया था बहुत से इलाके में उस समय चना और गेहूं बोया गया था, बरसात ज्यादा हो गई थी। पर बाद में १३ साल तक कुछ पैदा नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है ?

श्री गंगाराम चौधरी : इसमें तो एवरेज लिया जाता है। एक वर्ष में क्रॉप अच्छी हो तो और बाद में कई वर्षों तक न हो इससे वर्गीकरण गलत हो जावे, ऐसा नहीं हो सकता।

Page No 26

श्री बालसिंह सोढ़ा : सांचोर के क्षेत्र में एक चना भी पैदा नहीं होता जवाई बान्ध के बन्ध जाने के बाद।

श्री गंगाराम चौधरी : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

स्थगित प्रश्न
(२०-३-७०)

सवाई चक जमीन में किसानों के बाड़े

१८७. श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील टोडारायसिंह में कितने किसानों के बाड़े सिवाय चक में हैं?

(२) कितने किसानों के बाड़ों की रिपोर्ट तहसील में अतिक्रमण के लिये आई है?

(३) जिन बाड़ों की अतिक्रमण की रिपोर्ट आई है उनमें कितने बाड़े राजस्थान के बनने से पहले के हैं और कितने बाद के?

(४) जो बाड़े राजस्थान बनने से भी पहले के हैं उनको पुलिस के जरिये क्यों हटाया जा रहा है?

उप-मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) तहसील टोडारायसिंह में १०८४ किसानों के बाड़े सिवाय चक में हैं।

(२) ७४२ किसानों द्वारा सिवाय चक में बाड़े बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट तहसील टोडारायसिंह में आ चुकी है।

(३) राजस्थान बनने से पूर्व के बाड़े सवाई चक में दर्ज नहीं है। बरवक्त सेटलमेन्ट सभी पर्चा में आ चुके हैं।

(४) राजस्थान बनने से पूर्व के कदीमी बाड़ों को जरिये पुलिस नहीं हटाया जा रहा है। जिन किसानों द्वारा चरागाह या गैर-मुमकिन भूमि पर अतिक्रमण बाड़े निर्मित किये गये हैं उनसे बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री जगन्नाथ पटल : माननीय अध्यक्ष महोदयजी, मन्त्रीजी कह रहे हैं कि कोई बाड़ा नहीं उठाया जाता। पर मैं कहता हूं उठाये जा रहे हैं। इनका उदाहरण देने लगूं तो दो दिन लग जावें। एक आदमी का नाम लूंगा ईंटों के बाड़े के सम्बन्ध में, पंचायत सुखनिवासपुरा में खाती मूलचन्द का बाड़ा तहसीलदार ने हटाया है। और सेटलमेन्ट हुआ २२ के आसपास इसके बाद भी उसको मान्यता नहीं दी गई।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सच है?

श्री गंगाराम चौधरी : इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी करली जावेगी।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न पूछिये।

श्री जगन्नाथ : अध्यक्ष महोदयजी, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में नियम बन जाने के बाद भी तहसीलदार ने और पटवारी ने खातेदारों को इसकी सुविधा नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सच है?

श्री गंगाराम चौधरी : राज्य सरकार की ओर से निर्देश दिये जा चुके हैं कि बाड़े सिवाय चक या गैर-मुमकिन भूमि में हों और अगर पुराना कब्जा हो तो नियमन भी किया जा सकता है किसी सीमा तक।

Page No 27

श्री रघुनाथ विश्नोई : नहीं, अध्यक्ष महोदय, सैटलमेन्ट में दर्ज नहीं किया और बाड़े बहुत ज्यादा हैं ऐसे। इस बारे में स्पष्ट किया जाय कि राज्य की क्या नीति है ?

श्री जगन्नाथ : ये तो गरीब किसानों के बाड़े हैं, जो पटवारी और तहसीलदार उजाड़ देते हैं, किसी मिनिस्टर का होता तो उनको पता चल जाता।

श्री नरपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जैसा माननीय मन्त्री ने कहा सबके सब बाड़े बाद के हैं। पहले के हैं ही नहीं। पर मैं आश्वासन चाहता हूं सरकार से, जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि वे पुराने हैं तो क्या सरकार दुबारा इसकी जांच कराने को तैयार है ? और पुराने होंगे तो उनका नियमन किया जावेगा ?

श्री मोहनलाल मोदी : १०८१ सिवाय चक में बाड़े बताये गये इनमें ७४२ बाड़ों की रिपोर्ट आ चुकी है तो ३४२ बाड़ों का क्या हुआ ?

श्री गंगाराम चौधरी : पटवारी द्वारा धारा ९१ के तहत जो मामले होते हैं वे आते हैं। मैंने प्रश्न के उत्तर के भाग दो में कहा है ये आंकड़े वे हैं जिनके मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। टोडा तहसील में।

श्री जगन्नाथ : इन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष : अच्छा।

एक माननीय सदस्य : टोडा रायसिंह का प्रश्न नहीं है, सारे राजस्थान का मसला है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मामला है। इस पर गौर से विचार करना चाहिये। सारे राजस्थान में हर गांव में समस्या है, अधिकांश गांव जागीर में थे और बाड़े बने हुये हैं। सैटलमेन्ट हुआ है वह पुराने एरिया का सैटलमेन्ट हुआ है। जो आबादी बढ़ गई है उसको आगे नहीं काटा गया है और परिणाम यह हुआ है कि यह सारा अवैधानिक माना गया है। धारा ९१ के मुकदमे चूरू जिले में भी चल रहे हैं। इस प्रकार के हजारों मुकदमों के सम्बन्ध में आन्दोलन करना पड़ा है। पुराने कब्जों को ही माना है इसलिये मेरा निवेदन है राज्य सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये और जो वस्तुस्थिति है उसको स्पष्ट करना चाहिये।

श्री मदनसिंह : ६६ के बाद जिसके पास जमीन है तो क्यों नहीं आप दुरुस्ती करा देते हो ?

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मन्त्री) : कदीमी होने के कारण नियमन नहीं करते हैं।

श्री दौलतराम सारण : उनका इन्द्राज है ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय मेरा एक प्रश्न है ४६७ नम्बर का, बड़ी कृपा होगी अगर एक मिनिट के लिये आप उसे ले लेंगे।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकार लिया था।

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न समाप्त हुये। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकार लिया था।

श्री मनोहरसिंह मेहता : ५ मिनिट ज्यादा लगेंगे दोनों को मिलाकर, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री पृथ्वीसिंह !

स्थगित प्रश्न
२०-३-७०

भूतपूर्व जागीर कर्मचारियों की नियुक्तियां

२०१. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में कितने भूतपूर्व जागीरदारों एवं भूतपूर्व जागीर कर्मचारियों को तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के पद पर किन-किन तारीखों को नियुक्त किया गया और उनकी सीनियोरिटी किस आधार पर तय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त व्यक्तियों में से किन किन को पदोन्नति कब-कब की गई एवं उन्हें कब-कब स्थायी किया गया ? क्या इन्हें रिवाइज्ड वेतन श्रृंखला भी दी गई है ?

(३) क्या इनसे बाद में रखे गये नई नियुक्तियों वाले व्यक्तियों में से किसी ने उन्हें सुपरसीड करके पदोन्नति पायी है ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों ने और उनके क्या-क्या कारण थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) सूची संलग्न है। इनकी सीनियोरिटी राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स व जागीर रिजम्पशन (अब्जार्प्शन ऑफ जागीर एम्प्लॉइज) नियम, १९५४ के संशोधित नियम ३ व ५ के अनुसार बनाई गई है।

(२) उपरोक्त सूची में इसका भी विवरण दिया गया है। प्रत्येक कर्मचारी को रिवाइज्ड वेतन श्रृंखला दे दी गई है।

(३) ऐसे किसी भी व्यक्ति को पदोन्नति नहीं दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने जो सूची दी है उनके अनुसार १९५५ के एम्प्लॉइज हैं उनका प्रमोशन नहीं किया गया है और न उनको स्थायी किया गया है और उसके बाद के कुछ कर्मचारी थे, जिनको स्थायी भी कर दिया गया और पदोन्नति भी दे दी गई। इसका क्या कारण है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोई पहुंच होगी।

श्री गंगाराम चौधरी : जिनका अप्रूवल राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से नहीं हुआ है उनका स्थायीकरण भी नहीं हुआ है और न पदोन्नति दी गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह !

मांडलगढ़ तहसील क्षेत्र में नदियों के कारण आवागमन की असुविधा

४६७. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या मांडलगढ़ में नदियों के कारण पूरे क्षेत्र में बड़ी दिक्कत होती है

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
और ६ महीनों तक मोटरों तक का आवागमन रुक जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि कड़ाके की ठंड में भी खनास, खेरुच, कोठारी तथा मेनाली नदी में लोगों को पानी में होकर पैदल निकलना पड़ता है ?

(३) क्या हर वर्ष नदियों में पांच-सात जगह अस्थायी तौर पर कच्चा रास्ता बनाने की व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : अध्यक्ष महोदय इसकी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है इसलिये इसको स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

छबड़ा उप-क्षेत्र में डकैती एवं लूटमार के मामले

४३९. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले के छबड़ा उप-क्षेत्र में १ जनवरी, सन् १९६९ से १५ फरवरी, सन् १९७० तक काफी डकैतियां, लूटमार तथा बड़ी चोरियां हुई हैं ?

(२) उपरोक्त समय में कहां-कहां इस क्षेत्र में डकैतियां हुईं तथा कितना माल गया तथा इस क्षेत्र के निवासियों की डकैतों से किस प्रकार मुक्ति हो सकेगी ?

उत्तर

(१) कोटा जिले के छबड़ा उप-क्षेत्र में १ जून, १९६९ से १५ फरवरी, १९७० तक कुल १२ डकैतियां, १८ लूटमार तथा १७१ चोरी के मामले दर्ज हुए जिनमें कुल १,६७,२४०) रुपये के मूल्य का माल चोरी गया और कुल ७२,६९४) रुपये के मूल्य का माल बरामद किया गया।

(२) वांछित तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। इन डकैतियों और लूटमार की वारदातों की रोकथाम के लिये इस क्षेत्र में मध्यप्रदेश की सीमा पर ए. डी. एफ. पोस्ट्स तैनात की गई हैं तथा लगातार गश्त की जाती है। पूर्वी जिलों में एन्टी-डैकायती अभियान में तीव्रता व समन्वित तरीके से कार्यवाही करने की दृष्टि से एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को डी० आइ० जी० पी० ए० डी० एफ० के पद पर भी नियुक्त किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

पुलिस पैरोकार

४४२. श्री लादूराम सुलानियां (फागी) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राज्य सरकार अन्य प्रान्तों की तरह राजस्थान में भी पुलिस पैरोकार की सेवाएं पुलिस विभाग के अधीन न रख कर न्यायपालिका के अधीनस्थ रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(२) क्या यह सत्य है कि पुलिस पैरोकार का पद पुलिस विभाग के अधीन

(श्री लादूराम सुलानियां)
होने के कारण जनता को सुलभ न्याय प्राप्त नहीं हो पाता है ?

उत्तर

(१) यह मामला एक समिति को जिसके सदस्य विधि परामर्शी, महाधिवक्ता तथा गृह सचिव हैं, विनिर्दिष्ट किया गया है तथा उसकी जांच के अधीन है। उपविधि परामर्शी समिति के सचिव हैं। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, राज्य सरकार, इसकी सिफारिशों पर सम्यक् विचार करेगी तथा निर्णय लेगी। समिति को अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के लिये कहा जायगा।

(२) मौजूदा पद्धति न केवल इसी राज्य में, बल्कि अन्य राज्यों में भी पिछले कई वर्षों से प्रचलन में है। राज्य सरकार को इसके विरुद्ध कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सब-तहसील भवन पहाड़ी में बिजली की व्यवस्था

४४३. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पहाड़ी में बिजली होते हुए, सब-तहसील पहाड़ी भवन में बिजली सप्लाई नहीं होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार सब-तहसील भवन पहाड़ी को बिजली सप्लाई कराये जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी हां।

सब-तहसील पहाड़ी के भवन को बिजली देने के लिये सहायक अभियन्ता के कार्यालय में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। अतः अब तक बिजली उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

सहायक अभियन्ता, नवलगढ़ के विरुद्ध जांच

४४६. श्री शिवनाथसिंह (गुढा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि विद्युत् मंत्री झुन्झुनूं जिले में विद्युत् के सम्बन्ध में हुई मीटिंग में १४-४-६९ के आसपास पधारे थे तब तत्कालीन सहायक अभियन्ता विद्युत्, नवलगढ़ के खिलाफ शिकायतें पेश होने पर जांच का आदेश दिया था ? यदि हां, तो उस जांच का क्या हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि इन्हीं सहायक अभियन्ता के द्वारा प्रायोरिटी तोड़कर कनेक्शन दिये जाने का मामला सामने आने पर उप-मंत्री, विद्युत् ने विधान सभा के गत अधिवेशन में विधान सभा में जांच करवा कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था और जांच करने के आदेश भी दे दिये थे ? यदि हां, तो उस जांच का क्या हुआ ?

(३) क्या यह सही है कि विद्युत् बोर्ड के बड़े ऑफिसर उक्त सहायक अभियन्ता का पक्ष लेकर उन्हें बचाना चाहते हैं और इसलिये जांच नहीं की जा रही है ?

उत्तर

(१) जी हां, दिनांक १५-४-६९ को माननीय विद्युत् मंत्रीजी ने शिकायतों की जांच का मौखिक आदेश दिया था। उस

(श्री विद्युत् मंत्री)
शिकायतों की जांच अधिशासी अभियन्ता, सीकर ने की जिसके आधार पर तत्कालीन सहायक अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

(२) जी हां। जांच इस आश्वासन से पूर्व ही की जा चुकी थी, जिस पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

(३) जी नहीं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, जांच की जा चुकी है और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

लक्ष्मणगढ़ की जल योजना

४५. श्री नथमल चोहला (लक्ष्मणगढ़): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सीकर जिला अन्तर्गत कस्बा लक्ष्मणगढ़ की जल योजना की पाइप बिछाने का ठेका कब हुआ और किस-किस रेट में किस-किस कार्य का? ब्योरेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि ठेकेदार द्वारा बिछाई गई सारी पाइप में बाद जांच लीकेज पाया गया? यदि हां, तो क्यों?

(३) क्या यह सही है कि लीकेज वाली पाइप लाइन का कार्य विभाग द्वारा करवाया गया? यदि हां, तो इसमें मेटिरियल, लेबर और अधिकारियों का खर्चा कुल मिलाकर कितना हुआ?

(४) क्या यह सही है कि पाइप लाइन में लीकेज होने का यह कारण था कि ठेकेदार द्वारा एग्रीमेन्ट से सीसा कम दिया गया? यदि हां, तो कितना और फिर विभाग द्वारा कितना सीसा खर्च किया गया?

(५) क्या यह सही है कि पहले जो ठेकेदार द्वारा पाइप लाइन बिछाई गई उसकी समय-समय पर अधिकारियों द्वारा देखरेख नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(१) लक्ष्मणगढ़ जल प्रदाय योजना में पाइप लाइन बिछाने के लिये निम्नलिखित ठेके हुए:—

कार्य का नाम	ठेका कब हुआ	रेट
(अ) ४" से ३" की पाइप लाइन	१-१२-६६	शेड्यूल ऑफ रेट
(ब) ४" से ३" की पाइप लाइन	,,	,,
(स) ३" व २" की पाइप लाइन	१-१-६९ व २१-१-६९	,,
(द) ४" व २" की पाइप लाइन	२५-२-६९	,,

(२) जी हां, कुछ पाइन्ट लीकेज पाये गये। इसके कई कारण हैं। जैसे सीसे की ठुकाई ठीक न करना, काफी समय हो जाने के कारण अन्दर की सन खराब हो जाना, ए. सी. की पाइप लाइनों के नट बोल्ट का ठीक से नहीं कसा जाना, सीसे की कमी इत्यादि।

(३) जी हां, पाइप लाइन टेस्टिंग व ठीक कराने का लगभग पूर्ण कार्य विभाग द्वारा करवाया गया। इस पाइप लाइन टेस्टिंग में कुल मिला कर ४६५०.२२ रुपये खर्च हुए। यह राशि ठेकेदारों की जमा राशि में से काट ली जावेगी।

(जन-स्वास्थ्य मंत्री)

(४) पाइप लाइन लीकेज के कई कारणों में से सीसे की कमी भी एक है। कुल मिलाकर टैस्टिंग में करीब 8½% किलो सीसे की कमी थी, जो कि विभाग द्वारा पूरी की गई व इसकी कीमत ठेकेदारों की जमा राशि में से काटी जावेगी।

(५) जी नहीं, अधिकारियों द्वारा देखरेख की गई थी, प्रश्न ही नहीं उठता।

थाना नगर के अन्तर्गत डकैती की घटना

४५१. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जिला टोंक के थाना नगर के अन्तर्गत वर्ष १९६८ में एक डकैती हुई थी, जिसमें समस्त हरिजन परिवारों को लूट लिया गया था? यदि हां, तो इस लूट में कुल कितने का माल गया?

(२) क्या यह सही है कि पुलिस द्वारा अभी तक एक भी मुल्जिम गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं और हां, तो क्या कार्यवाही हो रही है?

(३) क्या यह सत्य है कि स्थानीय पुलिस को इस डकैती की सूचना दी जा चुकी थी फिर भी कोई व्यवस्था नहीं की गई?

उत्तर

(१) जी हां, इस डकैती में करीब १० सेर चांदी के जेवर व ५३) रु० नकद लूटे गये थे। कुल लूटे गये माल की कीमत ३२५३) रु० है।

(२) जी हां, अभी तक कोई मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुआ है। जहां तक पुलिस द्वारा कार्यवाही करने का सम्बन्ध है पुलिस ने भरसक प्रयास किया और मध्य प्रदेश तक छानबीन और मुल्जिमान की तलाश की लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल सकी है। प्रयास जारी हैं।

(३) जी नहीं, यह गलत है। पुलिस को इत्तला मिलते ही फौरन कार्यवाही अमल में लाई गई।

ग्राम मुडरू में कुओं पर बिजली

४५२. श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि आर. एस. ई. बी. द्वारा नये ग्राम स्वीकृत करने पर कुओं की संख्या, पानी की गहराई आदि का ध्यान रखकर प्राथमिकता देती है?

(२) क्या इस संबंध में जिला कृषि उत्पादन समितियों को आदेश व सलाह दी गई थी? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) ग्राम मुडरू, तहसील श्री माधोपुर में कुओं की संख्या कितनी है व पानी की गहराई क्या है? क्या यह ग्राम इलेक्ट्रीफाइड स्वीकृत कर दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(१) विद्युतीकरण हेतु ग्रामों का चयन करते समय और अनेकों बिन्दुओं में से यथा वर्तमान ट्रांसमीशन लाइन से ग्राम की दूरी, अनुमानित व्यय, पुनर्प्राप्ति आदि-आदि के

(विद्युत् मंत्री)

साथ कुओं की संख्या आदि का ध्यान भी रखा जाता है। कुओं की गहराई सर्वेक्षण प्रतिवेदन में नहीं दिखाई जाती है।

(२) जिस पत्र द्वारा सलाह मांगी गई थी उसकी प्रति 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) ग्राम सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर इस ग्राम में, जिसके विद्युतीकरण का अनुमानित व्यय ३.२५६ लाख आता है, ८० कुएं हैं। कुओं की गहराई के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

इसके विद्युतीकरण में अत्यधिक अनुमानित व्यय होने के कारण इसे अभी स्वीकार नहीं किया जा सका है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

खण्ड-मण्डलाधीश, केकड़ी के पास विचाराधीन मामले

४५४. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अजमेर जिले के उप-खण्ड केकड़ी में खण्ड-मण्डलाधीश के न्यायालय में राजस्व मुकदमे व क्रिमिनल मुकदमे कितने अर्से से पेंडिंग पड़े हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह सही है कि केकड़ी खण्ड मण्डलाधीश के पास कार्य अधिक होने से नागरिकों को समय पर न्याय उपलब्ध नहीं हो सकता और परेशानियां उठानी पड़ती हैं।

(३) क्या राज्य सरकार खण्ड मण्डलाधीश के कार्य की अधिकता को मद्दे नजर रखते हुए केकड़ी में सहायक जिला मजिस्ट्रेट ए. डी. एम. का पद कायम कर ए. डी. एम. नियुक्त करेगी, जिससे जनता को समय पर न्याय उपलब्ध हो सके और परेशानियों से बच सके।

उत्तर

(१) खण्ड मण्डलाधीश, केकड़ी के न्यायालय में दिनांक १५-१-७० को ४२२ मुकदमे राजस्व के तथा ३१० मुकदमे फौजदारी के निम्न अवधि के पेंडिंग थे जिनकी अवधि संलग्न सूची में दर्ज है।

(२) जी नहीं। यह बात अवश्य है कि उप-खण्ड मण्डलाधीश के पास कार्य की अधिकता व अकाल राहत कार्य के कारण मुकदमों के निर्णय में कुछ देरी हो सकती है। खण्ड मण्डलाधीश के पास राजस्व व फौजदारी मुकदमों के कार्य के अतिरिक्त प्रशासन सम्बन्धी (इन्तजामी) कार्य होते हुये भी अभियोग की संख्या अधिक मात्रा में होने के कारण ही सप्ताह में चार दिवस मुकदमातों सुनवाई हेतु नियुक्त कर रखे हैं। उक्त दिनों में न्यायालय के मुकदमात शीघ्र निर्णीत करने का प्रयत्न किया जाता है।

(३) केकड़ी खण्ड मण्डलाधीश के पास कार्य की अधिकता होने से इस उप-खण्ड में एक सहायक जिलाधीश एवं दण्डनायक की नियुक्ति करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सपोटरा क्षेत्र में डकैती के मामले

४८१. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि सवाई माधोपुर जिले के करौली, सपोटरा क्षेत्र में डाकुओं द्वारा आये दिन डाका डाला जा रहा है ?

Page No 34

(श्री श्रवणलाल)

(ख) यदि हां, तो सरकार भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

उत्तर

(क) जी नहीं, यह गलत है। पिछले दो सालों में सपोटरा क्षेत्र में एक भी डकैती नहीं हुई। करौली क्षेत्र में पिछले दो सालों में केवल एक डकैती दिनांक १५-२-७० को हुई थी जिसके मुल्जिम पकड़े गये हैं और आगे की तफतीश चालू है।

(ख) राजस्थान के पूर्वी जिलों में डकैतों के उपद्रव को रोकने के लिये राज्य सरकार प्रयत्नशील है। इस क्षेत्र में आर० ए० सी० की टुकड़ियां नियुक्त हैं, गश्त का माकूल प्रबन्ध जारी है, पुलिस वायरलेस के अधिक स्टेशन खोले गये हैं, जिससे कि पुलिस को बदमाशान आदि की शीघ्र सूचनाएं मिलती रहें। हाल ही में इस क्षेत्र में एन्टी-डेकायटी अभियान को अधिक तीव्रता से प्रारम्भ करने व इस कार्य को समन्वित तरीके से किये जाने के उपलक्ष्य से डीवाई० आई० जी० पी० (ए० डी० एफ०) की भी नियुक्ति की गई है।

थाना लाडनूं में दर्ज मामले

४८२. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सी० आर० नं० ८०, ८३, ८७, ८६, ८१ सन् १९६८ थाना लाडनूं में दायर मुकदमों में थानेदार लाडनूं ने क्या कार्यवाही की ?

(२) उक्त मुकदमों में थानेदार द्वारा कार्यवाही गलत करने के सम्बन्ध में पुलिस के उच्च अधिकारियों को प्रार्थियों द्वारा कब-कब प्रार्थना-पत्र दिये गये और उन प्रार्थना-पत्रों पर क्या-क्या आदेश थानेदार, लाडनूं को कब-कब दिये गये और उन आदेशों का पालन कहां तक थानेदार, लाडनूं ने किया ?

(३) मुकदमों में गलत कार्यवाही करना और उच्च अधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना करने के सम्बन्ध में उक्त थानेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(४) क्या उक्त मुकदमों में किसी उच्च अधिकारी ने जांच की ? यदि हां, तो किस केस में और उक्त जांच में थानेदार द्वारा की गई कार्यवाही सही सिद्ध हुई या गलत ? यदि गलत सिद्ध हुई तो थानेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(५) क्या यह भी सही है कि केस नं० ८० में थानेदार ने जो उनको एफ० आई० आर० दी थी उनको बदल कर अपनी मर्जी से दूसरी एफ० आई० आर० ले ली ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) थानेदार लाडनूं में मुकदमा नं० ८० और ८३ सन् १९६८ में बाद तफतीश अदालत में चालान पेश कर दिया था जो अभी तक जेर तजवीज है। मु० नं० ८७ में बाद तफतीश एफ० आर० 'अदम वकूआ' दे दी तथा मुकदमा नं० ८६ को दफा १५७ बी. जा० फौ० के तहत अदम तफतीश रखा। मु० नं० ८१ थानेदार के पास जेर तफतीश था।

(गृह मंत्री)

(२) इस सम्बन्ध में अ० आरक्षी, नागौर के कार्यालय में श्री मनसुखलाल, नि० लाडनूं की दरख्वास्तें दिनांक ६-७-६८, १७-१०-६८ २२-११-६८, २६-११-६८ और २७-१२-६८ पेश होने पर एस० एच० ओ० व सी० ओ० लाडनूं को सही ढंग से तफतीश कर नतीजा देने के आदेश दिये गये। इस दौरान श्री मनसुखलाल की शिकायत पर महा निरीक्षक आरक्षी, राजस्थान ने मुकदमात नं० ८१, ८७, ८६ वास्ते तफतीश राज्य अपराध शाखा में स्थानान्तरित कर दिये। मु० नं० ८१ में ता० २४-४-६६ को एफ० आर० अदम वकूआ दी गई तथा मु० नं० ८७, ८६ का दिनांक २७-१२-६६ को अदालत में चालान कर दिया गया जो अभी तक जेर तजवीज हैं। थानेदार, लाडनूं ने अधीक्षक, आरक्षी मण्डल, नागौर के आदेशों का पालन सही तरीके से नहीं किया।

(३) थानेदार, लाडनूं द्वारा मु० नं० ८७, ८६ की तफतीश बिगाड़ने व गलत तरीके से करने के आरोप में दिनांक ४-६-६६ को अधीक्षक आरक्षी, नागौर को उसके विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दिये जा चुके हैं।

(४) राज्य अपराध शाखा के अधिकारी ने मु० नं० ८१, ८७ व ८६ में तफतीश की। मु० नं० ८७ ८६ में थानेदार, लाडनूं द्वारा की गई कार्यवाही गलत पाई गई और उसके विरुद्ध दिनांक ४-६-६६ को विभागीय जांच के आदेश दिये गये।

(५) इस सम्बन्ध में सी० ओ०, डीडवाना द्वारा जांच करवाई गई तो थानेदार के विरुद्ध प्रथम एफ० आई० आर० को बदल कर अपनी मर्जी से दूसरी एफ० आई० आर० लेने के आरोप गलत पाये गये। अतः इस सम्बन्ध में थानेदार के खिलाफ कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

केकड़ी क्षेत्र में लघु उद्योग

४८३. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) केकड़ी नगर एवं केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में क्या क्या लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग लगे हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) उन उद्योगों को क्या क्या माल सप्लाई किया जाता है और उनका कितना-कितना कोटा है?

(३) उनके संचालकों या संस्थाओं को उद्योग विभाग से कितना-कितना ऋण किन-किन को दे रखा है? सूची सदन में रखें। क्या जो ऋण दिया गया है उनसे सम्बन्धित सब उद्योग चल रहे हैं?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) विभाग द्वारा कोई नियमित अथवा निश्चित कोटा नहीं दिया जाता है।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

जी नहीं। केवल तीन उद्योग चल रहे हैं जिनका विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

Page No 36

सेण्डस्टोन पर रायल्टी की वसूली

४८४. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राज्य में किस किस जिले में सेंडस्टोन की किस-किस दर से रॉयल्टी वसूल की जाती है? कृपया तालिका प्रस्तुत करें।

(ख) जिलों में इस रॉयल्टी में यदि अंतर है तो उसके क्या कारण हैं?

उत्तर

(क) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

तालिका में अंकित रेट्स भूतपूर्व रियासतों के अनुसार प्रति मोटर एवं प्रति-टन के हिसाब से चालू रखी गई है। उक्त अन्तर का कारण भूतपूर्व रियासतों में प्रचलित दरों के ढांचे में एकदम परिवर्तन न कर इस अन्तर को धीरे-धीरे परिवर्तन करके समानता लाना है जिससे कि स्थानीय खनिज उद्योग पर हानिकारक असर न पड़े और न राज्य में राजस्व की हानि हो।

(ख) सवाई माधोपुर, भरतपुर व कोटा जिलों में दरों के अन्तर का कारण खानों के माल की क्वालिटी एवं बिक्री केन्द्रों से रेल-सड़क इत्यादि से दूरी एवं अन्य स्थानीय कारण हैं।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

बूंदी जिले में कुओं पर बिजली

४८५. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला बूंदी में अब तक बूंदी, नैनवां, पाटन तथा हिन्डोली तहसीलों में कृषि के कुओं के लिये कितने-कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) जिला बूंदी में तहसील नैनवा के ग्राम-करवर व अन्य तहसीलों में कौन-कौन से गांवों का विद्युतीकरण सर्वे का कार्य कब-कब हो चुका और किन-किन गांवों का सर्वे करना अब शेष है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) जिला बूंदी में कृषि कार्य के लिये कुओं पर भविष्य में कौन-कौन सी तहसीलों में विद्युतीकरण करने की राज्य सरकार की योजना है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) विद्युतीकरण किये गये गांवों के अलावा वे ग्राम जिनका सर्वे किया जा चुका है, उनकी सूची 'बी' सदन की मेज पर रख दी गई है। जिले के बाकी गांवों का सर्वे नहीं हुआ है।

(३) अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

बीकानेर जिले में कुओं पर बिजली

४८६. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर जिले में सिंचाई के लिये कुल कितने काश्तकारों को कुओं पर बिजली दे दी गई है?

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

(२) क्या यह सत्य है कि बीकानेर जिले में सिंचाई के कुओं पर बिजली लेने के प्रार्थना-पत्र बाकी काश्तकारों ने और भी दे रखे हैं? यदि हां, तो क्या खेती के लिये बिजली देने का सरकार इरादा रखती है? यदि हां, तो इन लोगों को कब तक बिजली दे दी जायेगी?

उत्तर

(१) बीकानेर जिले में अब तक कुल १२ काश्तकारों को कुओं पर बिजली दे दी गई है।

(२) बीकानेर जिले में कृषि कुओं पर बिजली लेने हेतु कुल १७ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से १२ कुओं पर कनेक्शन दिये गये हैं। एक काश्तकार ने अनसेंक्शन्ड ग्राम के कुएं के लिये अर्जी दी और एक दूसरे काश्तकार ने कनेक्शन लेने से इन्कार कर दिया। अतः इन दोनों प्रार्थना-पत्रों को फाइल कर दिया गया। दो अन्य काश्तकारों ने एल फॉर्म नहीं दिया, इसलिये अर्जी पेन्डिंग है तथा एक काश्तकार ने १८-२-१६७० को ही प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसका एस्टीमेट बनाया जा रहा है।

जी हां, विभागीय औपचारिकताएं पूरी करने पर।

बूंदी रोड स्टेशन से लाखेरी सड़क का कार्य

४८७. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बूंदी रोड स्टेशन से लाखेरी की सड़क का कार्य प्रथम बार कब शुरू किया गया था?

(२) पृथक् पृथक् कार्य का ठेका किस किस कार्य का कब-कब और किस-किस को दिया गया था? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या यह सत्य है कि यह सड़क प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित थी? क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकार इसे पूरा करा सकेगी?

उत्तर

(१) लाखेरी की ओर से ६ मील सड़क का कार्य मार्च, ६७ में प्रारम्भ किया गया था।

(२) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(३) इस सड़क की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पूरी होने की आशा है।

(कृपया परिशिष्ट १० देखिये)

इकलेरा-छीपाबड़ोद सड़क

४८८. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि इकलेरा से छीपाबड़ोद जो सड़क जाती है उसकी हालत बहुत खराब है तथा इकलेरा से तीन मील छीपाबड़ोद की ओर आने पर जो परवन नदी का पुल है वह बहुत पुराना है वहां जगह जगह गड्ढे पड़े हुए है?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त पुल काफी नीचा है जिसकी वजह से बरसात में थोड़ा बहुत पानी की वर्षा होते ही इस सड़क का यातायात इस पुलिया की वजह से १०-१० १५-१५ दिन तक रुक जाती है? यदि

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)
हां, तो क्या सरकार इस पुलिया को ऊंचा कराने का इरादा रखती है? अगर हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(१) इकलेरा-छीपाबड़ोद रोड के कुछ मीलों की दशा अच्छी नहीं है जिनका मरम्मत कार्य प्रगति पर है तथा पर्वन नदी के पुल का मरम्मत कार्य भी प्रगति पर है।

(२) जी हां, अर्थाभाव के कारण पुल को ऊंचा कराने की योजना विचाराधीन नहीं है।

तहसील खण्डार में बनाई गई सड़कें

४८९. श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सवाई माधोपुर जिले की तहसील खन्डार, ग्राम बालेर तक कितने माइल का रास्ता है तथा वहां आवागमन की दृष्टि से उन्हें क्या सुविधा उपलब्ध है?

(२) क्या सरकार इस रास्ते पर सड़क बनाने का इरादा रखती है? अगर हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं?

(३) तहसील खन्डार में इस २२ साल के अर्से में कितने नये मार्ग बनाये गये तथा किस-किस जगह पर? यदि नहीं बनाये गये तो क्यों?

उत्तर

(१) ८ मील का कच्चा मार्ग है जिससे वर्षा ऋतु को छोड़ कर सामान्यतया ६-७ मास आवागमन हो सकता है।

(२) जी नहीं, अर्थाभाव के कारण।

(३) सवाई माधोपुर से पालीघाट वहरावडा से खण्डार सड़कें बनाई गई हैं।

राज्य के बाहर अचल सम्पत्ति

४९०. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य के बाहर राज्य की क्या-क्या अचल सम्पत्ति कहां-कहां पर है तथा उसकी कीमत क्या-क्या है और उनका क्या उपयोग किया जा रहा है तथा उसके संधारण के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है?

उत्तर

(१) वांछित सूचना संलग्न परिपत्र में प्रस्तुत है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

लाडनूं में डाक बंगले के निर्माण की योजना

४९१. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि कस्बा लाडनूं, जिला नागौर में डाक बंगला बनाने की योजना है? यदि हां, तो कब से क्या योजना है और इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

(२) क्या यह भी सत्य है कि तहसील और पंचायत समिति का मुख्यालय होने के

Page No 39

(श्री हरजीराम बुरड़क)

नाते उक्त स्थान पर डाक बंगले की व्यवस्था अविलम्ब होना आवश्यक है? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी?

उत्तर

(१) रेस्ट हाउस बनाने की योजना है। कार्य चालू हो गया है।

(२) रेस्ट हाउस का कार्य चालू है।

जयपुर-टोंक सड़क पर दिये गये प्लाट

४९२. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या जयपुर-टोंक सड़क पर टोंक फाटक के पास स्वदेशी तोल यंत्र व उसी के पास कड़वी काटने की मशीन लगाने के लिये न्यास के द्वारा दो प्लाट दिये गये हैं? यदि हां, तो किन को, कब कितने रुपयों में?

(२) क्या इन प्लाटों को दिये जाने से पूर्व नियमानुसार कार्यवाही न्यास द्वारा पूर्ण की गई थी?

(स्थगित किया गया)

नगरपालिका, सवाई माधोपुर

४९३. **श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार):** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नगरपालिका, सवाई माधोपुर का कार्यभार प्रशासक द्वारा कब संभाला गया? क्या प्रशासक ने सवाई माधोपुर में विकास कार्य करवाये हैं? यदि हां, तो इन कार्यों पर नगरपालिका का प्रत्येक वार्ड पर खर्चा कितना हुआ?

(२) क्या नगरपालिका, सवाई माधोपुर में सफाई व रोशनी छः महीने से भी अधिक समय से नहीं कराई जा सकी है? अगर हां, तो क्यों?

(स्थगित किया गया)

जोधपुर के तालाबों की सफाई

४९४. **श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर):** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जोधपुर के तालाब व उन तालाबों में पानी लाने वाली नहरें किनके क्षेत्र में हैं?

(२) क्या यह सही है कि पिछले पांच-दस वर्षों में उपरोक्त नहरों की सफाई नहीं करवाई गई है? और उनमें साल भर इकट्ठा होने वाला कचरा और मैला बरसाती पानी के साथ तालाबों में चला जाता है?

(३) क्या यह सही है कि इन तालाबों में कपड़े धोये जाते हैं और स्नान किया जाता है? यदि हां तो इस प्रकार तालाब के पानी को गंदा होने से बचाने की क्या व्यवस्था की गई है?

(४) क्या सरकार ऐसे आदेश जारी करने का विचार रखती है कि वर्षा होने से कुछ दिनों पहले उपरोक्त नहरों की सफाई हो जाया करे?

(स्थगित किया गया)

नगरपालिका, केकड़ी के अध्यक्ष के फोन का खर्चा

४९५. **श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी):** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) केकड़ी नगरपालिका में टेलीफोन पर दिनांक ३०-५-१९६९ से लेकर

(श्री देवीलाल बुरासिया)
दिनांक २०-७-१९६९ तक कुल कितनी राशि खर्च हुई ? सालवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) क्या यह सत्य है कि केकड़ी नगरपालिका के अध्यक्ष के निवासस्थान पर भी नगरपालिका के खर्चे पर टेलीफोन लगाया गया था ? अगर हां, तो उस पर कितना खर्चा आया ? पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) यह टेलीफोन अध्यक्ष के निवास-स्थान पर कौनसी तारीख को लगाया गया और कौनसी तारीख को हटाया गया ? उक्त टेलीफोन द्वारा ट्रंक-काल कहां-कहां, किस दिन, किस विषय को लेकर और किन व्यक्तियों को किये गये और उन पर कितने चार्जेज लगे ? पूर्ण विवरण सहित मासिक (मन्थली) सूची सदन की मेज पर रखने को कृपा करें।

उत्तर

(१) दिनांक ३०-५-१९६६ से लेकर दिनांक २०-७-६९ तक कुल, ४२९७.६१ पं० की राशि खर्च हुई है।

सालवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां।

८२७.६५ पं०। पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(३) टेलीफोन दिनांक ९-१०-६६ से चालू हुआ व दिनांक १४-७-६९ को हटाया गया।

पूर्ण विवरण सहित मासिक सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)।

जोधपुर नगरपालिका में रेवेन्यू आॅफिसर के पद

४९९. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गत तीन वर्षों में जोधपुर नगर-पालिका में रेवेन्यू आॅफिसर के पद पर किन-किन (नाम बतावें) व्यक्तियों की कब-कब नियुक्तियां की गई ? इन नियुक्तियों के आधार व कारण क्या क्या थे ? क्या कोई नियुक्ति किसी और हकदार का हक मार कर की गई थी ? यदि हां, तो किस का हक मार कर ऐसी नियुक्ति की गई ?

(२) क्या नगरपालिकाओं में नियुक्तियां एवं एकीकरण (इन्टग्रेशन) के लिये राजस्थान सरकार के कोई नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में जो नियुक्तियां की गईं वे क्या नियमों के अन्तर्गत की गई हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

(३) जोधपुर नगरपालिका एवं अन्य नगरपालिकाओं में सेवाओं का एकीकरण कब हुआ ? यदि अब तक नहीं हुआ तो कारण क्या हैं ? और कब तक यह कार्य हो जायेगा ?

(४) सदन के पटल पर जोधपुर नगर-पालिका की सेवा में गत तीन वर्षों के व्यक्तियों की सूची रखें जिनको कि उनकी सराहनीय एवं लम्बी सेवाओं के उपलक्ष्य में

(श्री फूलचन्द बाफना)

पहले से पारितोषिक एवं प्रशंसा-पत्र मिले हुए थे ? पारितोषिक एवं प्रशंसा-पत्र प्राप्त अनुभवी व्यक्ति उपलब्ध होते हुए भी उनकी उपेक्षा करके क्या किसी ऐसे व्यक्ति को गत दो वर्षों के समय में रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर लगाया गया है जिसको कि नगरपालिका के कानूनों एवं राजस्व कानूनों का कोई पूर्व अनुभव नहीं था ? नियमानुसार एवं वरिष्ठता अनुसार (लम्बे समय की सेवा एवं सराहनीय कार्यानुसार) इस पद पर नियुक्ति के लिये क्रमशः कौन-कौन हकदार थे ?

(५) क्या यह सही है कि नगरपालिका, जोधपुर के रेवेन्यू ऑफिसर के पद के लिए नियमित प्रमोशन उन व्यक्तियों को देने की परम्परा रही है जो कि वरिष्ठतम होते थे ? यदि हां, तो इस परम्परा को भंग करके गत तीन वर्षों में क्या किसी की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो ऐसी नियुक्ति किस की हुई व क्यों ?

(६) गत तीन वर्षों में जोधपुर नगरपालिका में रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर क्या किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की गई है, जिन्होंने कभी पहले इस पद के लिये एप्लाई किया था परन्तु स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग ने नियमों के प्रतिकूल समझकर उनका आवेदन-पत्र अस्वीकार किया था और फलस्वरूप तत्कालीन मुख्य सचिव महोदय ने उनका आवेदन-पत्र रद्द किया था ? यदि हां, तो अब उसी पद पर उनकी नियुक्ति कैसे उचित व नियमानुसार समझ ली गई ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

बीकानेर की अनिवार्य शिक्षाशालाएं

४९७. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एक्ट, १९२९ (एक्ट नं० ३) के अन्तर्गत बीकानेर नगर परिषद् की अनिवार्य शिक्षा शालाओं का संचालन होता है ?

अगर हां, तो उक्त एक्ट के तहत स्कूल कमेटी का गठन हुआ था ? अगर हां, तो क्या उक्त कमेटी रहते हुये उनके अधिकारों का प्रयोग प्रशासक, बीकानेर, नगर परिषद् ने किया ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

(२) प्रशासक, बीकानेर, नगर परिषद् ने उपरोक्त स्कूल कमेटी के अधिकारों का प्रयोग करते हुए कितने अध्यापकों की नियुक्ति एवं सेवा निवृत्ति की ? क्या सरकार उक्त नियुक्तियों आदि को अवैध घोषित करने का आदेश जारी कर स्कूल कमेटी को पुनः कार्य करने की आज्ञा प्रसारित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

नगर परिषद्, बीकानेर के कर्मचारियों के फिक्सेशन के मामले

४९८. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) बीकानेर नगर परिषद् में अन्य नगर परिषदों से कितने कर्मचारियों का

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

स्थानान्तरण हुआ है ? क्या इन स्थानान्तरणों के कारण बीकानेर नगर परिषद् के कर्मचारियों की वरिष्ठता पर असर हुआ है ? अगर हां, तो सरकार इसके प्रतिकार हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या स्थानान्तरण के कोई नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या सरकार ने नगर परिषद् के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिये सेवा नियमों का निर्माण किया है ? अगर हां तो क्या उनके अन्तर्गत नये वेतनमान निर्धारित किये गये थे ? अगर हां, तो उनको कब से लागू किया गया तथा क्या उन वेतनमानों में बीकानेर नगर परिषद् के कर्मचारियों का फिक्सेशन कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितनों का तथा शेष कर्मचारियों का फिक्सेशन कब तक कर दिया जायगा ?

उत्तर

(१) तीन कर्मचारियों के अन्य नगरपालिकाओं से स्थानान्तरण किये गये हैं। नियमों के अनुसार कार्यवाही हो रही है।

प्रतिकार हेतु कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ व लिपिकवर्गीय) सेवा नियम, १९६३ बने हुए हैं और नियमों के नियम ३८ में प्रावधान है।

नियमों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने के लिए समय की आवश्यकता है क्योंकि नियम १४ पृष्ठों में है।

नियमों के नियम ३८ की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां।

जी हां, दिनांक १-४-६४ से नियमों के अन्तर्गत निश्चित वेतनमानों में सभी कर्मचारियों का फिक्सेशन कर दिया गया है।

(सूची राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है)

जयपुर में पत्रकारों को प्लॉटों का आवण्टन

४९९. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि जयपुर में पत्रकारों को प्लॉट दिये गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन को कब-कब और कहां-कहां ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इस सम्बन्ध में सरकार ने पत्रकारों को प्राथमिकता या अन्य प्रकार से प्लॉट देने के लिये कोई नियम बना रखे हों तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) किस पत्रकार को प्लॉट दिया जावे और किसको नहीं इसका किस आधार पर निर्णय किया जाता है ?

उत्तर

(१) जी हां, सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) पत्रकारों को प्राथमिकता या अन्य प्रकार से प्लॉट देने के लिए कोई नियम नहीं है। बल्कि मंत्रिमण्डल द्वारा लिए गए निर्णय एवम् उसमें अनुमोदित शर्तों के अनुसार ही जयपुर में पत्रकारों को भूखण्ड आवंटित किये जाते हैं। शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No 43

(नगर विकास न्यास मंत्री)

(३) पत्रकारों को भूखण्ड देने हेतु प्रश्न के भाग २ के उत्तर में वर्णित शर्तों को पूरा करने पर राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति की राय से निर्णय लिया जाता है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

ग्राम बड़ोदड़ा में चरागाह की भूमि

५००. श्री नथमल चोहला (लक्ष्मणगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सीकर जिला अन्तर्गत तहसील लक्ष्मणगढ़ के ग्राम बडोदड़ा में पशुओं की संख्या कितनी है और चरागाह के लिये कितनी बीघा भूमि छोड़ी जा चुकी है ?

उत्तर

ग्राम बडोदड़ा में पशुओं की संख्या ७४६ है और ३३५ बीघा भूमि चरागाह घोषित है।

ग्राम अहमदपुर में आवंटित भूमि

५०१. श्री श्रवणलाल (हीरडौत): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम पंचायत, अहमदपुर पंचायत समिति, गंगापुर में दिसम्बर, १९६८ तक कितनी-कितनी भूमि किस-किस को अलॉट की गई ?

(२) क्या उपरोक्त भूमि भूमिहीनों को ही अलॉट की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों और सरकार इस भूमि को भूमिहीनों को दिलाये जाने के संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(१) ग्राम पंचायत, अहमदपुर पंचायत समिति, गंगापुर में १९६८ तक जिन-जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई, उसकी सूची संलग्न है।

(२) जी हां, उपरोक्त भूमिहीनों को ही आवंटित की गई थी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई।)

पटवारियों के बिलों का भुगतान

५०२. श्री गंगासहाय (कठूमर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पटवार उपशाखा, बैराठ, जिला जयपुर के स्थानीय पटवारियों के यात्रा भत्तों का एरियर लगभग १० हजार का बकाया है ? यदि हां, तो यह बकाया कब से है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

(२) क्या यह भी सही है कि बैराठ के पटवारियों को निर्वाचन सुविधों की उजरत भी अभी तक नहीं दी गई है ?

(३) क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्र के पटवारियों की मासिक बैठक समय पर नहीं होती और न वेतन का भुगतान ही समय पर किया जाता है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) तहसीलदार बैराठ ने उजरत के बिल बनाकर उप जिलाधीश, कोटपूतली के पास भेज दिये हैं लेकिन अभी तक पास

Page No 44

(राजस्व मंत्री)

होकर नहीं आये हैं। बिल पास होने पर संबंधित पटवारियों को भुगतान कर दिया जावेगा।

(३) मासिक बैठक समय पर की जाती है तथा वेतन का भुगतान भी समय पर किया जाता है। यदि वेतन बिल एतराज से वापस आ जाता है तो वेतन बिल के पास होने पर तुरन्त भुगतान कर दिया जाता है।

ग्राम दादिया के भूतपूर्व जागीरदार की सम्पत्ति

५०३. श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम दादिया, तहसील श्री माधोपुर के भूतपूर्व जागीरदारों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उपरोक्त ग्राम के भूतपूर्व जागीरदारों की निजी सम्पत्ति कब-कब जागीर कलेक्टर द्वारा घोषित की गई ? घोषित की हुई अलग-अलग निजी सम्पत्ति की तथा खुदकाश्त की भूमि के वर्णन सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई।)

तहसीलदार, लाडनूं के विरुद्ध शिकायतें

५०४. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) श्री भैरोंसिंह, तहसीलदार, लाडनूं, जिला नागौर के खिलाफ कौन-कौनसी शिकायतें कब-कब से विचाराधीन हैं और उन पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उपरोक्त शिकायतों में से किस में किस अधिकारी को जांच अधिकारी बनाया गया तथा जांच का परिणाम क्या रहा ?

(३) अब उपरोक्त शिकायतों का कब तक निपटारा कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(१) श्री भैरोंसिंह, तहसीलदार, लाडनूं, जिला नागौर के खिलाफ माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत एक शिकायत दिनांक २७-७-६९ सरकारी गोदाम से अनाज गायब होने के सम्बन्ध में है (प्रतिलिपि संलग्न है) जिसकी जांच खाद्य आयुक्त के विचाराधीन है। दूसरी शिकायत उक्त तहसीलदार के विरुद्ध माननीय सदस्य ने दिनांक १५-७-६९ को फेमिन तकावी वितरण में अनियमितताओं के बारे में की थी (प्रतिलिपि संलग्न है) जिसकी जांच हेतु एस० डी० ओ०, डीडवाना को लिखा जा चुका है।

तीसरी शिकायत एस० डी० ओ०, डीडवाना द्वारा दिनांक २५-९-६९ को मिठड़ी रोड़ सड़क की निशानदेही उनके आदेश के विरुद्ध करने के संबंध में की है। जिस पर

(श्री राजस्व मंत्री)
भैरोसिंह, तहसीलदार का जवाब तलब किया जाकर मामला विचाराधीन है।

(२) माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत शिकायत सरकारी गोदाम में से अनाज गायब होने के बारे में जांच जिला रसद अधिकारी द्वारा कराई गई, जिसमें आरोपों की सत्यता पाये जाने पर नियमित जांच पुलिस द्वारा कराने हेतु खाद्य आयुक्त को लिखा जा चुका है। फेमिन में तकावी वितरण में अनियमितताओं सम्बन्धी शिकायत की जांच हेतु एस० डी० ओ०, डडवाना को लिखा जा चुका है।

तीसरी शिकायत एस० डी० ओ०, डीडवाना ने दिनांक २५-९-६९ को की है उस पर श्री भैरोसिंह का जवाब तलब किया जाकर मामला विचाराधीन है।

(३) जहां तक सरकारी गोदाम में से अनाज गायब होने की शिकायत का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही हेतु जिलाधीश द्वारा खाद्य आयुक्त को लिखा जा चुका है तकावी वितरण की अनियमितताओं सम्बन्धी शिकायत की जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

मिठड़ी रोड सड़क की निशानदेही सम्बन्धी शिकायत पर एस० डी० ओ०, डीडवाना से जिलाधीश, नागौर ने टिप्पणी मांगी है। जो अपेक्षित है।

(कृपया परिशिष्ट ११ देखिये।)

भूमि आवंटन के सम्बन्ध में बुलाई गई बैठक

५०५. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) अप्रेल, १९६७ से १९६९ तक तहसीलदार, बारां, किशनगंज व शाहबाद द्वारा किस-किस तारीख को किस-किस स्थान पर भूमि आवंटन करने के संबंध में मीटिंग बुलाई गई और उन मीटिंगों में कौन-कौन सदस्य उपस्थित थे? कृपया उपस्थित सदस्यों की तालिका मय स्थान के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(२) किस-किस मीटिंग में कितनी-कितनी भूमि किस-किस व्यक्ति को आवंटित की गई ? कृपया तालिका मय नाम, पते व विवरण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें और यह भी बतायें कि किस-किस स्थान की मीटिंग में हरिजनों को कितनी-कितनी भूमि आवंटित की गई ?

(३) किस-किस मीटिंग में कितने-कितने आवेदन-पत्र विचारार्थ प्रस्तुत हुए थे और उनमें स्थानीय लोगों के कितने-कितने थे ?

(४) क्या किसी मीटिंग में स्थानीय व्यक्तियों को भूमि आवंटन नहीं किया जाकर अन्य व्यक्तियों को किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और किन-किन को ?

(स्थगित किया गया)

सार्वजनिक कार्यों के लिये अवाप्त की गई भूमि

५०६. श्री गंगासहाय (कठूमर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक कार्यों (सड़क, तालाब, नहर आदि) के लिये किसानों से ली गई भूमि पर भी पटवारियों द्वारा मांग निर्धारित कर दी गई है ? जबकि ऐसी भूमि पर कोई लगान देय नहीं है ?

(श्री गंगासहाय)

(२) क्या सरकार ऐसी समस्त भूमि से मांग हटाकर जो लगान उनसे वसूल किया गया है, उसे वापस लौटायगी ?

उत्तर

(१) जी हां, कुछ जिलों में ऐसा हुआ है।

(२) राज्य सरकार ने इस संबंध में परिपत्र सं० ४ (७) रा/ख/ग्रुप–१/६५, दिनांक ८-२-६५ द्वारा पहले ही निर्देश जारी कर दिये हैं।

पाली तहसील में विनियमित की गई भूमि

५०७. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पाली तहसील में पिछले ५ सालों में किस-किस की, कितनी-कितनी भूमि, कब-कब विनियमित (रेग्युलेराइज) की गई ? पूरी सूची गांववाइज मय वल्दियत के देने का कष्ट करें। साथ-साथ यह भी सूची में बतलावें कि कितनी-कितनी धनराशि, किस-किस ग्रामीण से वसूल की गई ?

(२) क्या यह सत्य है कि यह सारी विनियमित की कार्यवाही कानून के खिलाफ हुई ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाये जायेंगे ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है।

(२) यह सारी विनियमितता के कार्यवाही कानून के खिलाफ हुई या नहीं बाद जांच ही बताया जा सकता है। एवं जांच के बाद ही दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

सवाई माधोपुर जिले में आवंटित भूमि के पट्टे

५०८. श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला सवाई माधोपुर में सन् १९६७ से सन् १९७०, मार्च तक कितने भूमिहीन हरिजनों को भूमि आवंटित की गयी ?

(२) क्या जिन लोगों को भूमि आवंटित की गयी थी उन लोगों को पट्टे व कब्जे दे दिये गये हैं ? अगर हां तो कितने लोगों को ?

(३) क्या सरकार ने जिन लोगों को पट्टे व कब्जे नहीं दिये हैं उनको पट्टे व कब्जे दिलाने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो यह कब तक दे दिये जावेंगे ?

उत्तर

(१) जिला सवाई माधोपुर की तहसील सवाई माधोपुर, खंडार, गंगापुर, बामनवास, नादोती, हिण्डौन, टोडाभीम, करोली को सूचना की सूची संलग्न है। तहसील बाली, महुआ, सपोटरा की सूचना एकत्रित की जा रही है जो शीघ्र प्रेषित करदी जावेगी।

(२) सूचना उक्त सूची में अंकित है।

(३) सूचना उक्त सूची में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट १२ देखिये)

हरिजन एवं आदिवासी लोगों के लिये मकानों की व्यवस्था

५०९. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

(१) कितने हरिजन और आदिवासियों को तीसरी योजना में और तीसरी योजना के बाद मे रिहायशी मकान सरकार की ओर से बनाकर दिये गये हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) किस-किस जिले में कितनी-कितनी हरिजन कोलोनियां बनाकर दी गई हैं, उन कोलोनियों में कितने-कितने परिवारों के लिये मकान बनाकर दिये गये हैं तथा प्रति मकान क्या लागत आई है। सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) कितने शहरों और कस्बों में गांधी जन्म शताब्दी के मौके पर सिर पर मैला उठाना बन्द करा दिया है ?

उत्तर

(१) तीसरी योजना में और तीसरी योजना के बाद हरिजनों और आदिवासियों को सरकार की ओर से कोई मकान बनाकर नहीं दिये गये।

(२) तृतीय पंचवर्षीय योजना और इसके बाद कोई कॉलोनियां नहीं निर्माण कराई गई।

(३) सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने हेतु राज्य के २६ जिला मुख्यालयों एवं ब्यावर जहां ५० हजार से अधिक आबादी है, म्युनिसिपैलिटियों को अनुदान दिया गया है।

छुआछूत मिटाने के उपाय

५१०. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में अभी भी जो छुआ-छूत मौजूदा है उसे सदैव के लिये मिटाने के लिये सरकार क्या उपाय सोच रही है ?

(२) हरिजनों के लिये गांधी जन्म शताब्दी के पूरे एक साल के लिये सरकार ने कुल कितनी धनराशि निर्धारित की है व किस-किस कार्य में कितनी-कितनी मात्रा में खर्च की जायगी ? सूची सदन के मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

१. (क) छुआछूत को मिटाने के लिये राज्य में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, १९५५ पहले से ही लागू है पर इसमें आवश्यक यह है कि उत्पीड़ित व्यक्ति साहस कर मामले की रिपोर्ट करें। अस्पृश्यता अपराध प्रमाणित करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिये संसद में शीघ्र ही इस अधिनियम में आवश्यक संशोधन प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

(ख) इस कानून की धाराओं के व्यापक प्रचार हेतु विधेयक का पूरा-पूरा प्रचार किया जा रहा है तथा अन्य माध्यमों जैसे प्रदर्शनियां, मेले, बोर्ड्स, लेख पुस्तकें, चलचित्र आदि के द्वारा भी प्रचार किया जा रहा है।

(ग) निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रबन्ध किया गया है।

(घ) स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से प्रचार-कार्य करवाया जा रहा है।

(समाज कल्याण मंत्री)

(ड) अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(च) सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिये ठोस कदम उठाये जा रहे हैं।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १३ देखिये)

हरिजनों को गांधी शताब्दी वर्ष में सुविधाएं

१११. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि गांधी शताब्दी वर्ष के कारण राज्य सरकार ने हरिजनों को कई प्रकार की सुविधाएं तथा रियायतें देने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो क्या-क्या तथा उनमें से कितनी क्रियान्वित की गई ?

उत्तर

जी हां। सरकार ने हरिजनों को गांधी शताब्दी वर्ष में निम्न सुविधाएं व रियायतें देने की घोषणा की थी :—

(१) नहरी क्षेत्र के अलावा कृषि भूमि केवल अनुसुचित जाति व जन-जाति के सदस्यों को ही आंवटित की जायगी। इसका अनुपालन किया जा रहा है।

(२) सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिये ठोस कदम उठाने के लिये अनुदान व ताहरतों को फ्लश में परिवर्तित करने हेतु म्युनिसिपैलिटियों को अनुदान दिया गया है।

(३) हरिजन बस्तियों में नल-बिजली की सुविधा–यह क्रियान्वित की जा रही है।

(४) राजकीय नौकरियों में सुरक्षित स्थान १२।। प्रतिशत से बढ़ाकर २८ प्रतिशत करने सम्बन्धी–इसे क्रियान्वित करने सम्बन्धी जांच चल रही है।

(५) राज्य के ६ बड़े नगरों में हरिजनों के लिये आवास व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु–

इसके लिये नगर विकास न्यासों को धनराशि आवंटित कर दी गई है।

क्रमांक	नाम यू. आई. टी. म्युनिसिपैलटी	संख्या	आवंटित धनराशि
१.	जयपुर	३००	९.०० लाख
२.	अजमेर	२००	६.०० लाख
३.	जोधपुर	२००	६.०० लाख
४.	बीकानेर	१००	३.०० लाख
५.	उदयपुर	१००	३.०० लाख
६.	म्युनिसिपल बोर्ड, कोटा	१००	३.०० लाख
	योग	१०००	३०.०० लाख

स्थगित प्रश्न
(१८-३-७०)

कस्बा राजलदेसर के हरिजनों द्वारा पट्टे बनाने के लिये आवेदन-पत्र

२४२. श्री रावतराम (छापर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कस्बा राजलदेसर (चूरू) के हरिजनों ने रिहायशी

Page No 49

(श्री रावतराम)

पट्टे बनाने के लिए नगरपालिका, राजलदेसर को दरख्वास्तें दी हैं ? यदि हां, तो कितनी दरख्वास्त कब दी और अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(२) उक्त दरख्वास्त कर्ताओं को कब तक पट्टे दे दिये जावेंगे ?

उत्तर

(१) जी हां।

दिनांक २५-२-६७ को हरिजनों की कुल ११ दरख्वास्तें नगरपालिका में प्राप्त हुई थीं।

दरख्वास्तों के अनुसार भूमियों पर ४० वर्ष या इससे ज्यादा का कब्जा न होने से पट्टे नहीं दिये गये।

(२) नगरपालिका से कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। अतः वहां से वान्छित सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

स्थगित प्रश्न
(१८-३-७०)

सवाईमाधोपुर नोटिफाईड एरिया कमेटी के सदस्य

२४४. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) सवाई माधोपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के सदस्य कौन-कौन हैं और उक्त नोमिनेटेड सदस्यों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जगह दी गई या नहीं ?

(२) जब से नोटिफाइड एरिया कायम हुआ तब से आज तक कितनी जमीन बेची गई और उससे कमेटी को कितनी आय हुई ?

(३) उक्त बेची गई जमीनों में से अनुसूचित-जाति के व्यक्तियों को कितने प्लॉट्स दिये गये ?

उत्तर

(१) सदस्यों की सूची संलग्न है। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जगह दी गई है।

(२) २८,६३१ वर्ग-गज भूमि नीलाम द्वारा बेची गई है तथा २४,२०० वर्ग-गज भूमि आवंटन द्वारा खाद्य निगम को दी गई है। ५,२७,८५३.८७ पै० की आय हुई है।

(३) अभी तक किसी भी व्यक्ति को कोई प्लॉट आवंटन द्वारा नहीं दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट १४ देखिये)

स्थगित प्रश्न
(२१-३-७०)

तकावी की राशि

३०३. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) राजस्थान में इस वर्ष बैल, ऊंट, बीज तथा खेती के लिये तकावी देने हेतु कुल कितनी धनराशि रखी गई है तथा उसका बंटवारा किस-किस जिले में कितना-कितना किया गया है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह सही है कि बीकानेर तहसील में सारे मद मिला कर केवल १ लाख

Page No 50

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
रुपया ही तकावी के लिये दिया गया है ? यदि हां, तो ४० हजार अकाल पीड़ित परिवारों को वितरण किस प्रकार कितना-कितना होगा ?

(स्थगित किया गया)

(१२.०३ म. प.)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि राजस्थान एटोमिक पावर प्रोजेक्ट में दिनांक २८ मार्च, १९७० को परस्पर दो यूनियनों में झगड़ा हो जाने के बारे में श्री भैरोंसिंह, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसको राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु पेन्डिंग रखा गया था। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे स्थिति को स्पष्ट करते हुये इस विषय में यथाशीघ्र वक्तव्य देने की कृपा करें।

इसके अतिरिक्त दो और स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं:—

(१) श्री कृष्णकुमार गोयल, सदस्य विधान सभा ने अपने स्थगन प्रस्ताव में दिनांक २१ मार्च, १९६९ को कोटा नगर में चम्बल भू-संरक्षण क्षेत्र में पोस्टेड आर. ए. सी. के तीन व्यक्तियों द्वारा एक आदिवासी (भील) महिला के साथ किये गये बलात्कार का उल्लेख किया है।

(२) अलवर में म्युनिसिपल कर्मचारियों द्वारा दिनांक ६ अप्रेल, १९७० से अनिश्चित काल के लिये हड़ताल किये जाने के नोटिस के सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है।

इन दोनों मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

इसके अलावा एक व्यवस्था का प्रश्न है जो माननीय सतीशचन्द्रजी ने उठाया है और जिसके सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया था, मैं रेफर करता हूं-इस पर व्यवस्था दे दूंगा।

दिनांक ३० मार्च, १९७० को श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने, प्रक्रिया के नियम २९७ एवं २९८ की ओर ध्यानाकर्षित करते हुये यह आपत्ति उठाई थी कि आसन नियमानुसार अपने स्व-विवेक से मानहानिकारक या अशिष्ट, असंसदीय या अभद्र शब्दों को कार्यवाही से तो निकाल सकते हैं परन्तु उन्हें यह अधिकार नहीं है कि वे सदस्यों के भाषण को अंकित होने पर प्रतिबंध लगा दें।

नियम २९७ इस बात का प्रावधान करता है कि सचिव, सदन की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का पूरा वृत्तान्त तैयार करेगा और उनको ऐसे रूप तथा ऐसी रीति से प्रकाशित करेगा जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निदेश दें।

नियम २९८ के अन्तर्गत अध्यक्ष सदन की कार्यवाही से ऐसे शब्द निकाल सकते हैं जो मानहानिकारक या अशिष्ट, असंसदीय या अभद्र हों।

Page No 51

(श्री अध्यक्ष)

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि संविधान में एवं सदन द्वारा बनाये गये प्रक्रिया के नियमों में अध्यक्ष के कर्त्तव्यों तथा उसकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। सदन की कार्यवाही का सुचारुरूप से संचालन करना और इस दौरान सदन में व्यवस्था बनाये रखना, आसन का सबसे महत्व-पूर्ण कर्त्तव्य माना गया है। नियम २९६ व्यवस्था बनाये रखने और आसन को अपने विनिश्चयों के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिये, समस्त आवश्यक शक्तियां प्रदान करता है।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह बता दूं कि यह पहला अवसर नहीं है कि जब आसन द्वारा किसी अवज्ञ सदस्य (डिफेन्ट मेम्बर) के भाषण को अंकित न करने का आदेश दिया गया है। यदि माननीय सदस्य इस सदन की गत कुछ वर्षों की कार्यवाही के वृत्तान्त को देखें तो उन्हें ज्ञात हो जायेगा कि अनेक अवसरों पर, जब-जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, आसन ने इस प्रकार के निदेश दिये हैं। माननीय सदस्यों ने इन व्यवस्थाओं को स्वीकार किया है और जहां तक मुझे मालूम है उनके औचित्य पर कभी प्रतिवाद नहीं किया गया है।

नियम २९६ एवं ३०७ आसन को अन्त-र्निहित शक्तियां प्रदान करते हैं और इन अधिकारों का उपयोग, विशेष परिस्थितियों में, जहां सामान्य नियम मौन हो, किया जाता रहा है। इन नियमों के अन्तर्गत जो भी आदेश दिये जाते हैं उनकी पुष्टि संसदीय परम्पराओं एवं परिपाटी से भी होती है और यही कारण है कि परम्पराओं के आधार पर अधिकार बनते गये हैं और उनका क्रियान्व-यन भी होता रहा है।

अव्यवस्था और अनुशासनहीनता के इस वातावरण में आसन अपने संवैधानिक दायित्व को किस प्रकार निभायें, यह आज की सबसे बड़ी समस्या है। माननीय सदस्यों को सुविधा की दृष्टि से मैं नियमों में बहुधा उदारतापूर्वक रिलेक्सेशन कर रहा हूं मगर उसके उपरान्त भी कभी कभी स्थिति नियन्त्रण के बाहर हो जाती है और मुझे विवश होकर सदन के कार्य संचालन के हित में ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जिनको सामान्यतः मैं उठाना नहीं चाहता। माननीय सदस्य स्वयं सोचें कि यदि अध्यक्षीय व्यवस्थाओं पर आपत्ति की जाती रही और आसन की अनुमति के बिना भाषणों का सिलसिला जारी रहा तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष किस तरह अपने कर्त्तव्य का पालन कर सकता है जो सदन ने उसको सौंपे हैं। मेरी कोशिश हमेशा यह रही है कि माननीय सदस्यों को उनके विचार व्यक्त करने का, संविधान और नियमों के दायरे में, पूरा अवसर दिया जाय और इसके लिये नियमों में जितनी भी प्रक्रियायें उपलब्ध हैं उनका वे पूर्णतया उपयोग करें। लेकिन जब नियमों, सुनिश्चित प्रक्रियाओं और परम्पराओं का ठीक तरीके से पालन नहीं किया जाता है और अध्यक्ष की आई केच किये बगैर और आसन की अनुज्ञा बिना माननीय सदस्य जो जी में आये, वही बोलना प्रारंभ कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में आसन को क्या करना चाहिये। आसन द्वारा ऐसे सदस्यों को बार-बार रोका जाता है उनसे सहयोग और सहायता की अपीलें की जाती हैं परन्तु जब परस्युएशन के समस्त उपाय विफल होते नजर आते हैं तो आसन के पास यही विकल्प रह जाता है कि या तो माननीय सदस्य को सदन से बाहर जाने के लिये कहा जाये या फिर उनके इस प्रकार के

Page No 52

(श्री अध्यक्ष)

अप्राधिकृत भाषण को कार्यवाही का अंग न बनने दिया जाय। किसी भी माननीय सदस्य के भाषण को जिसके द्वारा वे सदन की कार्यवाही में अव्यवस्था या बाधा डालने का प्रयत्न करें, अंकित न होने देना केवल इसी सभा की परम्परा नहीं है बल्कि जहां तक मुझे मालूम है लोक सभा एवं कुछ विधान सभाओं में भी इसका परिपालन किया जा रहा है।

जहां तक सदन से बाहर जाने के लिये आदेश देने का प्रश्न है मुझे याद नहीं कि इस शक्ति का उपयोग करने की कभी आवश्यकता पड़ी हो क्योंकि मैं इस अधिकार का उपयोग करने में बड़ा सजग रहा हूं।

श्री अग्रवाल ने नियम २६७ और २६८ के संदर्भ में जो आपत्ति प्रस्तुत की वह मुझे उचित प्रतीत नहीं होती है इसलिए कि किन्हीं प्रयुक्त शब्दों को कार्यवाही से निकाल देने में और किसी माननीय सदस्य के अनधिकृत भाषण को अंकित न करने देने में एक स्पष्ट अन्तर अपने आप नजर आता है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के बाद, मेरा यह अभिमत है कि जो माननीय सदस्य आसन की अनुमति के बिना बोलते हैं उनके भाषण को अंकित न कराना नियम और परम्पराओं के अनुसार है। अतः मैं श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाई गई आपत्ति को अस्वीकार करता हूं।

मैंने जैसा निवेदन किया था कि ऐसे ही कई प्रश्नों को लेकर माननीय सदस्यों ने यहां प्रश्न उठाया था कि एक समिति का निर्माण हो और अन्य प्रश्न जो परम्परायें बन रही हैं और नियम जो प्रश्नों पर मौन हैं सभी पर विचार करने और अध्ययन करने के लिए एक समिति का निर्माण हो और मैंने उसको स्वीकार किया था इसलिए मैं उस सुझाव के आधार पर माननीय सदस्यों से यह निवेदन करता हूं :

माननीय सदस्यों को याद होगा कि कल दिनांक ३१ मार्च, १६७० को श्री भैरोंसिंह ने इस आशय का सुझाव दिया था कि इस विधान सभा में जिन अलिखित परम्पराओं का निर्माण हुआ है उनका संकलन किया जाकर उनको लिखित रूप में लेने के लिए इस सदन के सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाये। मैंने उसी समय इस सुझाव पर अपनी सहमति प्रकट कर दी थी। अतः इस प्रयोजन के लिये मैं निम्नांकित सदस्यों की समिति के गठन की घोषणा करता हूं :

१. श्री बरकतुल्ला खां, विधि मंत्री, संयोजक
२. श्री गिरधारीलाल व्यास
३. महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
४. श्री भैरोंसिंह
५. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
६. श्री रामकिशन
७. श्री रामनारायण चौधरी
८. श्री शंकरलाल (जैतारण)
९. श्रीमती कान्ता खथूरिया
१०. श्री वृद्धिचन्द्र जैन
११. श्री यशवन्तसिंह नाहर
१२. श्री दौलतराम सारण
१३. श्री रामचन्द्र आर्य
१४. श्री मदनसिंह दांता
१५. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(श्री अध्यक्ष)

१६. श्री देवीदत्त गाड़िया

१७. श्री माईदानसिंह

१८. श्री जयनारायण सालोदिया

१९. श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल

२०. श्री नत्थीसिंह।

समिति के निर्देश पद

(टर्म्स ऑफ रेफरेन्स)

सदन की कार्यवाही का सुचारुरूप से संचालन करने तथा उसको विनियमित करने की दृष्टि से, यह समिति निम्नांकित विषयों पर, परम्पराओं के आधार पर अध्ययन करके, अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी:—

(१) स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था के पश्चात् सदस्यों द्वारा उसको चुनौती देने तथा उस पर चर्चा करने का प्रयत्न।

(२) स्थगन प्रस्तावों पर संबंधित मंत्री के वक्तव्य के पश्चात्, सदस्यों द्वारा उसी समय उस पर वाद-विवाद उठाने का औचित्य।

(३) प्रश्नों के समय में, सदस्यों द्वारा प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की सीमा (सीलिंग) निर्धारण की वान्छनीयता।

(४) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर, संबंधित मंत्री के वक्तव्य के पश्चात्, वाद-विवाद की प्रक्रिया।

(५) आसन द्वारा किसी भी प्रश्न पर व्यवस्था दिये जाने के पश्चात् उस पर टीका-टिप्पणी की प्रवृत्ति तथा आसन की अनुज्ञा बिना बोलते रहने का प्रयास।

(६) जब किसी विषय पर पार्टी अथवा दल के नेता अपना दृष्टिकोण, पार्टी अथवा दल के प्रतिनिधि के रूप में रख देते हैं, तो उसी विषय पर उस दल के सदस्यों द्वारा विचार व्यक्त किये जाने का औचित्य, एवं

(७) अन्य विषय जो भी समिति उचित समझे।

समिति का प्रतिवेदन

यह समिति अपने सुझाव एक सप्ताह में प्रस्तुत करेगी।

गणपूर्ति (कोरम)

समिति की बैठक गठित करने के लिए ७ सदस्यों का कोरम होगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं समिति से अपना नाम वापस लेता हूं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : यह छोटी असेम्बली बना दी आपने।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय....

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, जो भी आपने व्यवस्था दे दी है मुख्य मंत्रीजी उस संबंध में अपना वक्तव्य दें। मैं इस संबंध में निवेदन करूंगा कि ३० तारीख को मैं घटनास्थल पर मौजूद था। जिस प्रकार की स्थिति है और दो यूनियनों को उत्तर और पश्चिम का झगड़ा बता कर सारे वातावरण को विषैला बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर आवश्यक है कि इस संबंध में स्टेटमेंट आज ही होना चाहिए।

Page No 54

श्री अध्यक्ष : जैसा मैंने निवेदन किया, मैंने यथाशीघ्र उस पर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है और आज का बिजनेस इस तरह का है कि आज आ भी जाये तो भी मैं एडजस्ट करने में समर्थ नहीं होऊंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह सारी घटना २८ और २६ तारीख की है और आज एक तारीख हो गई है। मैं समझता हूं गृह मंत्री जी....

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव तो आज आया है और मुझे जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कम से कम व्यवस्था तो देने की कृपा करें कि कब स्टेटमेन्ट होगा ? आज के लिए कहा था, कल और आज भी आप कह रहे हैं कि मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह स्टेटमेन्ट कल दे दिया जायेगा।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था उसके संबंध में थोड़ी व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष : मैं अर्ज करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो चण्डीगढ़ में भाषण दिया उस संबंध में एक एडजर्नमेन्ट मोशन मैंने और दूसरे माननीय सदस्यों ने दिया था उसके संबंध में आपने जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा था। अध्यक्ष महोदय, जहां तक उस प्रश्न का सवाल है वह अब अखबारों में छपा है और कल से आज तक उसमें जानकारी प्राप्त करने में विलम्ब नहीं होना चाहिए था इसलिए मैं निवेदन करूंगा और कल भी निवेदन किया था कि आज उस पर वक्तव्य गवर्नमेन्ट की तरफ से हो जाना चाहिए ताकि उसके संबंध में हम कुछ कह सकें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जैसा मैंने निवेदन किया था कि मैं इस संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा। मैंने प्रयत्न भी किया और जो अखबारों में छपा है और जो भाषण दिया गया है उसके वर्शन को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं ताकि जो भाषण अखबारों में छपा है और जो दिया गया है उसकी तुलना कर सकूं। राज्यपाल महोदय दिल्ली विराजते हैं जिनसे मैं सम्पर्क नहीं साध सका इसलिए मैं यथाशीघ्र इस पर निर्णय कल दे दूंगा। आप मेरी विवशता को समझेंगे कि अगर राज्यपाल महोदय यहां होते तो उनके भाषण का आथोराइज्ड वर्शन मुझको प्राप्त हो सकता था। इसलिए मैं कल निर्णय दूंगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : राज्यपाल महोदय के प्रेस अटैची तो यहां होंगे ?

श्री अध्यक्ष : Attache is not the Press.

श्री मदनसिंह : मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था उसके संबंध में कुछ व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष : आपका जो स्थगन प्रस्ताव था उसको मैंने गहराई से देखा और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसको स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं लेकर दूसरे नियमों के अन्तर्गत उठा लें। मैं उसको लेना चाहूंगा प्रश्न इस तरह का है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा निवेदन है कि सभी प्रस्तावों को आप गहराई से देखेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं सभी प्रस्तावों को बड़ी गहराई से देखता हूं। कभी भूल-चूक हो जाती है तो आप क्षमा कर देते हैं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दूसरी स्टेट में दिया उसके बारे में आप व्यवस्था दें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि राज्यपाल बतौर इन्डीविजुअल हैसियत बतौर कान्स्टीट्यूशनल हैड के दूसरी स्टेट में ऐसे नेशनल इश्यू पर भाषण दें जिसका असर दोनों स्टेटों के लोगों पर पड़े तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम यहां पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं जो कि गवर्नर ने बैठकर पोलिटिकिल पार्टीज से बात की, यहां बैठकर वायर दिये और यहां बैठकर पंजाब के बारे में मीटिंग की और यह वही है जो कि स्पीकर के बतौर चण्डीगढ़ के मसले पर गये थे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! देखिये यह प्रोपराइटी का प्रश्न है। मैंने निर्णय नहीं दिया उसके पहले ही आप भूमिका बांधें और विवेचन करें कि राज्यपाल क्या थे और उसके पहले क्या थे यही तो विषय मेरा भी है चिन्तन का।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : दीक्षान्त के टाइम पर राज्यपाल महोदय द्वारा....

श्री अध्यक्ष : मैंने सारे प्रश्न को सोच लिया। दीक्षान्त था, वहां गये थे, भाषण दिया था, यूनिवर्सिटी में दिया था, पहले अध्यक्ष रहे हैं, यहां राज्यपाल हैं और पहले कुछ और थे–ये सारे प्रश्न मेरे सामने हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ऐसा है कि जब स्नातक लोग अपनी शिक्षा समाप्त करके जाते हैं तो जो डिग्री दी जाती है उनको कहा जाता है Prove yourself worthy of the same....

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न तब उपस्थित होगा जब मैं इस पर निर्णय दे दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। २६ मार्च को यहां विधान सभा में माननीय गृह मंत्रीजी ने बेरी कमीशन की रिपोर्ट के सिलसिले में जो ऑफिसर्स कमेटी है उसकी जो रिकमन्डेशन गवर्नमेंट को हैं और उसके आधार पर गवर्नमेंट को राजाज्ञा थी उसकी कॉपी प्रस्तुत की गयी थी सदन में। मैंने इस बात की मांग की है। ऑफिसर्स कमेटी की घोषणा की गई थी। इस सदन में की गई थी, इस हाउस में की गई थी और यह आश्वासन दिया गया था पिछले साल कि ऑफिसर्स कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार किसी प्रकार से भी दोषी अधिकारियों को नहीं बचायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऑफिसर्स कमेटी के गठन की घोषणा इस सदन में की गई थी, उस ऑफिसर्स कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने एक आज्ञा प्रसारित की है और उस समय के ए० पी० ओ० जे० पी० सिंघा के खिलाफ एक्शन लेने के बारे में लिखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऑफिसर्स कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाय।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : यह किस चीज पर आपत्ति दे रहे हैं। यह नियमों के खिलाफ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऑफिसर्स कमेटी के हिसाब से जो राजाज्ञा दी गई है वह उसको सदन की मेज पर रख दी जाय ताकि हम देख सकें कि उसके अनुसार कार्यवाही की गई है या नहीं। मेरा चार्ज है इस बात का गवर्नमेन्ट पर कि बेरी कमीशन की फाइंडिंग्स के अनुसार कार्यवाही नहीं की गई और बेरी कमीशन की रिपोर्ट पर जो ऑफिसर्स कमेटी बिठाई गई थी उसकी रिकमन्डेशन्स के अनुसार कार्यवाही नहीं की गई है। जो राजाज्ञा जारी की गई है उस आज्ञा में ऑफिसर्स कमेटी की रिकमन्डेशन्स के अनुसार दोषी अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिये, अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार की भर्त्सना करता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह मसला बहुत महत्वपूर्ण है। मैं वैधानिक तरीके से इस मसले को उठा रहा हूं, और चाहता हूं कि इस सिलसिले में विवाद के लिए समय निर्धारित कर दें, चर्चा के लिए समय दें या इस सम्बन्ध में गृह मन्त्री का वक्तव्य दिला दें और हमें कहने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष : जो स्थगन प्रस्ताव आपने प्रस्तुत किया था उसका कल निर्णय दे चुका हूं। जहां तक स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न है निर्णय के बाद उस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है। अब यह प्रश्न किसी दूसरे रूप में उठायें। मैंने उस पर यह निर्णय दिया था कि यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है और कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है। दूसरे रूप में उठायें तो मैं विचार कर लूंगा। लेकिन मैंने जो कल निर्णय दिया है वह अपरिवर्तित है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने गंगानगर आन्दोलन के सम्बन्ध में जब वक्तव्य दिया था तो हमने मांग की थी कि उस सम्बन्ध में जो जुडिशियल एन्क्वायरी हो, उस सम्बन्ध में कुछ ऑफिसर्स का तबादला वगैरह करने के बारे में गवर्नमेन्ट के क्या निर्णय हैं, उसके बारे में गवर्नमेन्ट की ओर से घोषणा होनी चाहिये। मुख्य मन्त्रीजी ने यह आश्वासन दिया था कि गंगानगर आन्दोलन के विषय पर बहस होने से पहले वे इस सदन में इस तरह का वक्तव्य दे देंगे और गवर्नमेन्ट के निर्णयों की सूचना दे देंगे। उस समय इस प्रकार का लगभग आश्वासन दिया था कि इस सत्र में बजट के पास होने के पश्चात् गवर्नमेन्ट अपने निर्णय की घोषणा कर देगी। तो मैं निवेदन करूं कि बजट पास हो चुका है, इसलिये उस सम्बन्ध में बाकी के निर्णय जो हैं उस एन्क्वायरी के सम्बन्ध में और बाकी जो बातें हैं उनके निर्णय के सम्बन्ध में गवर्नमेन्ट की तरफ से घोषणा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्रीजी बाहर हैं। उनके आने पर उनसे बात करके सदन को इत्तिला दे दूंगा।

विधायी कार्य

(क) पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

राजस्थान टीनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७०

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टिनेन्सी

(श्री रामकिशोर व्यास) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन सा सिलेक्ट कमेटी वाला ?

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७० को सदन में पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : स्वायत्त शासन मन्त्रीजी !

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९७०

श्री भीखाभाई (स्वायत्त शासन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९७०, को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं इस संबंध में कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम का संशोधन करना चाहते हैं तो इनको अनुमति दिये जाने के पूर्व यह किस सिलसिले में है और क्या प्रावधान है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : एमेन्डमेन्ट के साथ विधेयक पेश कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसके बारे में है ?

श्री भीखाभाई : बहुत समय पहले रिक्शा पुलर्स के सम्बन्ध में उनको बन्द करने वाली बात थी तो वह काम ग्रेजुएली, शनैः शनैः बन्द कर दिया जाय उसके बारे में अमेंडमेंट ला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इस पर इस वक्त कोई प्रश्न नहीं उठता है। प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९७० को....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने....

श्री अध्यक्ष : पुरःस्थापित कर रहे हैं। यह प्रश्न बाद में उठ सकेगा। पुरःस्थापित करते समय बाधाएं डालें यह परम्परा नहीं रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : परम्परा नहीं लेकिन नियमों में प्रावधान है कि कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : पूछ लें नियमों में प्रावधान है तो ज्यादा समय लगेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, परम्परा यह रही है कि साधारणतया इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर विरोध नहीं करते हैं। इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहा हूं। मगर आप रिक्शा पुलर्स के हित में कानून बनाने जा रहे हैं तो उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन साथ में इतना जरूर कहना चाहता हूं कि स्वायत्त

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
शासन मन्त्रीजी से, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि राजस्थान के अन्दर नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में जो कानून सदन ने पारित किया है, वह कानून इतना पुराना हो चुका है कि उस कानून में महति संशोधन की आवश्यकता है। इसलिये मैं इस बात की मांग इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर इस विधेयक का स्वागत करते हुए अधिनियम के लिये जाने से पूर्व करना चाहता हूं कि राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज एक्ट को एज ए होल कोडिफाई किया जाय, मोडिफाई किया जाय और समय की मांग के अनुसार उसमें संशोधन किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में यह भी मैं कहना चाहूंगा और यह मांग भी रखना चाहूंगा कि राजस्थान में दोहरी व्यवस्था नगरपालिका क्षेत्र में नगर सुधार न्यास के माध्यम से की गई है। नगर सुधार न्यास को तुरन्त समाप्त किया जाय। नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जाय। इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार इस सदन में आश्वासन दे कि इस प्रकार से इस अधिनियम की मोडिफाई, कोडिफाई करके म्युनिसिपेलिटीज का बिल इस हाउस में पेश करेगी। यह मांग मैं आपके माध्यम से इस मौके पर अध्यक्ष महोदय, रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह विधेयक जब लिया जाय तो सैकण्ड स्टेज पर कर सकते हैं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भीखा भाई : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करता हूं।

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९७०

श्री अध्यक्ष : राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९७०, वित्त मन्त्री !

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९७० को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

संशोधन प्रस्ताव

१. श्री शिवनाथसिंह (वि. सं. १५८)
२. श्री मूलचन्द डागा (वि. सं. ११३)
३. श्री रामकिशन (वि. सं. १२६)
४. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (वि. सं. ८६)
५. श्री कृष्णकुमार गोयल (वि. सं. १६)
६. श्री श्रवणलाल (वि. सं. १६१)
७. श्री गोकुलप्रसाद (वि. सं. ११)

ने क्रमशः प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि:—

Page No 59

(श्री शिवनाथसिंह आदि)

"राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९७० को एक माह/तीन माह/५ दिन/एक माह/एक माह/तीन माह/एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"

१. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (वि. सं. ५०)	ने क्रमशः प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि:–
२. श्री रघुनाथ विश्नोई (वि. सं. १२१)	
३. श्री हरिवल्लभ शर्मा (वि. सं. १७९)	

"राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९७० को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में/तीन दिन के अन्दर इसी सत्र में प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी)।"

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा !

श्री शिवनाथसिंह !

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९७० के सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय। माननीय अध्यक्षजी ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : बगैर बहस के ही मन्जूर करते हैं। अपने साथियों से कहें।

श्री शिवनाथसिंह : मैं मनवाने के लिये ही निवेदन कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्षजी, इस अधिनियम में राजस्थान बिक्री-कर अधिनियम, १९५४, राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन-कर अधिनियम, १९५७ और राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, १९६२ को संशोधित करने के लिये प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्षजी, यह राजस्थान बिक्री-कर अधिनियम जब भी पेश किया गया है और करों का सवाल उठा है तब हमारे दिमाग में यह बात आती है कि बिक्री-कर अधिनियम द्वारा पूरा कर वसूल करना चाहिये और वह राज्य के खजाने में पूरा आता है या नहीं ? लोगों में यह धारणा बन रही है कि जितने भी कर वसूल करते हैं और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा व्यापारी लोग सेल्स टैक्स में पूरा वसूल करके बहुत कम खजाने में जमा कराते हैं। इसको चैक करने के लिये अच्छे प्रावधान बनायें और जनता को राहत मिले और उसके द्वारा जनता का जो धन है वह राज्य के खजाने में आ जाय, लेकिन इसको हम नहीं कर पाये हैं। माननीय अध्यक्षजी, मैं यह मानता हूं कि किसी भी राज्य के लिये, किसी भी सरकार के लिये करों की आवश्यकता होती है। लेकिन कर ऐसे प्रिन्सीपल के आधार पर लगाये जायं वे कर वसूल हों और अधिक से अधिक यानी हण्ड्रेड परसेन्ट राज्य के खजाने में जायं एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे को निकाल कर।

(१२:२९ म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आज हमारी धारणा है और सही रूप में उसको मैं मानता हूं कि जितने भी कर वसूल हो रहे हैं चाहे बिक्री-कर हों या दूसरे उनमें चोरियां हो रही हैं और स्ट्रिक्ट एक्शन

(श्री शिवनाथसिंह)

राज्य सरकार नहीं ले रही है। इस अधिनियम के १४ प्रावधानों की ओर संकेत करना चाहता हूं कि वे इस प्रकार के हैं कि जिनसे कुछ रेमिशन्स दिये गये हैं या जो टैक्स इवेजन के आदी हैं उनको छूट दी गई है और इस तरह की कुछ रियायतें दी गई हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा कि रॉ मेटीरियल्स के लिए सेल्स टैक्स में छूट दी गई है किन्हीं इन्डस्ट्रीज के लिए। माननीय उपाध्यक्षजी, हमारे प्रान्त में इन्डस्ट्रीज बढ़ें इसका मैं स्वागत करना चाहता हूं, लेकिन वे इन्डस्ट्रीज जनता की कास्ट पर न बढ़ें। यदि सेल्स टैक्स का रुपया उस हिसाब से इन्डस्ट्रीज के डेवलपमेंट में लगता है तो उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन वह होता नहीं है और जनता से तो पैसा वसूल होता है और इन्डस्ट्रीज बीच में ही मुनाफा खा जाती हैं तो इसके लिए प्रावधान रखा गया है कि सर्टन पीरियड तक, १९७४ तक के लिए रॉ-मेटीरियल एक्जेम्प्ट किया जायगा, उस पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। मैं इसका विरोध करता हूं. इस प्रकार की छूट नहीं होनी चाहिए। इसको रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय आप सहूलियत दे सकते हैं, बिजली के साधन दे सकते हैं; अच्छी साइट दे सकते हैं, रॉ-मेटीरियल पर्चेज करने की सहूलियत दे सकते है, उन को ऋण दे सकते हैं यह सब कुछ हो सकता है लेकिन सेल्स टैक्स से छूट का जो प्रावधान रखा गया है मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। इसलिए मेरी मांग है कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित करने की आवश्यकता है।

दूसरा इसमें सेक्शन ११ (ए) रखा है, कोई व्यापारी अपनी प्रापर्टी को ट्रान्सफर कर देता रहे, जो प्रापर्टी के द्वारा आप टैक्स का रुपया वसूल कर सकते हैं उसका इवेजन करने के लिए वह प्रापर्टी को ट्रान्सफर करके बचना चाहता है। वह सेल्स टैक्स वसूल कर लेता है लोगों से लेकिन राज्य के खजाने में जमा नहीं कराता हैं और जब विभाग द्वारा उस बकाया कर की वसूली होने की स्थिति आती है तो वह अपनी प्रापर्टी दूसरे के नाम से ट्रान्सफर कर देता है और उस प्रापर्टी से रकम वसूल नहीं हो सकती है, इसलिए इसके अन्दर एक नया क्लॉज रखना चाहते हैं। लेकिन इसमें जो प्रोविजन रखा है वह ऐसा खतरनाक है जिससे जो राज्य सरकार की मन्शा है वह पूरी नहीं होगी। मैं इस प्राविजो की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। वह यह है :

"Provided that such charge or transfer shall not be void if made for valuable consideration and without notice of the pendency of the proceedings under this Act."

माननीय उपाध्यक्षजी, इस बात का क्या सबूत है? कोई चोरी करे सेल्स टैक्स की और जानबूझ कर अपनी प्रापर्टी ट्रान्सफर कर और उसकी रजिस्ट्री वेल्युएबल कन्सीडरेशन के नाम से कराये। उसमें लिख दें कि इतना रुपया लिया है, इतने रुपये में बेची है। और बाद में जब फैसला होता है तो कह सकता है कि इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। इसलिए जो प्रावधान रखा है वह टैक्स इवेजर्स के लिए बचने का बेस्ट हथियार है और वे इसका लाभ उठायेंगे। क्या आप चाहते हैं कि सेल्स टैक्स का रुपया लोगों से

(श्री शिवनाथसिंह)

वसूल हो जाय और व्यापारी उसका इवेजन करें और उसके बाद में आप इस प्राविजन से प्रोटेक्शन दें तो इसको कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और न बर्दाश्त करने देंगे। इसलिए इस प्रोविजन को आप हटायें। यह प्राविजो बहुत खतरनाक है।

माननीय उपाध्यक्षजी, इसी तरह का प्राविजो सेक्शन १९ में है। हम यह मानते हैं कि जो कर वसूल होता है, वह राज्य के खजाने में जमा हो और जो उस टैक्स का इवेजन करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो। इसके लिए पीनल कोड में प्रावधान रखा हुआ है और भी कानूनों में है। उनके अन्तर्गत सख्त से सख्त सजा दी जा सकती है। लेकिन इस विधेयक से मालूम होता है कि सेल्स टैक्स आदि का मामला ऐसा है जिसमें सरकार की नीति नरम है। जो टैक्स का इवेजन करता है, उसके लिए मैं कहता हूं कि आई. पी. सी. के अन्तर्गत उसके खिलाफ केस बनाना चाहिए और केस चलाना चाहिए। लेकिन इसके अन्तर्गत जो प्रावधान है उसका मतलब है कि उसको यह छूट दें दें कि टैक्स का पैसा लोगों से वह वसूल तो कर ले लेकिन बिना राज्य के खजाने में जमा कराये उसको बीच में ही खा जाय, उसको राज्य के खजाने में जमा नहीं कराये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो राज्य सरकार टैक्स के मामले में इतनी नरम नीति बरतना चाहती है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपने जो सेक्शन १९ में प्राविजो रखा है उसके पहले अब तक यह स्थिति है कि किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने उसकी ट्राइल हो सकती है और छः महीने की सजा और एक हजार रुपये तक उस पर जुर्माना हो सकता है। लेकिन इसमें आप क्या कहते हैं :

"Provided that no court shall take cognizance of any offence under this sub-section except with the previous sanction of the Commissioner or any other officer specially authorised by the Commissioner in this behalf."

माननीय उपाध्यक्षजी, इस डिपार्टमेन्ट का जो कमिश्नर है उसको इजाजत या उस कमिश्नर के द्वारा दूसरे नामजद किसी अधिकारी की इजाजत के बिना उसकी कोर्ट में ट्राइल नहीं की जा सकती है, पुलिस उसका कागनीजेंस नहीं ले सकती है। यह एक बहुत बड़ी छूट है। मैं समझता हूं कि जिस आदमी के लिए यह पता लगता है कि उसने टैक्स की चोरी की है उसके लिए बचाव का रास्ता रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका तो डाइरेक्ट कागनीजेंस होना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि कहीं भी किसी व्यक्ति के बारे में थर्ड पर्सन को पता लगता है कि फलां व्यक्ति ने टैक्स की चोरी की है तो वह पुलिस में उसकी एफ. आई. आर. दर्ज कर दे और पुलिस द्वारा उसकी तफतीश हो जाय और आगे कार्यवाही हो जाय। लेकिन इस तरह का प्रोविजन रख कर आप उसके लिए बचाव का रास्ता देते हैं जिससे कहीं भी उसका चालान होगा नहीं और न कहीं पर उसकी ट्रायल होगी। इसलिए आप इस बात की ओर ध्यान दें।

इसके अलावा एक दूसरी चीज है, सेल्स-टैक्स के मामले में चोरी की रात-दिन शिकायत होती है और आलोचनाएं होती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इसलिए इस विधेयक

(श्री शिवनाथसिंह)
को राज्य सरकार जनमत जानने के लिए प्रसारित करे और उसके बाद में बहुत अच्छे ढंग से कानून बनाये जिससे कम से कम कानून में चोरी की गुंजाइश रहे। इस प्रकार का विधेयक राज्य सरकार इस सदन के अन्दर लायेगी तो जनता की भावनाओं का भी आदर होगा क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति राजस्थान में ऐसा नहीं है जिसका सेल्स टैक्स से सम्बन्ध नहीं हो। आज हर व्यक्ति से व्यापारी द्वारा सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है लेकिन व्यापारी कन्ज्यूमर और हर आदमी से सेल्स टैक्स का पैसा लेकर बीच में ही खा जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय ....

अब मैं जो दूसरे एक्ट में अमेंडमेंट करे गये हैं, मनोरंजन और विज्ञापन कर....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज! पहले वाले पर विचार चल रहा हैं। दूसरा विधेयक बाद में है।

श्री शिवनाथसिंह : पहले वाले में ही तीनों हैं उसमें ही तीनों एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए कहा है। मैंने पहले वाले के लिए तो कह दिया अब मैं सैकिंड के लिए कह रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तीनों बिल अलग-अलग हैं।

श्री शिवनाथसिंह : एक ही अध्यादेश है, उसमें तीनों हैं।

श्री मथुरादास माथुर : One Act

श्री शिवनाथ सिंह : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसी में सेल्स टैक्स का है और इसी में एन्टरटेनमेंट टैक्स का है। इसके सम्बन्ध में मुझे कहना है कि इसमें भी आपने कम्पाउन्ड करने का प्रावधान रखा है, वह बहुत लीनियेन्ट प्रावधान इसमें रखा है। माननीय उपाध्यक्षजी, जो टैक्स की चोरी करता है, चाहे वह सेल्स टैक्स की चोरी हो और चाहे एन्टरटेनमेंट टैक्स की चोरी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन आपने इसमें प्रावधान किया है कि पांच सौ रुपये में कोई अधिकारी केस को कम्पाउन्ड कर सकता है। यह बहुत लीनियेन्ट व्यू है। मेरा निवेदन है कि जो टैक्स की चोरी करता है उसका चालान होना चाहिए और उसके लिए आपको सख्त सजा रखनी चाहिए। कम्पाउन्ड करने वाली बात से टैक्स की चोरी करने की प्रवृति ठीक नहीं होगी। यह तभी दूर हो सकती है जब कि आप उसको सख्त सजा दें। जो आज एक हजार रुपये की चोरी करता है टैक्स की, वह पांच सौ बड़ी आसानी से दे सकता हैं। मेरा निवेदन है कि चाहे एक रुपये की चोरी हो, चाहे पांच रुपये की चोरी हो, उसका पीनल कन्विक्शन होना चाहिए तब जाकर उसकी यह प्रवृत्ति रुकेगी नहीं तो जो भी टैक्स को चोरी करते हैं वह पैसे वाले ही लोग करते हैं, गरीब कभी टैक्स की चोरी नहीं करते हैं। इसलिए उस पर पैनल्टी रुपये की आप कितनी ही लगा दें उसकी चोरी की प्रवृत्ति नहीं बन्द होगी। इसलिए उसको पकड़ा जाय और उसका कन्विक्शन किया जाय और उसको सजा भुगतनी पड़े, जेल में जाय तब उसकी यह प्रवृति रुकेगी। इसलिए इस टैक्स की चोरी के मामले में कम्पाउन्ड करने की बात को नहीं मानना चाहिए और सख्त से सख्त सजा इसमें रखनी चाहिए।

(श्री शिवनाथसिंह)

तीसरा जो इसमें संशोधन विधेयक है, वह विद्युत् शुल्क की दर में अमेंडमेंट का है। इसमें दो बातें इस विधेयक के द्वारा चाही गई हैं—एक तो रेट ज्यादा की गई है, अभी तक कन्ज्यूमर से कुल मिला कर पचास पैसे प्रति यूनिट तक रेट चार्ज करने का प्रावधान था उसकी बजाय आपने इसमें साठ पैसे कर दिया है, दूसरे जो टेम्परेरी कनेक्शन दिये जाते हैं उसके लिए रेट बढ़ाई है। माननीय उपाध्यक्षजी, बिजली आज एक आवश्यकता की वस्तु हो गई है, हर आदमी इसका उपयोग करना चाहता है। लेकिन आपका जो यह टेक्स है यह लोगों की आवश्यकता पूर्ति में बाधा पहुँचाता है। आप यह कह सकते हैं कि टेम्परेरी कनेक्शन के द्वारा आम तौर पर बड़े-बड़े आदमी ही विद्युत् का उपयोग करते हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि ऐसी बात नहीं है, गरीब आदमी को इस विद्युत् बोर्ड की अव्यवस्था के कारण समय पर परमानेन्ट कनेक्शन नहीं मिलता है, और हर आदमी को परमानेन्ट कनेक्शन के लिए, साल दो साल तक इन्तजार करना पड़ता है। अगर कोई भी कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन दे और उसको इमीजियेटली परमानेन्ट कनेक्शन मिल जाय तो आपकी मान्यता सही हो सकती है लेकिन आज विद्युत् बोर्ड की जो व्यवस्था है, जो उसकी कार्य प्रणाली है उसके हिसाब से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लोगों को आज परमानेन्ट कनेक्शन के लिए दो, तीन, चार साल तक वेट करना पड़ता है। विद्युत् बोर्ड की अजीब प्रक्रिया के कारण आदमियों को परमानेन्ट कनेक्शन नहीं मिलता है। टेम्परेरी कनेक्शन के लिए अगर कोई दरख्वास्त देता है तो वह जल्दी मिल जाता है, जब कि विद्युत् बोर्ड के द्वारा लगाये जाने वाले सामान का सवाल है, मात्रा का सवाल है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। टेम्परेरी कनेक्शन ज्यादातर गरीब आदमियों के यहां होते हैं, उनकी संख्या है वह काफी ज्यादा है। इसलिए इसका भार उन पर पड़ेगा। दूसरे जो आपने रेट बढ़ाई है, पहले जो पचास पैसे थी; इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी मिला कर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज मिला कर पचास थी, अब उसको साठ किया है। यह काफी बढ़ोतरी की है। इसको देखने की आवश्यकता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९७० को जनमत जानने के लिए, जनता द्वारा इस पर विचार करने के लिए प्रसारित किया जाय क्योंकि ये तीनों विधेयक ऐसे हैं जिनका आम जनता से सम्बन्ध है, हर आदमी का पैसा इसमें खर्च होता है। इसलिए इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा। भाषण के समय की सीमा १० मिनिट होगी।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में करों की वंचना दो सौ तीन सौ करोड़ तक की होती है। उसको रोकने के आज तक क्या उपाय किये हैं? आप टैक्सेज बढ़ाये पर आपके इस करों के डिपार्टमेन्ट से जनता में संतोष है या नहीं, यह देखने का क्या कभी आपने प्रयास किया है? मुझे मालूम होता है जिस तरफ पटवारियों से किसान दुखी हैं, ठीक उसी तरह से व्यापारी भी आपके इस डिपार्टमेंट से दुखी हैं। इस बात पर सोचना आपके लिये जरूरी है। किसानों की, मजदूरों की बात करते है पर व्यापारी भी नागरिक हैं, उनके साथ आप कहां तक न्याय करते हैं?

Page No 64

(श्री मूलचन्द डागा)

आपने कहा कि ३० हजार तक सेल्स टैक्स माफ कर दिया लेकिन इस गांव में बैठने वाला छोटा व्यापारी दाल, गुड़ बेचता है, वह भी आपके इस कर डिपार्टमेंट की चपेट में आ जाता है तो ३० हजार तक का मामला आप सेल्स टैक्स में एग्जेम्प्ट करते हैं, वह कहां रहता है। आपने केज्युअल का रखा है, तो गांव में बैठने वाला व्यापारी भी इस केज्युअल में आता है।

राजस्थान गवर्नमेंट ने हजारों व्यापारियों से एडवान्स में छः-छः, आठ-आठ महीने पहले रकम लेली, यह कहां तक उचित है? नहीं देने पर उनके खिलाफ पुलिस की कार्यवाही की जाती है, दुकानों की तलाशी ली जाती है और दूसरी हरकतें की जाती हैं। व्यापारी गांवों में रहते हैं, दाल और गुड़ बेचते हैं, उनको भी हरेसमेंट होता है, यह हम गांवों में रोजाना देखते हैं। व्यापारी आकर कहते हैं तो मैंने कहा कि ३० हजार तक तो सेल्स टैक्स माफ है। इस पर वे कहते हैं कि कहां माफ है, हर एक व्यापारी गांव में दाल रखता है, गुड़ रखता है और बेचता है। तो आपका यह तरीका है इससे व्यापारियों की परेशानी बढ़ती है। टैक्स पेयर्स को यह महसूस होना चाहिये कि वे देश के फायदे के लिये टैक्स देते हैं पर आपके अधिकारियों का यह तरीका है कि जीपों में बैठ कर पांच छः आदमी चले जाते हैं, उनकी दुकानों की तलाशियां लेते हैं, उनकी बहियां ले जाते हैं, इस प्रकार की हरेसमेंट की कार्यवाहियां उनके साथ की जाती हैं। ३० हजार तक माफ करना चाहते हैं तो एक व्यापारी गांव में बैठा है उसको क्यों हरेस करते है? म्युनिसिपैलिटीज में फूड एडल्ट्रेशन के बारे में म्युनिसिपल लिमिट्स तक ही रखा, गांव वालों को एग्जेम्प्ट कर दिया, म्युनिसिपल एरिया में ही रखा। पर आपके इससे गांवों में बैठे व्यापारी भी हरेस किये जाते हैं।

टर्न-ओवर की बात आपने कही। ज्वेलेरी का छोटा-मोटा काम करने वाले हैं उन पर भी यह भार आपने डाल दिया। या तो टर्न-ओवर पर देंगे या २ पर्सेन्ट देंगे। आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम निर्यात को बढ़ावा देना चाहते हैं। बड़े बड़े लोग चाहते हैं कि वहां यह व्यापार करें। जयपुर से करोड़ों रुपयों का माल बाहर जाता है। आपकी इस प्रकार की व्यवस्था से जो बड़े-बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, उन पर कोई भार नहीं पड़ता पर आप छोटों-छोटों को हरेस करते है। इससे बड़े-बड़े व्यापारियों को लाभ और छोटों को नुकसान और हरेसमेंट होगा। आपने पैसेन्जर्स पर टैक्स लगाया है, मैं अभी तक नहीं समझा:

"There shall be levied, charged and paid to the State Government a tax on all passengers and goods carried by motor vehicles, at such rate not exceeding 3% of the value of the fare or freight in case of cemented, tarred, asphalted, metalled, gravel and kankar roads...

३० पर्सेन्ट आप एक दम बढ़ाते हैं।

"In case of cemented, tarred, asphalted, metalled, gravel and kankar roads... यह ३० पर्सेन्ट टैक्स बढ़ता है....

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, यह यात्री कर और माल कर पर बिल्कुल दूसरा विधेयक है, उस पर बहस अभी नहीं है। इसलिये माननीय सदस्य इस पर अलग से बोलें जब यह आये।

Page No 65

श्री मथुरादास माथुर : इसमें तो सेल्स टैक्स, एन्टरटेनमेंट टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये तीन मिला कर एक बिल बनाया है, इस पर अभी बहस हो रही है, पैसेन्जर्स वाला बाद में लेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : तो एन्टरटेनमेंट टैक्स के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह टैक्स म्युनिसिपैलिटीज को मिलता नहीं, म्युनिसिपैलिटीज को इसका बहुत कम पोर्शन, आप देते हैं। कई बार कहा गया कि म्युनिसिपैलिटीज में जो सिनेमा घर हैं उनसे जो एन्टरटेनमेंट टैक्स वसूल किया जाता है वह म्युनिसिपैलिटीज को दिया जाय। जो लोग मनोरंजन करते हैं, यहां राजस्थान में और कोई मनोरंजन के साधन नहीं हैं, गार्डन्स नहीं हैं, न हिल स्टेशन्स राजस्थान में हैं, यहां केवल मनोरंजन का एक छोटा सा साधन है सिनेमा, इस पर आप टैक्स का भार डालते जा रहे हैं। यह आपका टैक्सेशन का तरीका है कि जहां से भी निकल जाय, वहां यह लगा दिया जाय, तो इसका मैं विरोध करता हूं, इसमें बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिये।

गाड़ियों के लिये कहा, एक अफसर डिस्ट्रिक्ट में होता है, इन गाड़ियों को कौन चेक करेगा। गाड़ी का मालिक लिख दे कि इस महीने में मेरी गाड़ी केवल पांच-सात दिन ही चली तो इसको चेक करने के लिये क्या प्रोवधान है, इसकी जांच कौन करेगा? इस तरह से हजारों रुपया गवर्नमेंट को नहीं मिलता है। तो यह भी आपके टैक्सेज की वसूली का एक तरीका है। मैं एक बात कहना चाहता था की टैक्सेज को बढ़ाने से पहले आप सोचें कि जो टैक्सेज लगा रखे हैं उनकी पूरी वसूली होती है या नहीं, टैक्सेज के कारण जनता को हरेसमेंट होता है या नहीं? जिन टैक्सेज के लगाने से आपको पैसा नहीं मिलता है, वैसे टैक्सेज आपको नहीं लगाने चाहियें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र।

(अनुपस्थित)

श्री कृष्ण कुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में हमारे वित्त मंत्रीजी बड़े गर्व के साथ कहा करते हैं कि राज्य की लगभग ५० प्रतिशत आय में सेल्स टैक्स के माध्यम से कर रहा हूं और वे इसकी कभी-कभी कल्पवृक्ष से तुलना कर देते हैं, तो कभी इसे कामधेनु बना देते हैं। यह ठीक है कि कामधेनु को दूहा जाय पर सेल्स टैक्स के लगाने के साथ-साथ क्या कभी राज्य सरकार ने यह विचार किया है कि टैक्सेज के कारण यह भार पड़ता है क्या यह भार उस वर्ग पर पड़ता है जिसमें इस भार को सहने की क्षमता नहीं है? सही स्थिति यह है कि उपभोक्ता जो दिन प्रति दिन की आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते हैं, छोटे कन्ज्यूमर्स पर इनका भार पड़ता है। बड़ों पर टैक्सेज लगायें, इसमें किसी को आपत्ति नहीं, लग्जरी गुड्स जो कहे जाते है, टैक्स का भार उनका उपयोग करने वालों पर पड़े इसमें आपत्ति नहीं पर राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि इसमें इस नीति का प्रतिपादन करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि टैक्सेज की रेट राजस्थान में ज्यादा होने के कारण इन चीजों का व्यापार राजस्थान से छिन कर अन्य राज्यों में चला जा रहा हो।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

आज राजस्थान में कन्ज्यूमर–लग्जरी गुड्स पर टैक्सेशन इतना भारी है कि यह सारा व्यापार राजस्थान से निकल कर दिल्ली की ओर जा रहा है। पिछले समय वित्त मंत्रीजी ने इसको स्वीकार किया था। राजस्थान के कन्ज्यूमर्स इन गुड्स को राजस्थान से न खरीद कर दिल्ली से लायें तो इससे न तो राजस्थान के व्यापारी को फायदा है और न राजस्थान सरकार को ही सेल्स टैक्स का फ़ायदा होगा। चाहे रेफ्रिजिरेटर्स को लें चाहे इलेक्ट्रिक मशीनरी को लें, राजस्थान में जो टैक्स है उसके कारण राजस्थान का कन्ज्यूमर इन सारी चीजों को राजस्थान से न खरीद कर दिल्ली से खरीद कर ला रहा है। राजस्थान के डीलर को ३ परसेन्ट सी फर्म पर देना पड़ता है और ७ परसेन्ट दिल्ली का देना पड़ता है इस तरह से १० परसेन्ट टैक्स हो जाता है। इसलिये दूसरे उपभोक्ता यह सब सामान दिल्ली से ले आते हैं।

कोटा के लिये निवेदन करूं, कोटा में बड़े-बड़े उद्योग हैं, पर वहां जो दुकानदार हैं, जो इन इलेक्ट्रिक मशीन्स, रेफ्रिजिरेटर्स आदि को ले कर बैठे हैं, उनकी बिक्री नहीं होती। सी. फार्म ३ परसेन्ट पर ले कर दिल्ली से सब खरीद रहे हैं। इसलिये मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि इन पर टैक्स लगायें पर व्यापार राजस्थान से छिन कर दिल्ली नहीं चला जाय, इस पर आप ध्यान दें।

आज जैसा कि पाली से आये माननीय सदस्य ने कहा कि सेल्स टैक्स के असेसमेन्ट के लिये व्यापारी की इज्जत लेना, खाता बही जब्त कर लेना, जलील करना और आफिसेज में बिठाये रखना यह रोजमर्रा का काम सेल्स टैक्स डिपार्टमेन्ट का हो गया है। क्या इसी तरीके से व्यापारी को आप विश्वास दिला सकते हैं ? टैक्सों की चोरी नहीं होनी चाहिये इसके हम सब समर्थक हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं होता है कि सेल्स टैक्स के अधिकारी व्यापारी पर आतंक जमा दें जिससे उसको व्यापार करना मुश्किल हो जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी विधान सभा में एक बिल आया था और वित्त मंत्रीजी ने उसकी स्वीकृति चाही थी। एक व्यवस्था है। असेसमेन्ट होता है। उसके बाद उसकी अपील जो सम्बन्धित व्यक्ति है वह डिप्टी कमिश्नर को करता है। पहले जब संशोधन विधेयक लाये थे तब डिप्टी कमिश्नर को अदालत के नाते अधिकार था कि स्टे ऑर्डर कर दे अपील पर लेकिन उस संशोधन के द्वारा वित्त मंत्रीजी ने चाहा कि यह अधिकार डिप्टी कमिश्नर को नहीं होना चाहिये, किन्तु यह अधिकार एडीशनल कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहते हैं। हमने यह आपत्ति उठायी थी कि अदालत जिसमें स्टे ऑर्डर के लिये वह अपील करता है उस अदालत को, डिप्टी कमिश्नर को स्टे का अधिकार नहीं देते हैं तो व्यापारी का अपील करना ही निरर्थक हो जावेगा। असेसमेन्ट कर लिया जावेगा और व्यापारी बरबाद हो जावेगा। उस समय वित्त मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि ऐसा नहीं होगा। स्टे ऑर्डर के लिये अपील कर दी जाय और ओटोमेटिकली रिकवरी रोक दी जाय। उसकी पालना नहीं की गयी। जो हाउस में एश्योरेन्स दिया गया उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, १५ अप्रेल, १६६५ को इस सम्बन्ध में विधान सभा में प्रश्न उठा था। श्रीमान

Page No 67

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
माननीय परसरामजी मदेरणा बिल को पारित करा रहे थे। उनसे पूछा गया कि कहीं ऐसा न हो कि स्टे आॅर्डर मिलना मुश्किल हो जाय क्योंकि डिप्टी कमिश्नर से अपील छीन कर इसको डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहे हैं तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि ऐसा नहीं होगा। माननीय परसरामजी ने जो आश्वासन दिया, वह मैं सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं "मैं माननीय सदस्यों को एश्योरेन्स दे सकता हूं कि राज्य सरकार की तरफ से इस तरह के इन्स्ट्रक्शन्स इश्यू कर देंगे कि जब तक पेन्डिग एप्लीकेशन है तब तक टैक्स का रियेलाइजेशन नहीं होगा।"

अब सवाल रहा पेन्डिग स्टे एप्लीकेशन्स का, टैक्स रियेलाइज न हो उसमें इन्स्ट्रक्शन्स इश्यू कर देंगे क्योंकि एक ही अमेन्डमेन्ट में सब बातें नहीं आ सकती। जब संशोधन लाया गया था तो शक जाहिर किया था कि डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन होगा वहां स्टे मिलना मुश्किल हो जावेगा तो एश्योरेन्स दिलाया गया कि स्टे आॅर्डर की अपील पेन्डिग है तो रिकवरी बन्द कर दी जावेगी। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय डिप्टी कमिश्नर के यहां, एडीशनल कमिश्नर के यहां अपील्स पड़ी रहती हैं, फैसले नहीं होते हैं। असेसमेन्ट अधिकारी, सी. टी. ओ. रिकवरी कर लेते हैं और व्यापारियों को हरेस करते हैं। बोर्ड आॅफ रेवेन्यू का फैसला हुआ वह भी मैं बताना चाहूंगा।

Revenue revision No. 177-1978/ Alwar ST/1968 M/s Kosla Lab. Raghu marg, Alwar through its proprietor Shri B. M. Mehra- V/s State of Rajasthan.

इसके कमेन्ट्स हैं और उसमें उन्होंने यह बात कही है कि जब स्टे आॅर्डर के लिये एप्लीकेशन पेन्डिंग है, उसको इश्यू न किया जाय इस बीच में असेसमेन्ट अधिकारी और सी. टी. ओज. रिकवरी कर लेते हैं उसको रोका है। उसको मैं पढ़ना चाहूंगा।

"A direction is also called for the advisibility of not taking action for recovery when an appeal and an application for stay the recovery is found to be pending with the Commissioner or Dy. Commissioner Administration and in such matters the Stay applications should be disposed of expeditiously."

तो एक ओर कानून के लिये विधान सभा में आते हैं और विश्वास हमें दिलाते हैं कि किसी प्रकार की गैर इन्साफी व्यापारी के साथ नहीं की जावेगी। स्टे आॅर्डर का मौका दिया जावेगा और स्टे आॅर्डर इश्यू न किया जाय तो इन सारे प्रश्नों को वित्त मंत्रीजी को गम्भीरता से लेना चाहिये। विधान सभा में एश्योरेन्स देते हैं कि ऐसे इन्स्ट्रक्शन्स जारी कर देंगे। इन्स्ट्रक्शन्स जारी कर दिये और उनकी पालना नहीं होती है। तो वित्त मंत्रीजी को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिये जो कानून के खिलाफ काम करते हैं।

इसी प्रकार से विधान सभा में संशोधन बिल लाया गया। कानून बनाया गया। रूल्स बने। लेकिन हम देखते हैं कि कानून हम बनाते हैं, कानून में संशोधन

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

होते हैं, उन पर मोहर हम लगाते हैं। आपको अधिकार देते हैं। जो अधिकार वित्त मंत्रीजी और सेल्स टैक्स डिपार्टमेन्ट को देते हैं उसको सेल्स टैक्स के अधिकारी मेन्डेटरी न मानकर डाइरेक्टिव मानते हैं और इसकी शरण लेकर इसको ताक में रख देते हैं। इसलिये यह गम्भीर प्रश्न है कि विधान सभा कोई अधिकार दे, व्यापारी को दें, स्टे आर्डर लेने के लिये और यह सरकार रूल्स में इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट कर देती है कि जो कानून बना है वह धरा रह जाय।

श्री हरजीराम बुरड़क : कोरम नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्य सचेतक को सस्पेन्ड किया जाय।

(गणाभाव सूचक घंटी)

(कुछ माननीय सदस्यों के आने से गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री कृष्णकुमार गोयल : जनवरी ६, १९७० का नोटिफिकेशन है। राजस्थान सेल्स टैक्स (फर्स्ट अमेन्डमेन्ट) रूल्स, १९७० राज्य सरकार ने इश्यू किये और व्यवस्था की जो एक्ट है, सेल्स टैक्स के अमेन्डमेन्ट्स हैं, उनकी धारायें हैं, उनको एक तरफ रख कर जो अधिकार रेवेन्यू बोर्ड के थे, असेसी के थे, अपील में स्टे करने के उनको इस रूल के द्वारा समाप्त करने की कोशिश की है। इस ओर वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें रूल ६ के द्वारा जो व्यवस्था की है वह इस प्रकार है:—

"The existing rule 39 of the said rules shall be numbered as Sub-rule 1 thereof and after that rule the following new sub-rule shall be inserted—

Rule 3- application for revision under sec. 14 in respect of the following—

Cases shall be heard and disposed of by a bench of Board of Revenue consisting of two or more members."

यह उपाध्यक्ष महोदय, इस रूल के माध्यम से एक व्यवस्था की। एक्ट के अन्तर्गत रूल्स लाये। यह व्यवस्था की। रिवीजन सुना जावेगा, उसकी सुनवायी दो मेम्बर्स या बेंच करेगी उससे कम नहीं करेगी। एक्ट में व्यवस्था है, दो जज के द्वारा की जावेगी और आवश्यकता पड़ने पर स्पेशल बेंच रिवीजन कर सकती है। इस रूल के माध्यम से जो एक्ट में अधिकार दिये गये हैं, रूल बना कर राज्य सरकार ने एक्ट के अधिकारों को छीनने का प्रयत्न किया है।

(१ म. प.)

उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन १४ है, उसका सब-सेक्शन २ इस प्रकार है:—

"The Board of Revenue may on an application for revision of order such and such..."

When the application for revision has been made under sub-section 1 or sub-section 2 it shall be subject to such rules as may be made by the Government and be heard and disposed of by the Chairman or any member of the Board sitting singly..

Page No 69

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

यह एक्ट है। इस एक्ट ने अधिकार दिया है रिवीजन करने का और उसको सुनने का, या तो चेयरमैन के द्वारा नहीं तो बोर्ड के किसी एक मेम्बर के द्वारा सिंगली सुनने का अधिकार है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसके पहले इस एक्ट में व्यवस्था थी उसमें दो मेम्बर्स की थी। उसको हटाकर यह सिंगल मेम्बर या चेयरमैन की व्यवस्था की है। उपाध्यक्ष महोदय, पहले जो यह रूल था, इस प्रकार का था:—

"Where an application for revision has been made under section 1 or sub-section 2 it shall be heard and disposed of by a Bench of not less than two members of the Board of Revenue.

प्रारम्भ में यह था, उसको हटाकर उसकी जगह जो मैंने पढ़ा है वह किया गया है। जो अमेंडमेंट है वह यह है :

"By the Chairman or any member of the Board sitting singly..."

इसमें मैं राज्य सरकार से यह पूछना चाहता हूं...

श्री मथुरादास माथुर : और आगे पढ़िये आप।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उसको बाद में पढ़ूंगा। जो इस प्रकार की व्यवस्था आपने By a bench of the Board consisting of two members..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह क्या है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा निवेदन यह है कि हम एक्ट के द्वारा यह व्यवस्था करना चाहते हैं....

श्री मथुरादास माथुर : एक्ट में प्रोविजन है....

"When an application for revision has been made under subsection 1 or 2 it shall be subject to such rules as may be made by the Government in this behalf, and be heard and disposed of by the Chairman or any member of the Board or by a bench of the Board consisting of one or two members."

Therefore how the rules made by the Govt.—under this provision is contravening ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : दो व्यवस्थाएं इस एक्ट के अन्दर रखी हैं—एक है चेयरमैन के द्वारा या बोर्ड के किसी एक मेम्बर के द्वारा या "By a Bench of the Board consisting of one or two members of the Board.

यह आपने व्यवस्था की है जैसा मैंने बताया है आपने शुरू में अमेंडमेंट किया था उसके प्रारम्भ के अन्दर व्यवस्था थी....

"Where an application for revision has been made under subsection 1 or sub-section 2 it shall be heard and diposed of by a Bench of not less than two members of the Board..."

अमेंडमेंट का मतलब यह था कि विधान सभा यह अधिकार दे रही है कि कोई भी व्यक्ति बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रिवीजन के लिए एप्लीकेशन दे तो उसको सुनने का अधिकार चेयरमैन या बोर्ड के किसी मेम्बर को सिंगली होगा और उससे पार्टी एग्रीव्ड हो तो स्पेशल बैंच की अपील कर सकती है। इसका प्रयोजन है।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

"Provided that the Board of Revenue may on an application in writing from the assessee stay the recovery of the amount of tax or any part thereof pending disposal of the application furnishing sufficient security..."

इसका मतलब यह है कि कोई मेम्बर से एग्रीव्ड हो तो....

"Subject to any rules that may be made by the Government in this behalf an aggrieved party shall have the right to make an appeal before the special bench consisting of one or two..."

इस एक्ट के अन्दर अगर मैं सिंगली मेम्बर के सामने अपील करता हूं और वह सिंगली मेम्बर या चेयरमैन सुनवाई करता है और वहां पर मुझे सन्तोष नहीं होता है तो मैं स्पेशल बैंच के सामने इस अधिकार के तहत अपील कर सकता हूं। यह अधिकार था। ये जो रूल्स बनाये गये हैं इनके सम्बन्ध में मेरी मान्यता है, ये रूल्स अल्टरा वायर्स हैं। एक्ट मेन्डेटरी है और रूल्स नहीं हैं। रेवेन्यू बोर्ड के एक फैसले में, अनेकों फैसलों में इस प्रकार के अधिकार हैं। इस आधार पर क्या आप यह चाहते हैं कि लोग हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जावें ? मैं तो यह कहना चाहता हूं कि क्या हम एक्ट के अन्दर विधान सभा के अन्दर जो अधिकार देते हैं, जो व्यवस्था करते हैं, उसमें आपको कोई अधिकार नहीं है कि वह व्यवस्था आप....

श्री मथुरादास माथुर : इससे मैं सेन्ट परसेन्ट सहमत हूं। मुझे यह समझा दीजिये कि जो रूल्स बनाये हैं, जो कानून बनाये हैं, उनमें वे उनके खिलाफ है तो मैं इसका फैसला अभी कर देता हूं। हमको कानून के जरिये, लॉ के जरिये, एक्ट के जरिये हाउस ने अधिकार दिये हैं कि गवर्नमेन्ट कानून बनाये Subject to the rules made by the Government under this sub-section in this behalf फिर यह कहा गया कि इसके अन्दर गवर्नमेन्ट चेयरमैन से अपील रिवीजन सुन लें, सिंगल बैंच से या डबल बैंच से यह बात है। हमने अपने यहां सिंगल बैंच का प्रावधान किया था, हमारा एक्सपीरियेन्स यह रहा कि इससे जो स्टेन्डर्ड हम एक्सपेक्ट करते थे वह नहीं रहा मैं किसी के खिलाफ यह नहीं कह रहा हूं–बाइ एण्ड लार्ज गवर्नमेन्ट को पावर्स है सिंगल बैंच से सुनवाई जावे, डबल बैंच से सुनवाई करवाई जावे। लेकिन गवर्नमेन्ट ने तजुर्बे के बाद ही फैसला किया है, डबल बैंच करने का।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक्ट के अन्दर इनकंसिसटेन्सी है तो...

श्री मथुरादास माथुर : इनकंसिसटेन्सी है तो एक्ट में प्रोविजन भी है "Subject to the rules made by the Government in this behalf.' यह सेन्टेन्स नहीं होता तो आप कह सकते थे। यही कानून की मंशा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कानून की क्या मंशा है यह इन्टरप्रिटेशन आप नहीं करेंगे। मेरी अर्ज यह है कि आपके पास इतना बड़ा लॉ डिपार्टमेन्ट है, उसमें कई लॉ के एक्सपीरियेन्स ऑफिसर्स हैं, आप उनसे कन्सल्ट कीजिये, मिस्टर जोशी है उनसे पूछिये आपको जो पावर दी गई है, वह इनकंसिसटेन्ट है या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : इस कानून का ड्राफ्ट तो मि० जोशी ने ही तैयार किया है। ईट मे बी एनी लॉ, कोई लॉ हो, हम पहले हमारे यहां जो लॉ डिपार्टमेन्ट है इसको कन्सल्ट करते हैं और फिर यह तय करते हैं उसके बाद भी यह अल्ट्रावायर्स हो और इसमें आपको अब भी कोई शंका हो तो मैं किसी भी एक्सपर्ट एडवोकेट से इसको एग्जामिन करवा लूंगा। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कानून हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चेलेन्ज हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम कैसे एडवोकेट हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस प्रश्न को मैं दुबारा इस तरह से लाना चाहूंगा कि एक्ट के अन्दर रिवीजन का प्रावधान है। सुनने के लिये दो अलग अधिकार हैं। एक आपने दिया है। चेयरमैन को चेयरमैन सुन सकता है। दूसरा दिया है बोर्ड के मेम्बर को और आगे दिया है दो से अधिक मेम्बर को यह जो चेयरमैन को सुनने की व्यवस्था थी एक्ट के अन्दर, उसको रिपील करके यह अमेंडमेन्ट लाया गया और उसके द्वारा आगे यह प्रोविजन किया गया, एग्रीव्ड पार्टी स्पेशल बैंच को अपील कर सकती है।

इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो एक्ट की स्प्रिट उसके अनुसार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को स्पेशल बैंच के सामने अपील करने से डिबार हो गया?

श्री मथुरादास माथुर : यह कानूनी पोइण्ट है। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में भी इसी प्रकार का प्रोवीजन था।

Subject to such rules as may be made a case shall be heard by a member sitting singly or more."

यहां अपने यहां पहले भी ऐसा हुआ है। फिर भी मैं इसको दुबारा रिएग्जामिन करने के लिये तैयार हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं आपका ध्यान रूल्स ६ के सब-रूल (४) की ओर वे ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बोर्ड आफ रेवेन्यू का गठन सेल्स टैक्स एक्ट के तहत नहीं हुआ। वह स्टेट्यूटरी बॉडी है। आज आपने सब-रूल ४ बना कर यह व्यवस्था की है।

"Save as otherwise provided in section...the Board of Revenue shall not stay the proceedings pending disposal of a revision."

मैं जानना चाहता हूं राजस्थान सरकार को क्या इस प्रकार के अधिकार हैं? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी एक्ट की अपील को सुनवाई करता है जिसमें इनहेरेन्ट पावर्स हो तो क्या उसको किन्हीं केसेज को देखना चाहिये या नहीं देखना चाहिये? बोर्ड आफ रेवेन्यू किसी को बाउण्ड करना चाहता है तो सेल्स टैक्स एक्ट के सेक्शन १४ (५) के तहत, जो केवल रिकवरी से सम्बन्धित है, स्टे दे तो वह दे नहीं सकता। आपको रेवेन्यू बोर्ड को इसके लिये पाबन्द करने का अधिकार नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं किसी असेसमेन्ट के खिलाफ, किसी जुरिस्डिक्शन को चेलेन्ज करता है, जिसकी अपील प्रोवाइड नहीं है। वह उसके रिवीजन की एप्लीकेशन को लेकर के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाता है कि यह ऑर्डर इल्लीगल है, इसको स्टे किया जाय। तो आपके इस रूल के माध्यम से वह बाउण्ड है, वह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्टे नहीं दे सकता। यह अधिकार रूल्स के माध्यम से राज्य सरकार को किसी प्रकार

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

भी नहीं हो सकते। इस पर भी राज्य सरकार को विचार करना चाहिये।

एक बार राजस्थान सरकार किसी एक्ट पर संशोधन लाकर विधान सभा की मोहर लगवा लेती है। उसके बाद रूल्स के माध्यम से जो कुछ किया जाता है वह डाइरेक्टरी है, यह उनके अधिकारों को अनहू करना है, यह नहीं होना चाहिये। इसका परिणाम यह हो रहा है कॉम्प्लीकेशन्स द्वारा असेसमेन्ट के केसेज में डिले हो रही है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बाद हाईकोर्ट मे जायगा, सुप्रीमकोर्ट में जायगा और कॉम्प्लीकेसीज पैदा होंगी। इस तरह से असेसमेंट फाइनल नहीं हो पायेगा। इस बारे में राज्य सरकार को और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज यह ठीक है कि वित्त मंत्रीजी यह कह सकते हैं कि मैंने टैक्सेशन द्वारा राजस्थान के इन्कम को काफी बढ़ाया है, यह कामधेनु है, आज सेल्स टैक्स डिपार्टमेन्ट के अन्दर जितनी बड़ी फौज खड़ी कर रखी है उसका कोई जस्टिफिकेशन है? आपने सी. टी. ओज. और ए. सी. टी. ओज. को रखा है वह आखिर क्या आधार बना कर रखा है? कितने असेसीज राजस्थान के अन्दर हैं और कितने असेसमेन्ट सी. टी. ओ. और ए. सी. टी. ओ. को फाइनल करने चाहिये? क्या आपने इसका निर्धारण किया? इन्कम टैक्स वालों का जो टर्न ओवर है हर महीने के अन्दर, वह है कि ४०० केसेज को डिस्पोज ऑफ करें। आज राजस्थान के अन्दर २६ सी. टी. ओ. और करीब १५० ए. सी. टी ओ. बैठे हैं? तो क्या इस हिसाब से ढाई लाख असेसीज राजस्थान में हैं। आपने जो इतनी बड़ी फौज बना रखी है उसका जस्टिफिकेशन क्या है? उनके पास क्या काम है? वहां की स्थिति यह है कि कई जगह तो ए. सी. टी. ओज. मक्खी मारते हैं, कोई असेसमेन्ट का उनके पास काम नहीं है। आपने जगह-जगह पर ऑफिसेज बना रखे हैं। मैं कहना चाहता हूं, वित्त मंत्रीजी राजस्थान में जितने ये अधिकारी हैं, इनके पास कितना वर्क लोड होना चाहिये और इनके द्वारा कितना काम किया जा रहा है। क्या कभी आपने यह देखा है? कम से कम आपको १२०० की फिगर रखनी चाहिये जो एक साल मे वे डिस्पोज ऑफ करें। ढाई लाख का असेसमेन्ट क्लीअर करें। इतना वर्क नहीं है। उन्होंने १९६८-६९ तक के केसेज डिस्पोज ऑफ कर दिये हैं फिर भी सर्कल खोल दिया। इस प्रकार से राजस्थान भर में चार स्पेशल सर्कल्स हैं। जयपुर में दो, एक अजमेर और एक जोधपुर में ये आपने स्पेशल सर्कल क्रिएट किये हैं। अजमेर के अन्दर जो आपका सर्कल स्पेशल है उसके कमिश्नर का कार्यक्षेत्र क्या है? कोटा, बून्दी, झालावाड़ और उदयपुर ये चार क्षेत्र हैं इनका हैडक्वार्टर अजमेर रख छोड़ा है। क्या आप इसको उचित समझते हैं? स्पेशल सर्कल अजमेर में रखने में आपका क्या उद्देश्य है? इसी प्रकार से डिप्टी कमिश्नर अपील का कार्यालय भी आपने अजमेर रख छोड़ा है। अजमेर, कोटा, बून्दी, झालावाड़, टौंक, सवाईमाधोपुर इनका जुरिस्डिक्शन है। यह इतना दूर रखा है कि व्यापारी को वहां आने-जाने मे कठिनाई होती है, खर्चा भी उसका ज्यादा पड़ता है। वैसी हालत में इनका हैडक्वार्टर यहां रखने के औचित्य को, मैं

(श्री कृष्णकुमार गोयल):
समझता हूं, आप नहीं बता सकते। बेचारे लोग अपील लेकर डिप्टी कमिश्नर अजमेर के पास आयें। मैं जहां तक समझ पाया हूं इसमें राजनैतिक आधार के अलावा और कुछ नहीं। आपने किसी की कनवीनियेन्स नहीं देखी। व्यपारियों की सुविधा और एफोसियेन्सी को नहीं देखा। जो कार्यालय कोटा जाने वाला था उसको कोटा से हटा कर अजमेर कर दिया है।

सेल्स टैक्स की आमदनी हमारे आय का पचास प्रतिशत है, यह मानकर आपने इसके विभाग जगह-जगह खोल दिये हैं। इसका एस्टेब्लिशमेन्ट इतना अधिक है कि इसका जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां आपने एण्टी-इवेजन ऑफिस बनाया था। उनके लिये डिप्टी कमिश्नर है, सी. टी. ओ. नहीं है। यहीं आपने एण्टी-इवेजन का हैडक्वार्टर रखा था। राजस्थान सरकार ने ऐसा विश्वास दिलाया था कि इससे इवेजन रुकेगा; इसके द्वारा ७५ लाख की आमदनी अतिरिक्त देंगे। मैं वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि डिप्टी कमिश्नर ने कितनी एक्स्ट्रा इन्कम करके दी है। आज भी एण्टी-इवेजन डिपार्टमेन्ट को रखा जाय इसके पीछे क्या जस्टिफिकेशन है?

इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, एण्टी-इवेजन डिपार्टमेन्ट का जो गठन किया है, उसमें पक्षपात की भी कोई हद होती है। इसके लिये स्पेशल सर्कल क्रिएट किया है। जयपुर में जैसे आर. ए. सी. की फौज डाल दी गई है कि चोर और डाकुओं से प्रोटेक्शन के लिये आवश्यक है, इसी प्रकार से आपने सेल्स टैक्स के लिये अमले की फौज बना रखी है।

जयपुर में, उपाध्यक्ष महोदय, दो स्पेशल सर्कल हैं। इसके अलावा जयपुर में सी. टी. ओ., एस. आई. की संख्या ४ है। २६ यहां पर ए. सी. टी. ओज, हैं। एक यहां पर एन्टी-इवेजन का डिप्टी कमिश्नर और स्पेशल सर्किल है। आखिर इतनी बड़ी फौज जयपुर में रखने का आपका क्या मकसद है? क्या काम है इनके पास आपके वर्कलोड के अनुसार इनकी नियुक्तियां हुई हैं? आज मेरे पास सूचना है कि स्पेशल सर्किल नम्बर २ में कोई काम नहीं है। वे ६८ तक के असेसमेन्ट निपटा चुके हैं। पर डिविजन खुला हुआ है। इसके पीछे भी कारण है। आप जिन पर महरबान हैं उनके लिये जगहें क्रियेट करते हैं, उनको ओब्लाइज करने के लिये या अपने सगे सम्बन्धियों को लगाये रखने के लिये। मैं बताऊं उस आदमी का नाम है डी. कुमार। उनके लिये कहा गया कि इनके पास काम नहीं है, इनका ट्रान्सफर कर दिया जावे। उनका ट्रान्सफर हुआ मार्च में। पर बाद में यह कह कर कि साल का आखिरी महीना है, उनका ट्रान्सफर रोक दिया गया, एबेएन्स में रख दिया और बाद में कैंसिल कर दिया। मैं पूछता हूं इसके पीछे सिवाय इसके कि वे आपके नजदीकी होंगे या आप उनको ओब्लाइज करना चाहते होंगे और क्या औचित्य है? चूंकि वे किसी के रिश्तेदार हैं इसलिये उनका जयपुर में रखना जरूरी है। तो यह आपका एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा फिजूल का है। आप हमें सन्तुष्ट करें कि वर्कलोड के अनुसार एक कर अधिकारी को ४०० केस हर महीने डिस्पोज ऑफ करना अनिवार्य है, क्या उतना वर्कलोड है सभी के पास

Page No 74

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

उपाध्य महोदय, जैसा सदन में पहले भी प्रश्न आया झालावाड़ में सी. टी. ग्रो. का ऑफिस था उसे समाप्त कर दिया। हमारी मान्यता है कि ऐसा राजनैतिक आधार पर किया गया है और वहां के लोगों को परेशान करने की एकमात्र नीयत से किया गया है।

श्री मथुरादास माथुर : ऐसा तो मत कहो। खुदा को हाजिर नाजिर रखो थोड़ा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ४० लाख का टारगेट वहां के लिये बनाया और दस लाख अदर रिसोर्सेज से इस तरह ५० लाख का टारगेट रखा था और ४५ लाख के आस-पास वह टारगेट पहुँच भी गया। तो जहां इतनी इन्कम होती है, जहां बड़े-बड़े पशुओं के मेले लगते हैं, सारा एरिया मध्यप्रदेश की बोर्डर से लगा है ऐसी स्थिति में सेल्स टैक्स का ऑफिस वहां बड़ी अहमियत रखता है, पर लोगों से बदला लेने की नीयत से सरकार ने वहां से हटाकर अजमेर में रखा।

अन्त में एक निवेदन और करना चाहूंगा आपने ज्वेलरी पर टैक्स की रेट बढ़ाई है। जवाहरात राजस्थान का एक बड़ा भारी अच्छा उद्योग है। विदेशों में भी इसका महत्व है पर इसको भी इस सरकार ने खतम करने का प्रयास किया है। वित्त मन्त्री ने अपने उत्तर में यह कह कर कि यह धन्धा करने वाले तो लक्षपति और करोड़पति हैं, मिसगाइड किया है। मैं कहता हूं यह टैक्स आपने उन पर नहीं लगाया, उन पर लगाते तो हमें एतराज नहीं होता। वे तो एक्सपोर्टर हैं बड़े-बड़े जिन पर आपके इस टैक्स का असर नहीं पड़ता। यह तो जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं और जो मजदूर हैं, जो अपना थोड़ासा माल तैयार करके उसको बेचते हैं थोड़े-थोड़े, में उन पर है। एक्सपोर्ट वालों पर आपका डंडा नहीं पड़ता। आपने टर्न ओवर टैक्स नहीं लगाया है, सेल्स टैक्स लगाया है। सेल्स टैक्स देने वाले तो मिडिल क्लास वाले व्यापारी हैं या गरीब मजदूर हैं जो रॉ-मैटीरियल से फिनिश माल तैयार करते हैं और थोड़ा-थोड़ा करके बड़े व्यापारी को बेचने जाते हैं। तो छोटे व्यापारी जो टर्न ओवर करते हैं उन पर तो आपने सेल्स टैक्स की व्यवस्था की है, पर जो एक्सपोर्टर हैं उनको छोड़ दिया है। छोटे वालों पर टर्न आवर टैक्स एक पर्सेन्ट से दो परसेन्ट कर दिया है। इसलिये निवेदन करूंगा कि अगर आप छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारी को बचाना चाहते हैं, उद्योग को बढ़ावा देना चाहते हैं तो बढ़ा हुआ यह टैक्स वापिस लेकर पर्चेज टैक्स लगावें, इसका हम स्वागत करेंगे। पर आप यह नहीं कर सकते क्योंकि इसका असर उन लक्षपति और करोड़पतियों पर पड़ेगा और उनको आज आप नाराज करने की स्थिति में नहीं हैं, ऊपर से भले ही आप समाजवाद का नारा लगाते हों, पर भीतर से आप पूरे पूंजीपतियों के गुलाम हो। व्यापार में विश्वास पैदा करना आवश्यक है, टैक्स वाजिब लिया जाना आवश्यक है। इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे भी यह सेल्स टैक्स एक्ट ५४ का बना हुआ है, समय-समय पर इसमें काफी तरमीमें हो चुकी हैं। पर ये तरमीमें ही काफी नहीं हैं, और भी तरमीमों की आवश्यकता है। आज सन् ७० भी आ गया है तो १६ साल के बाद इस सारे ही सेल्स टैक्स एक्ट पर नये

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

सिरे से पुनर्विचार किया जाय। इसके लिये नया सेल्स टैक्स एक्ट तैयार करके पारित किया जाय इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल !

(अनुपस्थित)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा !

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि आज विचारार्थ लिये जाने वाले जितने विधेयक हैं प्रवर समिति के सुपुर्द किये जावें।

इसके पीछे कारण हैं। मेरी मान्यता है कि राजस्थान सरकार इस भावना को लेकर चलती है कि अगर आय के साधन किसी भी प्रकार के टैक्सों के द्वारा हों तो उन साधनों को इस प्रकार से एकत्रित किया जाय कि वे इवेड न हों। उनमें कॉम्पलीकेशन्स नहीं हों। और आसानी से राज्य सरकार का काम भी चलता रहे। पर साथ ही लोक कल्याण चाहने वाली सरकार का यह भी कर्त्तव्य हो जाता है कि जो टैक्स लगाया जाय उनकी वसूली के नियम और कानून कॉम्पलीकेटेड न हों, सरल हों। जनता के लिये उत्पीड़ित न हों।

अभी एक महत्वपूर्ण प्रश्न वित मन्त्री के विचारार्थ प्रस्तुत हुआ। यह इन्टरप्रिटेशन का प्रश्न है। इसको लेकर यह विचार चल रहा है कि जो नियमन किया गया है वह क्या एक्ट की धाराओं से इन्कन्सिस्टेन्ट तो नहीं है। इस कारण नियमन में अपील या रिवीजन की व्यवस्था की गई, वह सही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हमें विचार करना होगा कि जो रिवीजन ऑथोरिटी या अपीलेट ऑथोरिटी इस एक्ट के अन्तर्गत रखी है वह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। इसका कम्पोजीशन सर्वप्रथम आर्डिनेन्स के तहत हुआ। राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट इसके बाद बना और इन सारे प्रावधानों का समावेश राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में किया गया।

अब प्रश्न पैदा होता है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के गठन का प्रावधान है, उस प्रावधान के द्वारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपनी एक इण्डिपेण्डेण्ट दायित्वपूर्ण पॉवर रखता है, जिसे इनहेरेन्ट पावर ऑफ दी कोर्ट कहते हैं।

अब आपके सामने समस्या यह उत्पन्न होती है कि जिस प्रकार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के गठन के समय यह प्रावधान रखा गया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेम्बर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिये, अपील कैसे प्रस्तुत होनी चाहिये और उस पर निर्णय कैसे होना चाहिये यह सारी प्रोसीजरल डिटेल है, और जो प्रोसीजरल मैटर से इसके कॉन्स्टीट्यूशन के समय इनहेरेन्ट पावर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दी गई उसको दूसरे स्टेट्यूट के द्वारा लिया जा सकता है या नहीं या इन दोनों स्टेट्यूट्स के दर्मियान कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, इसके लिये सेपरेट प्रोविजन ऑफ लॉ है, राज्य सरकार उनका निर्माण करके आलरेडी पावर वेस्ट करती है इन सारे

(श्री दुर्गालाल बादवार)

पावर को इनवर्ट करने का अधिकार रहता है तो इन्टरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट क्या है ? इस पर विचार करके चलना होगा।

इस सन्दर्भ में रिवीजन आर्डिनरी प्रोवीजन्स के तहत लेना है या स्पेशल प्रोवीजन्स के अन्तर्गत यह भी देखना है। अगर किसी कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने अपने जुरिस्डिक्शन, जो उसमें वेस्ट करता है, को एक्सरसाइज न किया हो या कोई जुरिस्डिक्शन का ऐसा मसला हो कि कोर्ट में बहस नहीं की जा सके, पर एक्सरसाइज कर लिया है या तीसरी मिसाल ऐसी भी आवेगी इल्लीगल एक्ट की जिसमें जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज किया गया है तब रिवीजन किया जावेगा। क्या इस प्रकार का प्रावधान सेल्स टैक्स के रिवीजन में कोर्ट को दिया गया है अगर नहीं तो यह कन्सिस्टेन्सी का फैसला हो जावेगा कतिपय कारण ये भी हैं।

Regional power by the Board of Revenue has been conferred subject to those provisions. There is a special enactment and I would like to refer through you, Sir, that this is absolut-ly inconsistent. The powers which are conferred under this particular section, I beg to submit before this august House, that they are and the Hon'ble member has to distinguish so far as the two provisions are concerned.

So far as this section 14 is concerned. I want to refer this particular law that the Board of Revenue may call for and examine the records of any proceedings under section 14 of this Act and if it considers that any order is illegal or improper, or erroneous, may pass such order as it thinks fit. The power to a greater extent has been widened enough as far as sec. 14 is concerned. More or less the distinction, as far as the inherent power, which has been conferred under this specific law, is absolutely different.

इसलिये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के गठन में विचार नहीं कर सकेंगे—यह आपको सोचना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके विचारने के लिये, लॉ डिपार्टमेन्ट के विचारने के लिये उत्पन्न हो जाता है और वह प्रश्न यह है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का आर्डिनेन्स के अन्तर्गत या राजस्थान लैंड टिनेन्सी एक्ट के प्रोविजन के अन्तर्गत सिंगल बैंच का फैसला होता है और वह डिविजन बैंच में चला जाता है और वहां दो ऑनरेबल मेम्बर बैठते हैं और दोनों तीनों की राय डिफर करती है तो ट्रायल में फर्स्ट अपीलेट कोर्ट का जो व्यू है उसके प्रतिकूल डिवीजनल बैंच का फैसला आता है तो कारण क्या हुआ ? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आर्डिनेन्स में ही इसका प्रावधान रखा गया है या सब्सिक्वेन्ट राजस्थान लैंड टिनेन्सी एक्ट में रखा गया। यदि ऐसी बात पैदा हो जावे तो ऐसी स्थिति में तीसरे मेम्बर को रेफर किया जावेगा और मेजोरिटी ऑफ दी व्यू जो होगा वही फाइनल होगा। अब तीसरा कॉम्पलीकेटेड पर्सन पैदा हो गया। राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत रखा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इनहेरेन्ट पावर दे दी गई तो तीसरे मेम्बर के पास मामला रेफर किया जा सकता है या नहीं ? राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में सी. पी. सी. के प्रोविजन को भी एप्लाई

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

किया। ९६ सैक्शन आती है इसमें यह कहा गया है कि अगर डिविजन बैंच के सामने दोनों व्यूज डिफरेन्ट हैं तो तीसरे मेम्बर के सामने मेटर रेफर किया जावेगा वरना फेक्चुअल पोजीशन पर अगर किसी का व्यू प्रिवेल करता है तो उस व्यू को ले लिया जावेगा। अब मसला आता है कि बोर्ड आफ रैवेन्यू अपना इनहेरेन्ट पावर तीसरे मेम्बर को रेफर करेगा या आर्डिनरी धारा ९६ के तहत उसकी अपील मन्जूर या रिजेक्ट करेगा।

तो मेरा सबमिशन आपके सामने यह है और मैं यह चीज प्रकट करना चाहता हूं कि जो आपने इनेक्टमेन्ट बनाया है उसके प्रोविजन को आप एक बार फिर पढ़ने की चेष्टा करिये। इससे क्लीयर होगा।

सेक्शन १४ के सब-सेक्शन दो में यह कहा गया है कि:

"The Board of Revenue may on application for revision of an order by a dealer under this Act made within six months of the date of the order; call for the record of the proceedings in which the order complained against was passed and after examining the record, subject to the provisions of this Act, pass such order not prejudicial to the assessee, as it thinks fit:

Provided that an order declining to interfere shall be deemed not prejudicial to the assessee."

Leaving apart, I refer to sub-section 3 where an application for revision has been made under sub-sec. 1 or two be heard and disposed of subject to such rules as may be made by the Govt. in this behalf.

इसके इन्टरप्रिटेशन का प्रश्न आता है। Rules in respect of the inherent powers of the existing powers of the Board of Revenue can be framed.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह का अमेण्डमेण्ट चाहा है क्या सरकार ने? जो यह तो कानून की व्याख्या है। इस पर तो चार दिन बहस हो सकती है। जो संशोधन सामने है, उसी के दायरे में चर्चा होनी चाहिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : एक्सप्लेन तो करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपके पोइन्ट को मैं समझ गया।

श्री मथुरादास माथुर : गोयल साहब ने भी यह पॉइन्ट कह दिया था।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं अपने दृष्टिकोण से रखना चाहता हूं उत्तर देते समय आप बतावें कि इस बारे में लॉ विभाग की क्या मान्यता है? अपील कौन सुनेगा? एक सुनेगा या दो। इस पर विचार करना होगा। राइट ऑफ अपील और राइट ऑफ रिवीजन ये दोनों ऐसे स्टेच्यूटरी प्रॉवीजन्स हैं जिनका खुलासा होना जरूरी है। आपने अमेण्डमेन्ट किया पर इसके उपरान्त भी जो प्रॉवीजन ऑफ दी लॉ रखे वे वैसे ही सक्सेस करते हैं।

"Subject to any rules that the Government may make in this

Page No 78

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

behealf, a party aggrieved by an order of a Single Member shall have the right to make a special appeal to a Bench consisting of two or more Members."

श्री उपाध्यक्ष : यह मामला अभी सदन के समक्ष विचाराधीन नहीं है माननीय सदस्य। सारे एक्ट को तो इस माध्यम से नहीं लिया जा सकता।

श्री मथुरादास माथुर : मैं समझ गया हूं, मैं इसका जवाब दूंगा आपको।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा यह कहना है कि आप इस दृष्टिकोण से विचार कर लीजिये कि यह जो नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है यह अधिकार एकमात्र इस पर दिया गया है कि किस बिना पर स्पेशल अपील हो सकेगी या पहली अपील हो सकेगी। पूरी डिविजन बैंच को जो अधिकार हैं नियम के द्वारा वे ले नहीं सकते। लिहाजा इस कानून में तरमीम करनी होगी।

दूसरा प्रश्न इस सम्बन्ध में जो विचारार्थ उपस्थित होता है वह भी आप देखलें। राजस्थान टैक्सेशन लॉ ७० संशोधित जो सदन के सामने इस प्रकार से आ रहा है और उन संशोधनों में जो नये प्रावधान रखे हैं उसमें क्लाज ५ सी सी और सब-सेक्शन २ ये राज्य सरकार ने सर्व किये। पर इसके साथ-साथ मैं क्लॉज ११ और ए ए ए Transfer to defraud revenue void' है इस पर थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा।

"Where during the pendency of any proceedings under this Act, any dealer creates a charge on or parts with the possession by way of sale, mortgage, exchange, or any other mode of transfer whatsoever, of his immovable property in favour of any other person with the intention to defraud the revenue, such charge or transfer shall be void as against any claim in respect of any tax or any other sum payable under this Act by the dealer as a result of the completion of the said proceedings:

Provided that such charge or transfer shall not be void if made for valuable consideration and without notice of the pendency of the proceedings under this Act."

मैं यह नहीं समझ सका कि आखिर इस प्रावधान के रखने के पीछे राज्य सरकार की क्या भावना है ? ऑडिनरी प्रॉवीजन ऑफ दी लॉ और कामनसैंस ऑफ लॉ से भी एक आदमी गुड फेथ या बोनाफाइडी वे में काम करके चलता है तो उस प्रोविजो के आधार पर आपने जो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट कर दिया है, उस पर ट्रान्जेक्शन में एरर होती है तो इमीजियटली यह बर्डन राज्य सरकार पर रहना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि लेजिस्लेचर को अधिकार नहीं है। वह बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट कर सकता है। प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट में परिवर्तन करने की कोशीश की। एक्साइज एक्ट में यह कोशीश की है।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन यह है कि इस प्रकार के प्रावधान से जो जनता को ज्यादा हैरेसमेन्ट होगा, उस दृष्टिकोण को रखते हुए इसमें आवश्यक संशोधन अवश्य किया जाना चाहिये।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

एक चीज और है। और वह यह है कि राजस्थान एन्टरटेनमेन्ट और एडवरटाइजमेन्ट एक्ट में छोटे संशोधन आये। सिपाही परिश्रम करता है, मेहनत करता है यदि कहीं उसे जाना पड़ता है तो टैक्स वगैरह की असुविधा होती है तो उनको मुक्त कर दिया जाना चाहिये। जैसे हमने कठिन परिश्रम करने वाले विद्यार्थी के लिये सामूहिक रूप से विद्यार्थियों के लिये कन्सेशन का प्रोवीजन रखा है।

एक माननीय सदस्य : अगर इतना लिबरल एटीट्यूड आप लेना चाहते हैं तो सारे सदन के एम. एल. एज. को ही एन्टरटेन्मेन्ट टैक्स से मुक्त कर देना चाहिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : रख देंगे आपका खास तौर से। आपको उनकी ज्यादा चिन्ता है।

तो मेरा निवेदन करना यह था कि इस प्रकार से राज्य सरकार जो भी कानून बनाती है तो उनके पीछे जन-भावनाओं को लेकर देखना चाहिये कि इन कानूनों में कानूनी प्रावधान के साथ-साथ जन भावनाओं का समावेश भी होता है या नहीं होता। प्रवर समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के पीछे भी यही भावना है। यह जांच होनी भी चाहिये कि कितने कानून अधिकांश लोगों की दिनचर्या को उनके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। व्यापारीवर्ग का तबका बहुत थोड़ा है, ऐसी बात नहीं है। काफी लोग कानून से प्रभावित होते हैं। कोई कानून बनता है, उसका इम्पेक्ट जनता पर किस प्रकार होता है, उसका रिएक्शन क्या और किस प्रकार होता है? यह जानना आवश्यक होता है। व्यापारीवर्ग की शिकायतें हमारे पास आती हैं, राज्य सरकार के वित्त मंत्रीजी के पास भी शिकायतें गई हैं। उन पर विचार-विमर्श करने के लिये एक कमेटी का गठन होना अत्यन्त आवश्यक होता है ताकि जितनी समस्यायें हैं, उन पर पूर्णरूप से विचार किया जा सके। जो सुझाव हमारे पास आये हैं और जो हम राज्य सरकार के सामने प्रेषित करते हैं, उन पर विचार किया जा सके। मेरा निवेदन है कि एक विधेयक असेम्बली द्वारा पास किया जाता है वह ऐसा होना चाहिये जिसको चुनौती न न्यायालय में दी जा सके और न किसी प्रकार की आपत्ति हो सके। अतः मैं अपने प्रस्ताव के समर्थन में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुये आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह अपेक्षा करता हूं कि इसे प्रवर समिति के पास भेजने की चेष्टा करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

(अनुपस्थित)

श्री हरिवल्लभ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाईमाधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। मैंने एक संशोधन के प्रस्ताव की सूचना पेश की थी, लेकिन जो संशोधनों की सूची प्रकाशित की है उसमें दुर्भाग्य से मेरा नाम नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं है। मैंने टेबिल ऑफिस से भी जानकारी की कि मैंने संशोधन का प्रस्ताव दिया था, वह इसमें नहीं है तो शायद वे जानकारी कर रहे हैं या क्या स्थिति है, यह मैं नहीं कह सकता हूं, राजस्थान

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक में नाम दिया हुआ है। अलग से तो कोई ऐसा विधेयक नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : है। अलग से है। जिसका अपने यहां पर बिल पेन्डिंग पड़ा हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले से हैं।

श्री मथुरादास माथुर : सोल्जर्स का है, वह अलग है। जो आपका है उसको रैफर किया जायगा। दूसरा यात्री कर है बाकी अमेन्डमेंट हैं। तीन कानून हैं-सेल्स टैक्स, एन्टरटेनमेंट टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह विधेयक विचारार्थ है या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : है। वह भी आ जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह भी विचारार्थ चल रहा है ?

श्री मथुरादास माथुर : अभी नहीं चल रहा है। इसको पूरा कर लें तब उसके बाद उस पर चलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : तीन सूची में लिए हुए ६। राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६९....

श्री मथुरादास माथुर : आज यह पारित हो जायगा तो दूसरा ले लेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह टैक्सेशन लॉज अमेन्डमेंट बिल, १९७० है। उपाध्यक्ष महोदय !

"A Bill further to amend the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957...

ऊपर लिखा हुआ है प्रिएम्बिल में, इसके मातहत इस कानून को भी संशोधित करने की मंशा है-प्रिएम्बिल यह कहता है।

श्री मथुरादास माथुर : एन्टरटेनमेंट टैक्स के लिये एक बिल पहले से पेन्डिंग है और फिर अभी बजट भाषण देते समय बताया कि जो बिल ला रहे हैं उसमें अमेन्डमेंट का भी एक क्लाज मौजूद है, बाकी सेल्स टैक्स का है और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का है। टैक्सेशन अमेन्डमेंट बिल यहां आ गया है। एक है, यात्री कर वाला और तीसरा जो पुराना है एन्टरटेनमेंट वाला-ये तीन हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट एण्ड रीजन्स हैं, १९७० के हवाले में दिया गया है। शायद माननीय यशवन्तसिंहजी मुझ से सहमत हैं कि किसी कानून में क्या संशोधन कर रहे हैं, इसका उल्लेख करना आवश्यक है।

श्री मथुरादास माथुर : किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें कहीं नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य से निवेदन है पहले जितने प्रस्ताव हैं उनको आप स्वयं देख लीजिये, उसके बाद कहेंगे तो उचित होगा, आपने पढ़ा नहीं है तो किसी....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एन्ड रीजन्स है जो एन्टरटेनमेंट का है, ये संशोधित करना चाहते हैं। उसका

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
कोई भी हवाला स्टेटमेंट ग्रॉफ ग्रॉब्जेक्ट एण्ड रीजन्स में नहीं दिया गया है, जो दिया जाना जरूरी है ग्रौर स्टेटमेंट ग्रॉफ ग्रॉब्जेक्ट एण्ड रीजन्स में ग्राप नहीं बतायेंगे तब तक कैसे संशोधन करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : यह पुरःस्थापित किया जा रहा था, उस समय एतराज होना चाहिये था।

श्री मथुरादास माथुर : यह इनसिग्निफिकेन्ट है। मेन-मेन मुद्दे ग्रा गए हैं। इसमें कोई नोटिस की बात नहीं है, ख्वामख्वाह की बात है, वह तीन नम्बर का बिल ग्राने वाला है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह ग्रलग से है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिवल्लभ शर्मा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में अपना यह प्रस्ताव रखा है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। अब राज्य सरकार ने कुछ तो फाइनेन्स प्रपोजल्स, जिनको यहां पर ग्रपने बजट भाषण के दौरान रखे हैं, को, इनकोरपोरेट किया है लेकिन साथ ही उस एक्ट के दूसरे सेक्शन्स हैं उसमें भी संशोधन चाहा है। इसलिये मेरा यह प्रस्ताव है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। मैंने जिस समय बजट पर जनरल डिबेट हो रही थी, उस समय भी मैंने करारोपण के सम्बन्ध में कुछ मुद्दे सरकार के सामने रखे थे लेकिन या तो वित्त मंत्रीजी थे नहीं या वे सुन नहीं पाये क्योंकि उनके जवाब में, जो बातें मैंने उठाई थीं, उनका उत्तर नहीं मिला। इसलिये मैं संक्षेप में पहले उन मुद्दों को उठा देना चाहता हूं ग्रौर मुझे ग्राशा है, उनका ग्राज जवाब मिलेगा। यह बात सही है कि बिक्री-कर सरकार के लिये कामधेनु है लेकिन यह भी बात सही है कि उस कामधेनु की हिफाजत रखना, उसकी सुविधा का खयाल रखना भी सरकार का परम कर्त्तव्य है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि ग्राजादी के पश्चात् दोषी लोग जो थाने में हाजिरी भरा करते थे वे तो माफ हो गये लेकिन व्यापारियों को इतना सन्देह से देखा जाता है, उनको इस प्रकार की संज्ञा दी जाती है, इतना कड़ा व्यवहार उनके साथ किया जाता है कि जो व्यापारी कर की चोरी नहीं करना चाहता है, जो स्वेच्छा से कर चुकाना चाहता है उसको भी हजारों रास्ते दूसरे ग्रख्तियार करने पड़ते हैं।

(२ म.प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति पदासीन)

जैसा मैंने निवेदन किया असेसमेंट के टाइम पर तो दिक्कत होती ही है लेकिन जब मार्च का महीना ग्राता है, यह महीना व्यापारियों के लिये बड़ा कड़ा होता है। वित्तीय वर्ष का ग्रन्त होने के कारण राज्य सरकार के ऊपर वित्तीय भार ग्रधिक रहता है ग्रौर सारी कमजोरी का निचोड़ इस फरवरी ग्रौर मार्च महीने में ग्राकर पड़ता है। होता क्या है, ग्रधिकारी लोग वक्त पर ग्रसेसमेंट करके कर की वसूली नहीं करते, उसके बजाय सरकार से ग्रांकड़े फिक्स कर दिये जाते हैं कि इस जिले से १० लाख रुपया, इस जिले से २० लाख रुपया, जयपुर जिले से ५० लाख रुपया इकट्ठा होना

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

चाहिये और इस प्रकार टैक्सेज के लिये एक प्लाटून बाजारों में निकलती है और बेचारे व्यापारी जैसे कोई भूत से डरकर भागता है, उस तरह से अपने कागज छोड़-छोड़ कर भाग जाते हैं। तो आखिर आप में यह अविश्वास क्यों ? समय पर असेसमेंट हो जाये तो ३१ मार्च के पहले-पहले फरवरी और मार्च के आखिर में एडवान्स टैक्स वसूल करना पड़ता है, वह नहीं करना पड़े। लेकिन आखिर एडवान्स टैक्स में भी कोई बात नहीं है क्योंकि कर तो पहले भी देना है और पीछे भी देना है, व्यापारी थोड़ा नुकसान उठायेगा लेकिन असेसमेंट हो जाने के बाद जब उनके रिफण्ड का प्रश्न होता है तो, सभापति महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पांच-पांच और छः-छः वर्ष के एडवान्सेस जमा हो जाते हैं और उनका पांच-पांच और छः-छः वर्ष तक रिफण्ड नहीं हो पाता है। आयकर विभाग में भी एडवान्स टैक्स का कायदा है और पिछले वर्षों में कई एडवान्स टैक्स लिये गए। अब भी जमा कराने का कायदा है लेकिन असेसमेंट के समय जितना कर बनता है उसको ले लिया जाता है और जिस समय असेसमेंट ऑर्डर डिस्पेच होता है, रिफण्ड बिल भी साथ ही साथ उसी समय दे दिया जाता है। तो आयकर के अधिकारी अगर एडवान्स टैक्स लेते हैं या जिस समय नोटिस जाता है उस समय लेते हैं तो किसी भी असेसी को दिक्कत नहीं होती है। वह खुशी से जमा कराता है और वह जानता है कि कुछ महीनों में असेसमेंट हो जायेगा और जैसे ही असेसमेंट होगा साथ ही साथ रिफण्ड ऑर्डर भी मिल जायेगा। इसलिये उसको देने में भी गुरेज नहीं होता। लेकिन जहां सेल्स टैक्स का एडवान्स जमा कराने का सवाल आता है तो व्यापारी समझता है कि यह पांच हजार दे रहा हूं पता नहीं कब लौटेगा और प्रति वर्ष यह प्रक्रिया चलती रहती है। परिणाम यह होता है कि एक-एक व्यापारी का १०-१५ हजार रुपया दो-तीन वर्ष तक एडवान्स के रूप में पड़ा रहता है और रिफण्ड नहीं हो पाता है। यह प्रक्रिया सेल्स टैक्स की है और इसमें बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए आपको नियमों में इस प्रकार का निश्चितरूप से प्रावधान करना चाहिये कि असेसमेंट हो जाने के बाद जितनी रकम बनती है उसका भराव दिये जाने के बाद साथ ही साथ में रिफण्ड ऑर्डर दे दिया जाये और उनकी रकम उनको वापस दे दी जावे। यह हो सकता है कि आपकी भी पालिसी ऐसी हो कि कुछ तो एडवान्स टैक्स के नाम से लिया जाता है तो जितना वाजिब टैक्स होता है उसका दुगुना या तिगुना तो एडवान्स मिल जाता है और ३१ मार्च या अप्रैल तक जब तक आपका दूसरा वर्ष आरम्भ नहीं हो जाये, अमानत के रूप में काफी रकम पड़ी रहती है। तो आपके भी हाथ मजबूत हो जाते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया से असेसी का विश्वास घटता है। इसलिये इस विषय में प्रावधान होना जरूरी है।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता था, सभापति महोदय, वह यह है कि असेसमेन्ट अधिकारी असेसमेन्ट करता है लेकिन प्रत्येक अधिकारी के विरुद्ध जो अपील जाती है उस अपीलेट अथॉरिटी को बिलकुल इतनी दूर रख दिया है कि राइट ऑफ अपील को आपने बिलकुल डिनाई कर दिया है। जिस प्रकार से सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के लिये असिस्टेन्ट कमिश्नर सेल्स टैक्स के यहां

Page No 83

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

अपील होती हैं और उसका हैडक्वार्टर आपने अजमेर में रख दिया है। मेरे ख्याल से वित्त मन्त्री जी बातों में लगे हुए हैं....

श्री मथुरादास माथुर : नहीं, नहीं। एक-एक बात सुन रहा हूं। वित्त मन्त्री के कान भी है, हाथ भी हैं और मुंह भी हैं, सब हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, टोंक डिस्ट्रिक्ट और कोटा डिस्ट्रिक्ट सब की अपीलेट ऑथोरिटी अजमेर रहती है और अजमेर उसका हैडक्वार्टर है। अब छोटे-छोटे व्यापारी अजमेर जाकर अपील करें तो उनको कितनी दिक्कत आयगी। मुझे समझ में नहीं आती कि जैसा इन्कम टैक्स विभाग में है कि अपीलेट ऑथोरिटी का हैडक्वार्टर जो सर्किल बना हुआ है, उसके मध्य में रहता है ताकि सारे असेसीज को पहुंचने में सुविधा हो। और राइट ऑफ अपील जो स्टेट्यूट में दी है तो आसानी से और कम से कम व्यय में और सुविधापूर्वक अवेल कर सके। लेकिन जयपुर वाले जो अजमेर जायेंगे और अजमेर वाले जयपुर आयेंगे और सवाई माधोपुर, टोंक और कोटा वाले अजमेर जायेंगे, इस प्रकार से जो आपने हैडक्वार्टर्स रखे हैं, यह अनुचित है, अतः जो सर्किल बनाये गये हैं और जो जूरिस्डिक्शन रखा गया है अधिकारियों का उसके सेन्टर में उसका हैडक्वार्टर रहना चाहिये।

दूसरी बात एक अजीबो-गरीब सेल्स टैक्स विभाग में चल रही है। जैसा माननीय सदस्य श्री कृष्णकुमारजी गोयल ने कहा था कि अपील तो अजमेर कीजिये लेकिन उस रिकवरी का स्टे लेना है तो स्टे के लिये जाना पड़ेगा सवाई माधोपुर वाले को कोटा। तो अपील सुनने वाला अधिकारी बिलकुल अलग और स्टे देने वाला अधिकारी बिलकुल अलग। यह जुरिस्पुडेन्स के बिलकुल विपरीत बात है कि जिस अधिकारी को अपील सुनने का अधिकार है वही अधिकारी स्टे ऑर्डर दे सकता है लेकिन हमारे वित्त विभाग की तो अजीब बात है, अपील कोई सुने और स्टे कोई दे। असेसी बिचारा अपील भी करता है तो उसको स्टे नहीं मिलेगा और स्टे मिलेगा भी तो बहुत दिक्कत से मिलेगा. और उसके पहले पहले उससे किसी न किसी प्रकार से राशि वसूल हो जाये तो यह जो अविश्वास का वातावरण करदाता और सरकार के बीच में बनता जा रहा है, इन नीतियों के कारण वह दूर किया जाना चाहिये और इस प्रकार का वातावरण बनाया जाना चाहिये ताकि व्यापारियों को विश्वास में लाया जाये। वह विश्वास तभी आ सकेगा जब कि उनके साथ में अच्छा व्यवहार हो। हां, जो कर की चोरी करे उसके साथ में आप सख्ती से व्यवहार करें लेकिन जो कानूनी अधिकार हैं, वह सब को बराबर मिलने चाहियें और इसी ढंग से मिलने चाहियें कि जिससे उसका कम से कम खर्चा हो। यह नहीं हो कि जैसे जुडीशियल केसेज के लिये बहुत बड़ी दिक्कत बेचारे पूर्वी राजस्थान के लोगों को पड़ रही है कि उनको जोधपुर हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, इसी प्रकार से माननीय वित्त मन्त्रीजी ने अपने विभाग में कर निर्धारण के आदेशों के विरुद्ध भी अपील का ऐसा ही प्रावधान रखा है कि बहुत दूर-दूर हैडक्वार्टर्स रखे हैं ताकि वह परेशान हों और अपील के राइट को अवेल (avail) नहीं कर सके।

मुझे निवेदन करना है कि आपने जो अधिकार दिये हैं और इसके अन्दर भी

(श्री हरिवल्लभ शर्मा
द्वारा संशोधन ला रहे हैं कि बहीखाते जब्त करने के बारे में। सभापतिजी, आज जो संशोधन लाया गया है इस विधेयक के द्वारा वह है कनविक्शन या ऑफेन्स ऑफ ट्रायल किस प्रकार से होगा और कोई भी बहीखातों की जब्ती में बाधा डालता है या दूसरे एक्ट्स या प्रोवीजन्स रखे हैं कि जिसको पीनल ऑफेन्स माना जाकर उसके ट्रायल और कनविक्शन का प्रावधान रखा है····

श्री सभापति : कौनसा क्लॉज है ?

श्री हरिवल्लभ शर्मा : सेक्शन १६ में अमेन्डमेन्ट लाना चाहते हैं इसका क्लाज है कि इस प्रकार से सीज वगैरह में बाधा डालेगा····

श्री सभापति : क्लाज ८ है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मैं पढ़कर सुना देता हूं।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, उसमें है। आप भाषण जारी रखें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : क्लॉज ९ है।

इसमें, मैं निवेदन यह कर रहा हूं। बाधा डालने वालों के लिए तो आपने ऐसा पैनल क्लॉज रखा है, लेकिन उन अधिकारियों के बारे में क्या आपके इन अधिनियमों एवं उपनियमों में प्रावधान है कि अधिकारी व्यापारी को रसीद दे नहीं और उसके बही-खाते जब्त कर लें। सरकारी रेकार्ड में कोई भी ऐसा रजिस्टर या रसीद-बुक का सिस्टम नहीं है कि जिससे यह मालूम पड़े कि किस तारीख को बही-खाते जब्त किये गये और फिर महीनों तक नहीं देते हैं, महीनों तक रिटर्न नहीं करते हैं और सारा कामकाज व्यापारी का सारे का सारा ठप्प। सभापति महोदय मुझे जरवाई का एक ऐसा केस मालूम है जिसमें एक व्यापारी के अधिकारी ने बही-खाते जब्त किये और तीन वर्ष तक पूरे बही-खाते नहीं लौटाये। उसको इनकम टैक्स में बाकायदा रिटर्न देना पड़ता है। बही-खाते लौटाये नहीं तो वह रिटर्न नहीं भर सका। वहां पर दरख्वास्तें देता रहा। आकर अधिकारी ने कहा कि हम कुछ नहीं जानते और बिक्री-कर अधिकारियों ने किसी ने सुना नहीं। परिणाम यह हुआ कि इसका एक्स-पार्टी डिसिजन हुआ और उसके ऊपर लाख डेढ़ लाख का इनकम टैक्स बन गया और आखरी परिणाम यह रहा कि वह फर्म खत्म हो गई। सारे टैक्स के रुपयों में उसके सारे मकान कुर्क होने पर वह बरबाद हो गया। तो आप एक अधिकार बहुत बड़ा दे रहे हैं। आपके लोग जितना नियमित पीरियड है उससे अधिक समय तक बही-खाते अपने पास में रखते हैं तो पैनल क्लाज उन पर भी किसी किस्म का होना चाहिए। ऐसा मेरा सुझाव है। जहां कहीं आपने डिस्क्रीशन पर छोड़ दिया तो मशीनरी इस तरह की है कि वह बिलकुल गड़बड़ है। जिससे व्यापारियों को हैरेसमेंट होता है और राज्य सरकार के पास और राज्य के खजाने में कुछ आता नहीं। आपस में सौदा होता रहता है और जब तक सौदा तय नहीं होता है तब तक रिटर्न नहीं करते हैं और एक्सट्रैक्शन की संज्ञा में मामला आ जाता है और उससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। राज्य कोष के हित में आप इस तरह का प्रावधान बना रहे हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग कम से कम हो पाये इसके लिए आपको किसी न किसी प्रकार का नियमों में प्रावधान रखना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

Page No 85

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं चैकपोस्ट्स के बारे में। मैंने पहले भी निवेदन किया था। चैकपोस्ट के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि बिक्री-कर जब माल बिकता है तब होता है। ये चैकपोस्ट्स जो म्युनिसिपल एरिया के बाहर लगे हुए हैं, बेचारे किसान मंडियों में गल्ले की गाड़ियां लेकर जाते हैं तो चैकपोस्ट के ऊपर उससे वसूली कर लेते हैं। स्टेशन से माल छूटा और शहर में जाने वाला है तो वहां पर चुंगी कर है और चुंगी कर के पहले ही चैकपोस्ट पड़ता है तो वहां पर माल रोक लेते हैं और घंटों ही रोके रखते हैं और व्यापारियों और उनके बीच में झगड़ा होता है। इस प्रकार के केसेज बहुत हुए हैं। तो इन सब के लिए निवेदन करना है कि चैकपोस्टों से क्या लाभ मिलता है? मेरी समझ में नहीं आता। वह ज्यादा से ज्यादा माल कितना जा रहा है, वह रेकार्ड कर लें। किसी मेले में अगर मवेशी जाते हैं तो उनको चैक कर सकते हैं कि यह मवेशी लेकर जा रहा है तो वह टैक्स देकर ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है, लेकिन अर्थ का अनर्थ करके जो माल बिका नहीं और केवल मंडियों में ले जाया-जाय और स्टेशन से छूटकर गोडाउन्स में माल जाने वाला है उस पर भी बीच में टैक्स वसूल करने की जरूरत करते हैं। यह बिलकुल रोका जाना चाहिए, और उनको खासतौर से इन्स्ट्रक्शन्स इस बात के लिए मिलने चाहिए कि वे इस प्रकार से नोट कर सकते हैं कि माल किसका है, कहां से आया है और कौन ले जा रहा है। इतना वह बनालें। २० रुपये टैक्स का बनता है और मान लिया कि दे दें तो ठीक और १० मांगते हैं और उसमें मामला निबट गया तो ठीक नहीं तो चार घन्टे तक सुनते ही नहीं हैं। अगर ट्रक में माल है तो ट्रक पड़ा रहता है। इस प्रकार से जो चुंगी चौकियां कायम हैं, उनसे किसी प्रकार की उस क्षेत्र में व्यवस्था नहीं होती है और अशान्ति फैलती है।

मुझे आखिर में यह निवेदन करना है कि यह जो अपील अधिकारी के हैडक्वार्टर्स हैं वे बिलकुल बीच में होने चाहिएं, क्षेत्र के मध्य में, और खास तौर से एक ही अधिकारी जो अपील सुनता है स्थगन आदेश देने वाला भी वही अधिकारी होना चाहिए, इस प्रकार के प्रावधान इन नियमों में किये जाने चाहिएं। जो नियमों में प्रावधान सेपरेट किया गया है वह इस एक्ट के विपरीत है और बिलकुल अल्ट्रा वायर्स पड़ता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्थान ग्रहण करता हूं और यह सुझाव देता हूं कि यह बिल प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि इस को चारों तरफ से अच्छी तरह से समझ कर फिर रिपोर्ट सदन के सामने आ जाय तब फिर इस पर विचार किया जाय।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): सिर्फ एक मिनिट।

सभापति महोदय, कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे थे जो रह गये हैं और नहीं आ पाये हैं जो कि कल मैंने दिये थे। उसकी मैं जांच नहीं कराना चाहता हूं। मैं ५ मिनिट ही जनरल बिल पर बोलकर फिर उसके बाद में क्लाजवाइज डिस्कशन के वक्त निवेदन कर दूंगा।

गत वर्ष भी इस सदन में सेल्स टैक्स अमेंडमेंट आया था तब माननीय वित्त मंत्री

Page No 86

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

महोदय ने एक बात फरमाई थी कि इसका नया खाका बनाया जायगा। यह सेल्स टैक्स तो ऐसा लगता है कि मेरे ख्याल से जंगल है जंगल। जंगल ही नहीं इसमें दावानल लगा हुआ है और दावानल से आदमी बच कर निकलने की कोशिश करता है तो बच नहीं सकता है। यह टेरेलिन के कपड़ों को इस तरह से पकड़ लेता है कि शरीर तक ही जल जाता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दुबारा तीनों को लेकर शुरू कर दिया. इन्सीडेन्ट ऑफ टैक्सेशन तो ५ हजार, २५ हजार और ३० हजार....

श्री सभापति : जो टेरेलिन नहीं पहनते हैं, वे बच जाते हैं ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : कपड़ा नहीं हो तो वह.....

श्री जयनारायण खालोदिया : खादी के कपड़े अक्सर बच जाते हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : खादी का भी कहीं नहीं बचेगा।

यह प्रिन्सीपल है जितने भी टैक्सेशन के स्टेट्यूट्स हैं, वह कर लगाने वाले कानून के विषय ऐसे हों कि साधारण आदमी भी पढ़ सके और समझ सके कि क्या मुझे देना है और क्या सरकार को लेना है। लेकिन मैं समझता हूं कि एल. एल. बी. करने के बाद भी इस जंगल में अपने आपको ढूंढता फिरूं तो पता नहीं लगता है कि मैं कहां हूं। मेरा ज्ञान अधूरा है। वकालत करते हुए २० साल हो गये तो भी अधूरा ही रहा, और इस कानून को समझने के लिए एक महान विभूति पैदा करनी पड़ेगी जो इस पृथ्वी पर नहीं के बराबर है। वह जो फिगर दिया है कि इतने हजार ऐसेसीज बढ़ते चले जा रहे हैं और इतने हजार का टैक्स बढ़ता चला जा रहा है। वह टैक्सेशन के एसेसीज कहां से पैदा हो रहे हैं वह समझ में नहीं आता है। तो निर्देशक या इन्सपेक्टर ऑफ पोस्ट करते हैं तो एसेसीज कभी ५ हजार के पकड़ लिए तो कभी २५ हजार के और कभी ३० हजार के पकड़ लिये और ५-२५-३० के बाद फिर उसमें सेक्शन, फिर उप-सेक्शन, फिर परन्तुक और फिर परन्तुक और परन्तुक में परन्तुक। इसके बारे में एक कहानी याद आ गई जो कि मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि हमारे मांडलगढ़ में एक कहानी है वहां पर बरड़ा कहते हैं बड़ को। बरड़ा रे बड़ा जिसमें से निकला मोतीलाल दरड़ा। दरड़ा को ले गया बाघ जिसमें से निकला फूलचन्द डाग....

एक माननीय सदस्य : नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : र....रा....आगे होता तो नाहर होता। इस कानून में इतने बड़े सैक्शन और उप-सैक्शन हैं मैं इसको मानता हूं लेकिन जैसा कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह फरमाया कि इस कानून को देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि करारोपण विभाग कि जो इसमें खामियां थी, लोकेज थे, उसकी पूर्ति करने को कोशिश की है। मैं यह नहीं मानता इसको। मानता यह हूं कि जिन लोगों ने इस कानून को बनाया है, कानून का निर्माण, मैन्युफैक्चर और पता नहीं क्या-क्या करने का प्रयत्न करते हैं, वे अपने आपको इससे भ्रमित करते हैं।

इससे पहले मैं एक यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने अपने यहां पर जो भूतपूर्व सेल्स टैक्स कमिश्नर साहब थे, उनका

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

भाषण सुना था। वह अमेरीका गये थे और हमारी सरकार ने भेजा था। वे अमेरिका में देखकर आये थे कि वहां पर सेल्स टैक्स कानून क्या है। मुझे मालूम पड़ता है कि सेल्स टैक्स का जो उन्होंने हवाला दिया है वह चाहे अमेरिका में रहे जब तक उनके दिमाग में रहा और उसके बाद गायब हो गया। समुद्र के बीच सात समुद्र आ गये तो सात समुद्रों ने उनकी बुद्धि के विकास को गायब कर दिया। उन्होंने बताया कि अमेरिका में व्यापारियों से पूछा कि सेल्स टैक्स के रिटर्न कैसे पेश करते हैं? इसके लिए वह बाजार में गये और जो काउन्टर पर एक लड़की बैठी हुई थी उससे पूछा कि रिटर्न कैसे पेश करते है? उससे मालूम हो कि जितने व्यापारी हैं, वह समय पर अपना रिटर्न पेश करती हैं, उससे आधार पर यह कह दें कि वहां के व्यापारी ईमानदार होते हैं। मैं यह मानता हूं कि वहां लाखों-करोड़ों का टैक्स बनता है वह रिटर्न पेश कर देते होंगे किन्तु हमारे देश में, गांवों में जिस व्यापारी का व्यापार पांच सौ का होता है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, तो उसको रिटर्न पेश करने में दिक्कत आ सकती है। इसके साथ ही मैं यह मानता हूं कि आपने जो ज्यादा टैक्स लगाया है उसमें यह कह कर नहीं बच सकते कि हमने ऐसा टैक्स लगाया है जो गरीब आदमी पर नहीं पड़ता है। यह नहीं कह सकते क्योंकि चाय पर भी टैक्स लगाया है-तो वह गरीब आदमी नहीं पीता है क्या? लेकिन आपके जो नियम हैं और प्रिन्सिपल हैं कि गरीब आदमी पर भार पड़ता है तो उसको कुछ राहत दी जाय तो वह केवल सर्विस क्लास के लिए है, जो हमारे राजस्थान में केवल तेरह लाख के करीब हैं। अब अगर सर्विस क्लास पर टैक्स बढ़ जाता है, जैसे चाय के बीस पैसे के बजाय में २४, २५ या २६ पैसे हो जाते हैं तो वह तनख्वाह बढ़ाने की मांग करते हैं, मंहगाई भत्ता बढ़ाने की मांग करते हैं। आप तनख्वाह और मंहगाई भत्ता बढ़ा देते हैं, फिर उसी हिसाब से टैक्स बढ़ा देते हैं और फिर तनख्वाह और मंहगाई भत्ता बढ़ाने का एक सिलसिला चलता है। इस प्रकार यह एक विसिअस सर्किल बनता है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस सेल्स टैक्स के लिए मंत्री महोदय ने फर्माया था अपने भाषण को - इतना बड़ा कानून का जंगल है कि अधिकारीगण उसको पूरी संभाल नहीं कर पा रहे हैं। मैं निवेदन कर दूं कि इस कानून के जंगल का हमें भी अनुभव है, हमारे भी दिमाग भी है, उस अनुभव और दिमाग से सरकार को लाभ पहुँच सकता है। इसलिए आयन्दा इस असेम्बली को अपने विश्वास में ले कर आप राजस्थान का कल्याण कर सकते हैं और अधिक से अधिक सेल्स टैक्स का मामला सरल और आसान कर सकते हैं। तो एक तो मेरा यह निवेदन है कि जो टैक्स इन्सिडेंस है, वह बहुत ज्यादा है।

इसके अलावा मैं एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि टैक्स का असेसमेंट हो जाने के बाद में एक अजीब सा प्रोविजन इसमें किया गया है कि अपील पर ऑर्डर देने की तो शक्ति अपीलेट ऑथोरिटी को है लेकिन वह स्टे नहीं दे सकता। टैक्स इवेजन नहीं हो-यह समझना सही हो सकता है, और मैं इसको एडमिट करता हूं। लेकिन किसी व्यक्ति ने अपील की है और उसमें कितना भी वजन क्यों न हो लेकिन अपीलेट आथोरिटी के पास यह अधिकार नहीं है कि वह उस पर स्टे ऑर्डर

Page No 88

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

दे सके। व्यापारी के लिए यह लाजमी है कि वह टैक्स का रुपया जमा कराये। जो अधिकारीगण हैं, कमिश्नर और डिप्टी-कमिश्नर उनके लिए कानून में यह मान लिया गया है कि इन दोनों की अपील पर आर्डर देने की शक्ति तो है लेकिन स्टे देने की शक्ति नहीं है। क्योंकि राज्य के कोष में पैसा कम है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कमिश्नर और डिप्टी-कमिश्नर को अधिकार नहीं है कि जो असेसमेंट के ऊपर अपील हुई है उसको सुन कर वह कहे कि असेसमेंट सही हुआ है या नहीं। आप समझते हैं कि ऐसा करने से तो राज्य के खजाने में रुपया जमा हो जायगा और ऐसा नहीं करने से राज्य के खजाने में रुपये की कमी आयगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कानून के प्रिन्सिपल के खिलाफ है। इन्टरीम स्टे आदमी इसलिए चाहता है कि उसका जो असेसमेंट हुआ है वह कहीं गलत न हो और वह फिजूल में उसे जमा न करा दे और बाद में उसे वापस लेने की कार्यवाही न करनी पड़े। लेकिन यह कानून बनाते वक्त इस कानूनी सिद्धान्त को आप भूल गये।

इसके बाद में एक और चीज आई, राजस्थान के व्यापारियों ने शिकायत की सरकार से कि सेल्स टैक्स के एरियर की वजह से हमारी प्रापर्टी को अधिकारी अटैच करते हैं। इसलिए उस प्रावधान को भी इसमें हटा दिया और हटा कर यह प्रोविजन रख दिया कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की प्रायर सेंक्शन ली जाय फोर अटैचमेंट। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यह दोनों चीजें इतनी खराब है। और इनकी तरफ मैं सरकार का ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि जो सरकारी अधिकारी वर्ग है, मैं उनको दोष देने की बात नहीं कहता, लेकिन यह लोग बुद्धि से काम नहीं लेना चाहते हैं, उनके जो भी दिमाग में विचार आ गया उसको पकड़ लिया और उसके अनुसार कार्यवाही करने लग गये। इसका नतीजा यह है कि आज कमिश्नर के पास ढेरों कागज पड़े हुए है, जब कि वह दूसरी बातों को तय करने में काफी समय लगा देते हैं। उन्हीं अधिकारी वर्ग ने यह सजेस्ट कर दिया वित्त मंत्रीजी को कि टैक्स का असेसमेंट कर दिया, उस पर अपील होती है, उस अपील का जब तक फाइनल आर्डर पास होगा उसके बीच में ही व्यापारी अपनी प्रोपर्टी को ट्रान्सफर कर दे तो टैक्स वसूल करने के लिए उसकी प्रापर्टी को अटैच नहीं किया जा सकता। इसलिए इसमें यह प्राविजन ला रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सैक्शन ५३ ऑफ दी ट्रान्सफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट कहां चला गया जिसके कारण आप नई चीज लाकर डुप्लीकेशन ऑफ लॉज पैदा कर रहे हैं।

एक नई चीज और इसमें आई है, नया अमेंडमेन्ट कर दिया है। कोई आदमी रिकार्ड का इन्सपेक्शन करने जाय, उसको सीज करने जाय, सर्च करने जाय और वैसा करने में कोई ऑब्सट्रक्ट करता है तो इसके लिए जो ३५३ में सजा दी है वह क्या कम है, उसमें दो साल की सजा है। फिर इसमें भी प्रोविजन करके आप डुप्लीकेशन ऑफ लाज क्यों पैदा कर रहे हैं? पहले से ही लॉ इतना खतरनाक है, उसको डुप्लीकेशन ऑफ लॉ से आप और उलझा रहे हैं। आप उस ३३ के प्रोविजन को भूल गये हैं और नये-नये डुप्लीकेशन ऑफ लॉ पैदा कर रहे हैं। जो रूल ऑफ लॉ से जनतंत्र चलता है उस सिद्धान्त को आपने भुला दिया है और इस

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

बड़ा कानून का जंगल पैदा कर दिया है कि लोग उस जंगल के अन्दर भटक जाते हैं। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय वित्त मंत्रीजी यह चाहते हैं कि राजस्थान में जनतंत्र पनपे तो जनतंत्र तो एक जीवन जीने की कला है, उसको आप कानून से मत बांधिये, इस सीमा तक इस कानून के जंगल को मत बढ़ाइये कि उसमें भटक कर लोगों की आंख फूट जाय और उसके हाथ पैर टूट जाय और उस जंगल में से लोगों का निकलना मुश्किल हो जाय। जो रूल ऑफ लॉ है, यह रूल ऑफ लॉ आदमी को सीधा रास्ता देता है। लेकिन आपके इस कानून का कौन सा रास्ता है? यह तो जनतंत्र का गला घोंटने वाला रास्ता है।

मैंने एक अमेंडमेंट और दिया था, वह आने से रह गया, वह कम्पाउंडिंग ऑफेन्स के बारे में है। इसमें खण्ड ९ में दिया है कम्पाउंडिंग ऑफ ऑफेन्स इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति अपराध करे और कमिश्नर साहब के आदेश पर पांच सौ रुपये दे दें तो वह उस अपराध से बच सकता है। कानून की अवहेलना कोई करता है तो उसको सजा होनी ही चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जनता में कानून के प्रति बहुत बड़ा सम्मान हो इसकी आवश्यकता है। इस सम्मान को आघात पहुँचाने वाला आप रास्ता मत खोलिये। इससे समाजवाद नहीं आयेगा। आप चाहते हैं कि पैसा खींचते चले जायं और कोई कानून की अवहेलना करता है वह पैसा दे दें तो उसको आप माफ कर दें। मेरा निवेदन है कि उसको कानून की अवहेलना के लिये सख्त सजा दी जाय ताकि वह आयन्दा कानून की अवहेलना न कर सके। लेकिन आप इस बात पर ध्यान न देकर जो डिपार्टमेन्ट से कानून बन कर चला आता है उसको आप पास करना चाहते हैं। इस प्रकार कैसे चलेगा जनतंत्र और समाजवाद इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो ऐसा उपाय कीजिये जिससे आप इस कानून के जंगल में से निकल सकें, दूसरे कानून के प्रति जनतंत्र के प्रति जनता की आस्था बढ़ा सकें। आप देश के अन्दर जनतंत्र और समाजवाद लाना चाहते हैं तो यह जो आप गलती कर रहे हैं, इसको आप समाप्त करिये। मैं यह अनुभव करता हूं कि कानून के ऊपर कानून बनाने से आप समाजवाद और जनतंत्र को समाप्त कर रहे हैं। इसके अलावा क्लॉजवाइज में इस सम्बन्ध में बाद में निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : यस, श्री वित्त मंत्री।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : सभापति महोदय, राजस्थान टैक्सेशन लॉज (अमेंडमेंट) बिल, १९७० के ऊपर विचार करते वक्त माननीय सदस्यों ने दो प्रस्ताव रखे हैं एक प्रस्ताव तो यह कि इस बिल के ऊपर जनता के विचार और मत को जानने के लिए भेज दिया जाय और दूसरा इसको प्रवर समिति के पास में भेज दिया जाय। इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में जो विचार माननीय सदस्यों ने रखे हैं, मैं उनके बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मन्शा राज्य सरकार की कभी नहीं रही है और न रहेगी कि सेल्स टैक्स के कानून के जरिये प्रजातंत्र को खतरा हो। अगर सेल्स टैक्स के कानून के जरिये प्रजातंत्र को खतरा होता है तो मैं उन लोगों में से रहा हूं जो यह मानते हैं कि इस सेल्स टैक्स को कतई खत्म कर दिया जाय। मैं मानता हूं कि प्रजातन्त्र

Page No 90

(श्री मथुरादास माथुर)

का जिन्दा रहना जरूरी है, सेल्स टैक्स कानून तो बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। अब सेल्स टैक्स कानून एक जंगल है और इसके प्रोविजन बड़ी-बड़ी चट्टान हैं यह व्याख्या अलग-अलग माननीय सदस्यों के लिए सही हो सकती है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि आज के युग के अन्दर कोई कानून, चाहे कर का कानून हो, चाहे प्रापर्टी के टैक्स के लिए कानून हो, चाहे लैंड के ऊपर कोई रेवेन्यू के सिलसिले में हो—आज के बदलते हुए हालात में, इन्कलाबी जमाने में, कानून बहुत साल तक उसी स्थिति में नहीं रह सकता। यह ठीक है कि जब कानून बना है उस वक्त हमने पांच हजार की लिमिट तक लोगों को माफ किया था, फिर लिमिट आगे बढ़ाते गये लेकिन बाद में विचार बदलते रहे, अनुभव बढ़ते गये तो कानून में भी परिवर्तन होते रहे। इसके साथ ही साथ जो मुख्तलिफ फैसले हुए हैं, रेवेन्यू बोर्ड से फैसले हुए हैं, हाईकोर्ट से फैसले हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से फैसले हुए हैं उन फैसलों के आधार पर हमें इस कानून के अन्दर तब्दीलियां करनी पड़ी हैं और इन आठ-दस वर्षों में इस कानून की रूपरेखा जिस तरह की बन गई है, मैं कह सकता हूं कि कोई औसत आदमी, जब तक इन पूरी तरमीमात को नहीं समझ लें, तब तक उसे इसे समझने में बड़ी मुश्किल होती है। पर जो कानूनदां हैं, जो वकालत करते हैं, उनके लिये तो इसे समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिये। अगर उन्हें कठिनाई होती है तो मैं उन लोगों में रहा हूं और मैंने पहले भी कहा है कि जो मुख्तलिफ अमेंडमेंट निकले हैं, फिर वे एमेंडमेंट अमेंड हो गये हैं, इसलिये एक कन्सोलिडेटेड फार्म में मैं उसे सदन में पेश करना चाहता हूं। उसके लिये मैंने गत साल मेरी घोषणा करने के बाद मेरे डिप्टी मिनिस्टर की चैअरमैनशिप में लॉ डिपार्टमेंट की एक कमेटी बनाई है। कमेटी क्लॉज बाई क्लॉज चलेगी तो ज्यादा समय लगेगा, और इस सदन के माननीय सदस्यों को और दूसरे नान-आफिशियल सदस्यों को इतना समय नहीं मिलता है इसलिये उनको न रख कर मैंने देखा कि एक बिल, रेवेन्यू बोर्ड और कोर्ट्स से जो फैसले हुए हैं, उनको देखते हुए सदन में रख दिया जाय। इसलिये माननीय सदस्यों को तकलीफ नहीं दी और कोई बात नहीं। हमारे ऑफिसर्स की जो कमेटी बैठी है वह जल्दी ही इस काम को पूरा करेगी और एक नया कन्सोलिडेटेड कानून बिल के रूप में सदन में पेश किया जायगा।

दो-तीन माननीय सदस्यों ने एक पौइन्ट को लेकर कहा कि जो प्रावधान हैं अपील करने के, जिस डिप्टी कमिश्नर के यहां अपील की गई है उसे स्टे करने के अधिकार नहीं हैं, स्टे करने के अधिकार डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन को है। यही इन्कम टैक्स में भी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अलग-अलग कानून हैं उनको अलग-अलग तरह की फिलोसोफी होती है। खास तौर से कर के कानूनों में, इन्कम टैक्स में भी यही प्रोविजन है, सेल्स टैक्स में भी यही प्रोविजन है। करों की फिलोसोफी ऐसी होती है कि जिसको कर वसूल करना होता है, उससे इस कानून के जरिये लोगों को तकलीफ नहीं पहुँचाते हुए, जितना कर मिल सके, वह वसूल करें, इसका ध्यान रखना पड़ता है। जितना हो सके, टैक्सेज का इवेजन कम हो, टैक्सेज की चोरी कम हो, इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। जिसके पास अपील गई है उसके पास ही स्टे के ऑर्डर देने के

(श्री मथुरादास माथुर)

अधिकार रखे जांय तो अपीलेट ऑथोरिटी तो नोर्मल कोर्स में स्टे कर देती है। लेकिन हमारी यह मंशा रही है, सदन के माननीय सदस्यों की भी इस कानून के बनाते वक्त यह मंशा थी कि जो टैक्सेज लगें, उनकी पूरी तरह से वसूली हो तो और टैक्सेज लगाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इसलिये अगर एक दफा डिप्टी कमिश्नर जिसके पास अपील की जाती है, उसको स्टे के अधिकार दे दिये जायं और ६ महीने, १२ महीने, तीन साल तक स्टे रहे तो इसका नतीजा यह होगा कि जो असेस्ड अमाउन्ट है वह तीन साल तक स्टे रहेगा और जो रकम राज्य सरकार को मिलनी चाहिये, वह नहीं मिलेगा। इससे आप सोच सकते हैं कि कौनसे सेक्शन को फायदा होगा, कौनसा डेमोक्रेसी को खतरा है? किसी कानून की कोई छोटी-मोटी धारा में कोई छोटी-मोटी हेरफेर हो तो उससे डेमोक्रेसी को खतरा हो जायगा इसको मैं नहीं मानता। डिप्टी कमिश्नर के पास अपील की गई है, उसका दूसरा व्यू हो सकता है और डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको स्टे देने का अधिकार दिया गया है, का दूसरा व्यू हो सकता है इसलिये स्टे देने का अधिकार डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन के पास रखा है। इसकी फिलोसफी यह है कि जो टैक्स देने वाला है उससे टैक्स वसूल कर लिया जाय। अपील में वह जा सकता है, उसको अधिकार है, तो इसमें किसी को कोई हरेशमेंट नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन को आपने स्टे देने की पॉवर दी है। सदन में जब यह बिल आया था उस समय मैंने कहा था इसके बारे में तो मंत्री महोदय ने कहा था कि रिकवरी पेंडिंग रहेगी....

श्री मथुरादास माथुर : मैं उस पर आ रहा हूं, मैं समझ गया।

दो बातें थीं, एक तो अपील और स्टे को अथोरिटी डिप्टी कमिश्नर को होनी चाहिये। अपील डिप्टी कमिश्नर के पास होती है और स्टे का ऑर्डर डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन देता है। उस समय आनरेबल मिनिस्टर ने बताया था कि डिप्टी कमिश्नर ऑटोमेटिकली तय कर दे तो अपील अलग लेने से क्या फायदा। डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन मेरिट्स पर तय करेगा, जो असेसमेंट किया गया है, उसके खिलाफ अपील में जाते ही ऑटोमेटिकली डिप्टी कमिश्नर स्टे करेगा अगर इस तरह का प्रावधान कर दिया गया तो असेसमेंट का रियेलाइजेशन ही नहीं होगा, महीनों लग जायेंगे और यह उचित नहीं होगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसमें मेरा निवेदन है कि डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन को आपने स्टे के अधिकार दिये हैं, आखिर उसकी कोई लिमिट तो होनी चाहिये One day, two days, one month, two months,

इस प्रकार का कोई तो प्रोविजन होना चाहिये। अगर स्टे एप्लीकेशन पेंडिंग रहती है और नीचे के ऑफिसर्स टैक्सेज का रियेलाइजेशन कर लेते हैं तो स्टे का कोई मतलब ही नहीं। आपने कहा कि डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन ऑन मेरिट्स स्टे एप्लीकेशन को डिसाइड करेगा तो फिर डिप्टी कमिश्नर जिसके सामने अपील की गई है, वह क्या भाड़ झोंकेगा?

श्री मथुरादास माथुर : स्टे एप्लीकेशन अगर डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन के पास जायगी तो वह आंखें बन्द करके डिसिजन नहीं देगा, He will decide on merits, वह देखेगा कि इसमें स्टे देने लायक है या नहीं। अगर डिप्टी कमिश्नर को स्टे के अधिकार दे दिये तो इन रूटीन वह स्टे दे देगा। वह डिसिजन नहीं ले तब तक टैक्सेज का रियेलाइजेशन नहीं हो, यह उचित नहीं हो सकता।

हाई कोर्ट में स्टे के ऑर्डर दो-दो महीने तक रुक जाते हैं और अगर ऐसी हालत में यह ऑर्डर निकाल दें कि रियेलाइजेशन का सीजन आ गया है, राजस्थान में रियेलाइजेशन नहीं करें तो यह नहीं हो सकता। यह पुलिस विभाग नहीं है, कर विभाग है यह कर विभाग, जो ईमानदार आदमी महाजन हैं, जो कर देना चाहते हैं, उनका सेवक है और जो करों का इवेजन करना चाहते हैं, उनके साथ हमें सख्ती भी करनी पड़ती है।

श्री गोरधन सोनी : मैंने इन्स्टान्सेज दिये थे।

श्री मथुरादास माथुर : तीसरी बात यह सुन लीजिये। इन्डिविजुअल केसेज के लिये मेड़ता से आये माननीय सदस्य ने भी कहा। एक असेसिंग ऑथोरिटी करप्ट हो सकती है। मैं नहीं कहता कि न हो।

श्री गोरधन सोनी : अधिकतर ऐसे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अधिकतर ऐसे हों तो फिर पुलिस में जाऊंगा की एन्टी करप्शन में कितनी शिकायतें हुई। किसी कारण से भी धारणायें बन जाती हैं। एक ह्यूमन साइकोलोजी भी होती है कि कोई आपसे कोई चीज लेने के लिये आवे तो खुशी से नहीं देंगे। खुशी से हाथ जोड़ कर कहेगा कि पांच हजार रुपये दे दीजिये तो भी अच्छा नहीं लगता है। यह ह्यूमन साइकोलोजी है। कोई जबान से मीठा न बोल कर कहे तो दर्द होता है। कोई मीठे तरीके से कह सकता है, कोई जहरीले तरीके से कह सकता है। कोशिश यही रहती है कि अच्छी तरह से काम करे। शिकायतें आती हैं और जांच होती है। माननीय सदस्य, आप सब इस विभाग में दिलचस्पी ले रहे हैं मुझे खुशी है। आप इस विभाग का खयाल रखें। मदेरना साहब ने कहा उस बात को मैंने साफ कर दिया।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : कोटा में डिप्टी कमिश्नर…

श्री मथुरादास माथुर : मैं उस पर आ रहा हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : डिप्टी कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेशन मेरिट पर नहीं जावेंगे लेकिन देखेंगे जरूर। लेकिन कोई टाइम लिमिट तो होनी चाहिये। एश्योरेन्स दिया है कि जब तक अपील पेन्डिंग है इन्स्ट्रक्शन्स जारी कर देंगे कि रियेलाइजेशन नहीं करें।

श्री मथुरादास माथुर : मदेरना साहब ने कहा था उस कन्टेक्स्ट में सोचें। मिनिस्टर को अधिकार नहीं है। एश्योरेन्स देते हैं सदन को तो सब्जेक्ट टू दिस लॉ। मिनिस्टर न तो असेसी है और न अपीलेट ऑथेरिटी। रिश्वत खाता है तो मैं जांच कर सकता हूं। मिनिस्टर ने एश्योरेन्स दिया था सबजेक्ट टू लॉ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सदन में चर्चा करें और मंत्री महोदय बिल को पायलेट करें और विश्वास दिलाएं तो उसको न मानें ?

श्री मथुरादास माथुर : विश्वास दिला देते हैं तो कानून में किसी प्रकार से परिणत करते हैं। अलग-अलग साइड में हो सकते हैं। सदन के माननीय सदस्य इसको मंजूर करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर के पास स्टे ऑर्डर के लिये अपील आयी जब तक वह डिस्पोज ऑफ नहीं होगी तब तक कर अधिकारी कर वसूल नहीं करेगा। कोई डिप्टी कमिश्नर तीन महीने की छुट्टी चला गया और दूसरा नहीं होगा ? रेवेन्यू की तरह है। किसी कारण से वर्क लोड से ज्यादा काम हो जाय तो यह नहीं हो सकता। डिप्टी कमिश्नर माइन्ड एप्लाई करके स्टे दे देता है तो ठीक है। अपील मंजूर हो जाती है तो रिफन्ड हो जाता है। इन्कम टैक्स की स्कीम के अनुसार ही हम चल रहे हैं। माननीय सदस्य से निवेदन है कि इसको पास करने से न तो प्रजातंत्र को खतरा है और न मुझे खतरा है और न माननीय सदस्य को खतरा है।

सवाई माधोपुर से आये माननीय सदस्य ने कहा और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा। करीब-करीब एक ही बात है। अपीलेट ऑथोरिटी यहां बैठी हुई है और एडमिनिस्ट्रेटिव आथोरिटी वहां बैठी हुई है। इसमें तकलीफ है। मैं इस पर सोच रहा हूं। ऑफिसेज के अलग-अलग लोकेशन्स हैं। कोटा से आये माननीय सदस्य ने कहा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऑपरेशन फील्ड है कोटा, झालावाड़, बूंदी और उदयपुर। सब जगह से होकर बीच में बूंदी आ जाता है। इसलिये वहां रखा हुआ है। मैंने यह हुक्म दे दिया है कि जल्दी से जल्दी ऑफिस कोटा चला जाय।

श्री नत्थीसिंह : अहसान नहीं था।

श्री मथुरादास माथुर : वाजीब बात थी इसलिये मानी।

जयपुर की बात की। ट्रेड का सेन्टर है। ४३.४५ परसेन्ट है। वर्क लोड पर मुकर्रर कर रहे हैं। पार्किन्सन लॉ का काम नहीं है। अपील में ३६० केसेज, सी. टी. ओज. के पास ६०० और ए. सी. टी. ओज. के पास १२०० केसेज हैं। मेरे यहां सेल्स टैक्स का ही वर्क लोड नहीं है ! पेसेन्जर टैक्स, एन्टरटेनमेन्ट टैक्स और पुराना एग्रीकल्चरल टैक्स भी मेरे पास है। उसका भी मैं एरियर वसूल करता हूं। इलेक्ट्रिसिटी का भी मैं ही वसूल करता हूं। इतने माया जाल और जंगलों में फंसा हुआ हूं कि माननीय सदस्य मुझे निकालें तो बड़ी खुशी होगी। मेरा निवेदन है कि वर्क लोड को देख कर करेंगे। मेरे यहां तो ज्यादातर आर. ए. एस. ऑफिसर हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप अपना भी वर्क लोड ज्यादा महसूस कर रहे हैं, उससे भी रिलीव करायें।

श्री मथुरादास माथुर : असेम्बली होती है तो मेरा वर्क लोड ज्यादा रहता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जयपुर में अलग-अलग हैं ये ऑफिसेज, कोई कहां बैठा है, कोई कहां बैठा है

श्री मथुरादास माथुर : ऐसी बिल्डिंग मिल जाय। उसके लिए हम कोशिश करते हैं। इतनी आमदनी करके देता हूं। मुझे एक करोड़ की बढ़िया बिल्डिंग बनवा कर दे दें नोन-प्लान एक्सपेन्डीचर में...

श्री रामानन्द अग्रवाल : त्रिपोलिया का रिक्वीजिशन क्यों नहीं कर लेते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : बैठे हैं त्रिपोलिया वालों के मकान में....

(श्री मथुरादास माथुर)

एडमिनिस्ट्रेशन पर ६८-६६ में २.६ था तो अब ६६-७० में २.८ रह गया है। दूसरी स्टेट्स से कम है।

टैक्स के एवेजन को रोकने के लिये स्क्वेड बने हैं। ६ महीने हुए काम करते हुए। उसका असेसमेन्ट करके बताऊंगा। अभी किया नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : रिकवरी हो गये ?

श्री मथुरादास माथुर : कितनी आमदनी बढ़ी और कितनी नहीं बढ़ी इसके अभी मेरे पास इस स्क्वेड के बनने के बाद के फिगर नहीं आये हैं। बाद में पता चलेगा कि इससे कितनी आमदनी बढ़ी है और कितने केसेज पकड़े हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : फरवरी तक की भी जानकारी हो तो वह बता दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : कहां-कहां सर्किल वाइज कितनी आमदनी हुई यह तो १२ बजे रात्रि तक की मेरे पास है। अलग स्क्वेड बना और उससे कितनी आमदनी हुई यह वर्क आउट होकर आवेगा तब तक बता दूंगा।

माननीय सदस्यों ने करों के बारे में दो बातें कही। इन्टरप्रिटेशन का सवाल है। ज्वेलर्स पर टैक्स लगा है उसको खुलासा कर देना चाहता हूं। मुझे मिसअन्डरस्टेन्ड नहीं किया जाना चाहिये। माननीय सभापतिजी आपको खास तौर से विदित है कि ज्वेलर्स एसोसियेशन की तरफ से दो साल पहले यह मांग रखी गयी थी और मुझे उसी पर आज क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लास्ट पौइन्ट पर जो ५ परसेंट था उस पर टैक्स लगाया। सभापति महोदय, आपने भी बड़े जोर शोर से और कई दूसरे माननीय सदस्यों ने भी इसके बारे में उस सदन के अन्दर कहा था कि इसको हटाकर स्लेब सिस्टम कर देना चाहिये और मुझे आश्वासन मिला था कि कम से कम कोई भी डाइमन्ड कल-चर्ड हो, इमीटेशन हो उसका यहां प्रोसेसिंग होता है और डिफरेंट हाथ में जा कर वापिस चला जाता है। वह इम्पोर्ट से आता है और वापिस एक्सपोर्ट हो जाता है। यह मेरे ध्यान में है लेकिन मैं चाहते हुऐ भी उसको अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकता हूं इसलिये मैं इस से डिप्राइव्ड हूं। इसमें बड़े-बड़े जौहरी और करोड़पति हैं, वे सब भारत सरकार के अधिकार में आते है, मेरा उनके अन्दर कोई दखल नहीं है। तो मेरा निवेदन यह है कि इन लोगों ने मिल कर हमको कहा कि दो, तीन हेंडस् में यह जाता है इसलिये एक एक एक परसेंट यानी ३ परसेंट हमने कर दिया। परन्तु अब हमारा एक्सपीरियेंस, एक साल के वर्किंग के बाद यह रहा और हमें यह मालूम हुआ एवरेजली यह तीन हैंड्स में नहीं जाता है इसलिये हमको यह दो परसेंट पड़ता है। तो मैंने इसको देखा है और यह स्लेब सिस्टम रखा है। यह वही सिस्टम है। मल्टीप्लाय पांइट पर करीब-करीब वही एक परसेंट, दो परसेंट पड़ता है। जो पुराना स्लेब था ५००० से २५००० वह हमने देखा। इसमें डिफिकल्टी व्यापारियों को भी हुई थी। हमने कहा था और कन्सोलिडेटेड हर एक को एक फिगर दिया था उसमें बड़ी डिफि-कल्टी हुई और वह स्लेब रिड्यूज कर के और एड कर दिया इसलिए कि दो ट्रांजेक्शन

(मथुरादास माथुर)

ही नोर्मली होते हैं। उस वक्त भी जौहरी २ पर्सेन्ट पर तैयार थे। इसलिये जाकर हमने २,२,२ किया है। आप चाहें तो इसका दूसरी स्टेट्स से मुकाबला कर लीजिये। आप कहते हैं इन्डस्ट्रीज मर रही हैं। कोई नहीं मर रहा है। मजदूर तो मजदूरी कर रहा है, छोटा व्यापारी वही व्यापार कर रहा है, वह उसको खरीदता है, पोलिस करता है। परन्तु आप यह न माने कि इससे कोई बड़ी आमदनी हमको हो रही है, राज्य सरकार को हो रही है। कुल मिला कर ८-१० लाख के करीब इससे आमदनी हो रही है। हमारे इस टैक्स से स्टेट पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है। वही पुराना सिस्टम है। कुछ कहते हैं कि लास्ट पोइंट पर कर देते, ५, ६, ७ जैसे वेस्ट बंगाल ने १२ पर्सेन्ट कर दिया है उसके अन्दर आमदनी की भी गुंजाइस है। परन्तु मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे यहां जो ट्रेड है, जो कि यहां पर एस्टेब्लिस्ड हैं और जो इन्टरनेशनल बाजार में है, वह बिखरे। अगर यह ट्रेड बिखरता है तो उसके कई दूसरे फैक्टर हैं। इसकी कस्टम ड्यूटी है और दूसरे कारण होंगे। इसलिये मेरा तो वही सिस्टम है जो इस सदन ने पहले एप्रूव किया है। पहले तीन ट्रांजेक्शन पर था परन्तु हमारे वर्किंग ने बताया कि एवरेज दो का है। इसलिए यह दिमाग में से विचार निकाल दे कि इस पर ज्यादा लगा दिया है।

सभापतिजी, करों के सम्बन्ध में दो बातें कहीं हैं। दूसरी बात की भी यहां पर चर्चा हुई है और वह मैं निवेदन कर चुका हूं। बिक्री कर के मामले में माननीय सदस्यों को सन्तोष रहा है, यह खुशी की बात है। आज यहां पर फिर चर्चा हुई और ज्वेलर्स के ऊपर सफाई करने की जरूरत थी, वह हो गई। इसके साथ ही दो-चार बातें आई रेवेन्यू बोर्ड की कम्पीटेंसी के बारे में। मेरा निवेदन इस बारे में यह है कि मैं पहले एप्रोप्रियेशन बिल के ऊपर इस सम्बन्ध में अर्ज कर चुका हूं। फिर भी मेरा निवेदन यह है कि रेवेन्यू बोर्ड का फार्मेशन रेवेन्यू एक्ट के मातहत हुआ है और उसके बाद रेवेन्यू बोर्ड की इनहेरेन्ट पावर्स हैं वे उस एक्ट में डिफाइन्ड हैं। जहां तक रेवेन्यू के केसेज का सवाल है वह उससे आपरेट होता है लेकिन सेल्स टैक्स के मुकदमें वहां कैसे चले जाते हैं जो पहले वहां नहीं सुने जाते थे। पहले सेल्स टैक्स कमिश्नर को ही यह अधिकार था। यह अधिकार उससे हटा कर रेवेन्यू बोर्ड को दिया गया है। उसकी आथोरिटी से मामलों को सुनने की सेल्स टैक्स एक्ट से फोलो हुई है। सेल्स-टैक्स एक्ट के मातहत रूल्स बने हुए हैं और जो अधिकार दिये हैं गवर्नमेंट को, उनके मातहत उसको गाइड होना पड़ेगा। एक प्रश्न आया दो डिवीजन बैंच कर दीं। तीसरे को रेफर होना पड़ेगा ?. हम कहते हैं कि इनहैरेंट पॉवर है तो कर सकते हैं। एक पाइंट माननीय सदस्य, जो जयपुर से आने वाले हैं उसने उठाया था। हमने उस पाइंट को कन्सीडर किया है। इसके लिये मैंने इजाजत दे दी है। इसमें डिवाइडेड ओपीनियन है फिर भी आपने जो सुझाया है उसको हम एक्सपर्ट से एग्जामिन करवा लेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि रेवेन्यू ऑथोरिटी को सेल्स टैक्स के मामलों का डिस्पोजल करने का हक सेल्स टैक्स एक्ट से फोलो होता है और उस एक्ट के रूल्स के अनुसार उसका ऑपरेशन होता है और अगर उसमें कोई खामी है तो उसको ठीक करने

(श्री मथुरादास माथुर)

का प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा जितने भी मुद्दे इस चर्चा में उठाये हैं उनका जवाब मैं डिबेट में और एप्रोप्रियेशन बिल की बहस पर दे चुका हूं। जहां तक इस विभाग को ठीक करने का सवाल है, मैं समझता हूं माननीय सदस्यों का सहयोग मुझे पूरा मिलेगा और मैं इसको ठीक कर सकूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : स्पेशल सर्किल अजमेर में रखा हुआ है। यह सर्किल आपने अजमेर में रखा है किन्तु इसका जुरिस्डिक्शन अजमेर नहीं है और है। इसके पीछे क्या कारण है कि आपने इसको वहां रखा है ?

श्री मथुरादास माथुर : इसको स्पेशली अजमेर में रखा है। इसके बाद किशनगढ़ है। यह इसलिये रखा गया कि यह पहले से ही चला आ रहा है। मेरे से पहले ही चला आ रहा है। इस बात में क्या रखा है। फाइल को देखकर कभी मौके से बता दूंगा। मैंने कहा है पहले से है इसलिये रख दिया तो क्या बात हो गई।

श्री हंसराज आर्य : गंगानगर का जो शराब का ठेकेदार है उसके खिलाफ दरख्वास्त है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इसको आज छोड़ दें।

श्री हंसराज आर्य : उसकी शिकायत है तो क्या दूसरे ठेकेदार को ठेका देंगे।

श्री सभापति : आज एक्साइज की डिमाण्ड नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं यह पूछना चाहता हूं कि मैंने सुझाव रखा था उस पर क्या विचार किया है ?

श्री मथुरादास माथुर : कब ?

श्री रामचन्द्र आर्य : जनरल बहस में।

श्री मथुरादास माथुर : उसका जवाब मैंने दे दिया है। अब क्या बात है ?

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदय, मैंने यह पूछा था कि जो टैक्स वसूल किया जाता है वह टैक्स पूरा वसूल नहीं होता है और आधा टैक्स भी सरकार के खजाने में जमा नहीं हो पाता है। यह आपकी व्यवस्था टैक्स वसूल करने की ठीक नहीं है। इसलिये इसके तौर तरीकों पर आपको विचार करना चाहिये। आप सालाना टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं जिससे जनता में असन्तोष है। आप एक तरफ टैक्स बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ जो टैक्स पहले ही लगा हुआ है उसको आप वसूल नहीं कर पाते हैं। तो जो यह तरीका चल रहा है उसको बदलना चाहिये। इसके लिये आपने जगह-जगह पर जो इन्सपैक्टर्स लगाये हैं उनकी जगह किसी एक अधिकारी को लगाना चाहिये और टैक्स इस तरह से वसूल किया जाना चाहिये कि वह सरकार के खजाने में जाये। इसी तरह से टैक्स बढ़ता रहा है इससे लोगों में असन्तोष फैल रहा है और नइम ससे सरकार को कोई लाभ हो रहा है। आम गरीब लोगों को नुकसान हो रहा है। इसके बारे में क्या कहना है ?

(३ म० प०)

श्री कृष्णकुमार गोयल : झालावाड़ से जो सिटी ऑफिस तोड़ा उसके क्या कारण हैं ?

दूसरा आप यह बता दीजिये कि मार्च के एण्ड में जो आप रिकवरीज करते हैं मार्च

Page No 97

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

से लेकर अप्रैल-मई-जून और जुलाई की वसूली एडवान्स में करते हैं इसके क्या कारण हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : यह तो हमारे आपसी व्यवहार की बात है। कभी उनसे एरियर्स भी रह जाते हैं कभी हम उनसे एडवान्स भी वसूल कर लेते हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : रिफण्ड के बारे में आपने कुछ नहीं किया।

श्री मथुरादास माथुर : अगले साल के असेसमेण्ट में एडजस्ट हो जाते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एडवान्स जो पैसा लेते हैं उसके पीछे सरकार का क्या कारण है ?

श्री मथुरादास माथुर : इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। जानकारी लेकर बता दूंगा। झालावाड़ के बारे में चूरू का ऑफिस रिमूव करने की बात है उस समय उस पर बात करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एडवान्स की वसूली के बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे ज्ञान नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय जानकारी रखते हुए भी गैर जानकार बन रहे हैं। यह फेक्ट है डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा मुकर्रर किया हुआ है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो बजट एस्टीमेट्स की जानकारी रखता हूं जिसकी स्वीकृति आपके द्वारा ले लेता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एडवान्स वसूल करने का एक्ट में तो प्रोविजन नहीं है आपकी तरफ से ऐसी हिदायतें हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरे पास किसी व्यापारी की शिकायत नहीं है जिसके आधार पर मैं जानकारी करूं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन स्टे का निर्णय मेरिट पर देता है और डिप्टी कमिश्नर अपील्स का ऑटोमेटिक फैसला कर देता है यदि आप यह व्यवस्था रखते हैं तो आप जुडिशियरी को बन्द कर दें।

श्री मथुरादास माथुर : जुडिशियरी के बेसिक प्रिन्सीपल अलग है। हमारा तो पैसा वसूल करने का काम रहता है। अगर सेशन्स जज के पास यह मामले जायेंगे तो ९५ पर्सेन्ट में स्टे हो जायगा।

श्री सभापति : राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १६७० पर निम्न सदस्यों के संशोधन हैं। कोई माननीय सदस्य अपने संशोधनों को वापस लेना चाहते हैं :

श्री शिवनाथसिंह

श्री मूलचन्द डागा

श्री रामकिशन

श्री वृद्धिचन्द्र जैन

श्री कृष्णकुमार गोयल

श्री श्रवणलाल

श्री गोकुलप्रसाद

श्री श्रवणलाल
श्री कृष्ण कुमार गोयल } **हम अपने संशोधन को प्रेस करते हैं।**

श्री मथुरादास माथुर : He has been emply satisfied, Sir.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक. १६७० को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

प्रश्न यह है कि श्री दुर्गालाल बाढ़दार, श्री रघुनाथ विश्नोई एवं श्री हरिवल्लभ शर्मा द्वारा निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है कि राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १६७० को प्रवर समिति के सुपर्द किया जाय।

(अस्वीकृत)

(प्रस्ताव गिर गया)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सभापति महोदय, जो हमेशा हां हां ही कहते थे आज उनके मुंह से ना किस प्रकार निकल गया।

श्री सभापति : आप भी हमेशा ना बोलते आये हैं आपने हां कैसे कर दिया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १६७० को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड २ व ३ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड २ व ३ को पारित किया गया।

खंड ४ श्री नाहर !

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : सभापति महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है:—

खण्ड ४

3. "In new section 5 c c, sough to be inserted, after section 5 C of Rajasthan Act 29 of 1954—

(i) the word "notified" appea ring after the words "Com mission any" and before the word "industry", b deleted;

(ii) the explanation of the nev section 5 c c be deleted."

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपका एक अमेण्डमेण्ट मन्जूर कर लेता हूं क्लॉज ५ (सी) का।

श्री सभापति : Let me have copy of that amendment.

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं क्लाज ४ को अपोज करता हूं।

श्री सभापति : आप पारित करने के प्रस्ताव पर बोल लीजिये।

प्रश्न यह है कि खण्ड ४, ५, ६ व ७ को पारित किया जाय।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सभापति महोदय, इसके पहले कि ये पारित हों मुझे खण्ड ५ सेक्शन (ii) में अमेण्डमेण्ट रखना है।

Page No 99

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

"Transfer to defraud revenue void."

आप इसमें डुप्लीकेशन किस आधार पर कर रहे हो।

श्री मथुरादास माथुर : वोइड होकर के सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा I have to approach the Civil Court.

श्री यशवन्तसिंह नाहर : एब्सोल्यूटली सेम थिंग है। आप इस तरह से डुप्लीकेशन ऑफ लॉज क्यों कर रहे हो ?

You can do it under Section 53 A also of Transfer of Property Act. The same thing is there. Absolutely same thing.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 53 says it is 'voidable', but here it is 'void'. 'void' means 'void-ab-initio.'

श्री यशवन्तसिंह नाहर : First point 'void' and second is 'voidable' इस तरह से डुप्लीकेशन है। अगर आप डुप्लीकेशन में विश्वास करते हैं तो इसको चलने दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : Under section 53 of Transfer of Property Act, "every transfer of immovable property.... shall be voidable...."

मेरे यहां पर वोइड है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आप चाहते हैं वह 'वोइड' हो जाय—बिना कानूनी कार्यवाही के। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं उसमें यह है कि जहां पर डिफ्राड करने के लिये हो अगर उसको पेमेन्ट का कन्सीडरेशन नहीं हुआ हो तो सिविल कोर्ट तय करेगी। In itself it is void abinitio. इसको आप कैसे कर देंगे। तीन पाइन्ट ऐसे हैं जिनको तय करना होगा। रेवेन्यू को डिफ्राड किया गया है। तीन पॉइन्ट हैं।

श्री मथुरादास माथुर : इन्कम टैक्स में ऐसा का ऐसा पॉइन्ट है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आप यह न समझिये कि....

श्री सभापति : आपने इसके प्रॉविजन्स पढ़े हैं :

"Provided that such charge or transfer shall not be void if made for valuable consideration and without notice of the pendency of the proceedings under this Act."

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरा यही कहना है। आप जो 'वोइड' बता रहे हैं गुड फेथ होगा....

श्री सभापति : आप पढ़ लेते तो....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : No, No, मैं यह निवेदन कर रहा हूं आपके प्रॉविजन्स में और मेरे प्रॉविजन में अन्तर नहीं है। ट्रान्सफर ऑफ प्रापर्टी में कोई प्रॉविजन गुड फेथ का है, कन्सीडरेशन का है तो वह वोइड नहीं होगा। इन पॉइन्ट्स को देखना होगा। गुड फेथ ये अपने-आप देख लेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका मतलब वेल्यूएबल ट्रान्सफर....

श्री सभापति : Even if it is to defraud ..

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बात मालूम करनी है—जानकारी थी या नहीं ? सिर्फ वेल्यूएबल कन्सीडरेशन हुआ तो प्रॉपर्टी ट्रान्सफर कर सकते हैं—It can always be void. इसका मतलब लूप-होल छोड़ दिया जबर्दस्त and that will be considered as bonafide.

श्री यशवन्तसिंह नाहर : Sales Tax Department cannot do it.

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय का कहना है इन्कम टैक्स का जो प्रॉविजन है एक्जेक्टली उसकी नकल है। इन्कम टैक्स में प्रॉविजन हो सकता है तो सेल्स टैक्स में क्यों नहीं हो सकता है ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं एक निवेदन कर दूं। हम यहां इसी काम के लिये बैठे हैं। पालियामेंट में लॉ बना है तो ठीक है। हमारा तो यहां का काम है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : We have mortgaged our wisdom to Centre ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं एक निवेदन और कर दूं इन्कम टैक्स का माननीय मंत्री महोदय ने हवाला दिया—

"Jurisdiction being granted to any...

श्री सभापति : आपकी जो आपत्ति है अल्ट्रा वायर्स की वह पोजीशन नहीं रहती है। This particular provision is in the Income Tax Act.

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं यह निवेदन कर रहा हूं सेक्सन ५३ के अनुसार ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी में यह कहते हैं गुड फेथ और कन्सीडरेशन के साथ है। वोइड नहीं है। इसका निर्णय सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट करेगा। After all it will be decided by a civil court. If it is held that...

ट्रान्सफर है वेलिड कन्सीडरेशन के लिए गुड फेथ में है तो इनकी ताकत नहीं है मेरी प्रॉपर्टी के हाथ लगा सकें। लॉ को अवाइड करेंगे—This is wrong इन्कम टैक्स में होगा सेल्स टैक्स में क्यों हो ? This Assembly will not decide this on those lines. यह असेम्बली इण्डीपेन्डेन्टली अपना लॉ बना रही है। उनका कोई और प्रॉविजन होगा। हम यहां बैठे हैं। मेरा कहना है गुड फेथ में सिविल कोर्ट ही निर्णय कर सकती है इसलिये डुप्लीकेसी क्यों होनी चाहिये ?

श्री मथुरादास माथुर : अब मैं समझा हूं डुप्लिकेसी क्या है ? सभापति जी, जो प्राविजन है वह ट्रान्सफर का है अगर रेवेन्यूज को डिफाड करने के लिये कोई आदमी-during the Pendency of the assessment proceedings. करे तो उसको वोइड समझें और उसके बाद जो बोनाफाइड है उसको सेव कर लें। इसलिये इस प्रोविजन की जरूरत है ५३ में ट्रान्सफर एक्ट है, Every transfer made with the

(श्री मथुरादास माथुर)

intention shall be void on the option of the creditor. इसके लिये उसकी चोइस पर है। अगर ड्यूरिंग दी पेन्डेन्सी ऑफ असेसमेंट कोई आदमी डिफ्रे करता है और असेसमेंट ऑथोरिटी को मालूम हो जाय, यह कर रहे हैं तो उसको अधिकार दिये गये हैं। यही इन्कम टैक्स में है और यही इसमें है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह ट्रान्सफरी सिविल कोर्ट में जायगा, वह जा सकता है, उसको कोई रोक नहीं है।

श्री सभापति : माननीय यशवन्तसिंहजी आपका संशोधन का प्रस्ताव क्लाज नाइन में है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आपने यह फरमाया है इसको कन्सीडर कर लूंगा। I have already moved. आप इसको कन्सीडर कर लेंगे इसलिये मैं अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री नाहर को खण्ड ४ का संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री नाहर : मैं संशोधन वापस ले लूंगा।

श्री सभापति : खण्ड २-३ पारित कर दिया है। सदन के माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और मेरी सूचना के अनुसार खण्ड ८ व ९ में श्री यशवन्तसिहजी नाहर का संशोधन प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त किसी का कोई संशोधन प्रस्ताव खण्ड ४, ५, ६, ७, १०, ११ और १२ पर नहीं है इसलिये मैं इनको पारित होने के लिये सदन के समक्ष रख देता हूं। खण्ड ८ व ९ पर विचार कर लेंगे और उसके बाद पारित कर लेंगे। ठीक है?

प्रश्न यह है कि राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १६७० के खण्ड ४, ५, ६, ७, १०, ११ और १२ पारित किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड ४, ५, ६, ७, १०, ११ और १२ पारित किये गये।

श्री मथुरादास माथुर : खण्ड १३ भी है।

श्री सभापति : वह मेरे पास लिखा हुआ नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वाला है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड १३ पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड १३ पारित किया गया।

Now 1 take clause 8 and 9.

Shri J. S. Nahar may move his amendment, if he so likes.

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : सभापति महोदय, खंड ८ में मेरा संशोधन इस प्रकार है :—

खण्ड ८

(4) In clause (c) of sub-section (4) of section 16 of Rajasthan Act 29 of 1954, sought to the inserted—

(i) Words "intentionally or knowingly" be inserted between the

Page No 102

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
expression "Rajasthan, and goods" and "showing incorrect";

(ii) The following proviso be added after clause (c) of sub-section (4).

"Provided that when such incorrect or fictitious names or addresses of consignor or consignees or incorrect particulars of goods in vouchers or way bills or goods receipts or due documents accompany the goods while in transit are provided then the burden of absence of knowledge or intention shall be upon the person accused of such offence."

श्री यशवन्तसिंह नाहर : क्लाज ८ में मेरे अमेन्डमेंट में आधा पोर्शन अमेन्डमेंट का आया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्रीजी इस पर विचार करना पसन्द करें तो (ए) और (बी) सब-सेक्शन (४ का है उसमें हैं: "Any person prevents or obstructs inspection to any goods or vehicle or boat or animal carrying goods." तो मेरा निवेदन यह है कि दो जो हैं सब-सेक्सन (४) का (ए) और (बी) है इसको डिलीट करा दीजिये। वह आ नहीं सका है अधूरा रह गया है। वित्त मंत्रीजी उचित समझें तो- मेरा अधिकार नहीं है....

श्री सभापति : आप (ए) और (बी) को डिलीट करना चाहते है। Do you accept this position ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इसमें निवेदन यह है कि मिनिस्टर के द्वारा जब होता है तो एब्सोल्यूटली डुप्लिकेसी है। यह डुप्लिकेसी ६ महीने के लिये क्यों पैदा कर रहे हैं। (ए) और (बी) में अन्तर नहीं है। (सी) में मेरा एक निवेदन है-आप जवाब दे इससे पहले—

"Imports into, or exports from, the State of Rajasthan any goods intentionally or knowingly showing incorrect or fictitious names or addresses of consignors or consignees or incorrect particulars of goods, in vouchers or way bills or goods receipts or other documents accompanying the goods while in transit..."

अब जो उसका अन्तर है वह मैं बताना चाहता हूं इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि अगर कोई एक्सपोर्ट के लिये बिल वाउचर बना, एक एक्सपोर्ट वाला बैठा है इंगलेन्ड में या यहां से बाहर दिल्ली में बैठा है, वह आदमी ऐसा है कि जिसको गहराई से नहीं जानते और वह फिक्टिसश होगा तो उसकी नालेज होनी चाहिये। पेनल्टी आप सेल्स टैक्स में प्रोवाइड कर रहे हैं तो कल मान लीजिये कि एक चीज हो जाये कि दिल्ली वाला व्यापारी फिक्टिसश है तो क्या आप उन्हें सजा दे देंगे। मैंने फिर भी जोर दिया है कि अगर यह प्रूव हो गया है, मैंने प्रोवीज दिया है, उसके तहत अगर यह प्रूव हो गया है कि फिक्टिसश पर्टीकुलर्स हैं, फिक्टिसश पर्सन्स है, फिक्टिसश कन्साइनी है तो उसकी "एबसेन्स ऑफ नालेज और इन्टेन्शन" का प्रूव करने का बर्डन मेरे ऊपर होगा। नहीं तो इतना बड़ा हो जायेगा कि फिक्टिसश होगा, कन्साइनी को आप सजा देना शुरू कर देंगे, विदाउट रेफरेन्स ऑफ दी मेनसरिया ?

Page No 103

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक (ए) और (बी) से सम्बन्ध है, मेरा खयाल है कि पीनल कोड में जो प्राविजन हैं वह "Prevents or obstructs" हैं और हमारे इसमें जो प्रॉविजो हैं वह हैं "Prevents or obstructs inspection, entry, search and seizure by an officer..." यह सब है। इसलिये इस पर लेना जरूरी है बहुत। इसलिये माननीय सदस्य की तरमीम को मानने को मैं तैयार नहीं हूं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरी प्रार्थना है कि Are they not the discharge of the public duty ? अगर है तो यह कहने से काम नहीं चलेगा।

श्री मथुरादास माथुर : आब्स्ट्रक्ट ही होता सिम्पली तब तो क्लाज पूरा हो जाता, "From entry, from search and seizure" इन सब कामों के लिये अलग-अलग है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरा निवेदन यह है कि पब्लिक ड्यूटी के डिस्चार्ज में नहीं होगा। वह इन्सपेक्शन करने जाये, जबर्दस्ती मेरे घेर में घुस जाये, बिना किसी बात के तो क्या आप उसको बचाने की कोशिश करोगे ?

श्री मथुरादास माथुर : एक आदमी को आब्स्ट्रक्ट तो नहीं कर सकते इसलिये इसमें रखा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब सीजर उसके पब्लिक फंक्शन में है, एन्ट्री पब्लिक फंक्शन में है तो any obstruction and any action will be covered by this.

श्रीमती कान्ता खतूरिया (कोलायत) : सभापति महोदय, यह बड़ा विचारणीय प्रश्न है क्योंकि लॉ में सिम्पलीफिकेशन किया जाना चाहिये न कि लॉ में काम्पलीकेशन्स। अगर लॉ में काम्प्लीकेशन किया जायेगा तो लोगों को दुःख पहुँचेगा। इसलिये मैं कहूंगी कि डुप्लीकेशन ऑफ लॉ है, एन्ट्री, सीजर और सर्च इन सब का पीनल कोड में प्रोविजन किया हुआ है। आखिर सेल्स टैक्स ऑफिसर को अधिकार नहीं है कि वह जेल में भेज देगा। इसलिये आवश्यक है कि डुप्लीकेशन नहीं किया जाये। मेरा हालांकि अमेन्डमेन्ट नहीं है फिर भी श्री नाहर साहब ने जो अमेन्डमेन्ट मूव किया है, उसको सपोर्ट करती हूं।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे मन्जूर नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान डुप्लीकेशन पर तो इतना अधिक आकर्षित नहीं करना चाहता। प्रोविजन के द्वारा क्लियर किया गया है और शायद काग्नीजेबल आफेन्स होगा। अब आप देख लें प्रोविजो लगाया है, नीचेः—

"Provided that no court shall take cognizance of any offence under this sub-section except with the previous sanction of the Commissioner or any other officer specially authorised by the Commissioner in this behalf."

तो यह तो कम्पलेन्ट पेश होगी। यह तो और सिम्पलीफाई करना चाहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आई० पी० सी० के तहत पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करेगी यह साबित हुआ You want to give certain facilities आइडिया आपका पीनल के लिये सख्त बनाने का है या सरल बनाने का है ?

श्री सभापति : What about your amendment ? He does not accept it. You want to withdraw it or not?

श्री यशवंतसिंह नाहर : I will withdraw it. मैं पूछ लूं माननीय मंत्री महोदय से नहीं मानते हैं तो मैं इस पोजिशन में नहीं हूं कि इसको प्रेस करूं। कानून तो सदन में कई बनते हैं। मेरे दिमाग में तो नहीं बैठ रहा है लेकिन मुझे विवश होकर विथड्रा करना पड़ेगा। मैं फील करता हूं कि गलत कानून लाया जा रहा है और दो मिनिट में लॉ डिपार्टमेंट के आफ हैंड राय दे रहे हैं और मैं स्टेडी करके आया हूं। अगर फिर भी मंत्री जी नहीं मानते हैं तो ठीक है मैं विथड्रा कर लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खंड ८ में जो संशोधन का प्रस्ताव श्री यशवंतसिंहजी नाहर ने रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी

आप (श्री यशवंतसिंह नाहर) विथड्रा करें।

श्री यशवंतसिंह नाहर : यह कानून हजारों बन रहे हैं और हम उसमें बहते चले जा रहे हैं। मगर मैं पार्टी में बैठा हूं इतनी मुझमें जिम्मेदारी है। मैं वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड ८ पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

खंड ८ पारित किया गया

खंड ९

श्री यशवंतसिंह नाहर : खंड ९ में मेरा संशोधन है कि:—"Part (c) of the clause be deleted"

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं जानकारी चाहूंगा आपने एक्सरसाइज बुक्स के ऊपर टैक्स को वापिस कर लिया था ?

श्री मथुरादास माथुर : हां।

श्री यशवंतसिंह नाहर : आपने मन्जूर कर लिया है तो अच्छा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमेंट ने कमिट किया।

श्री मथुरादास माथुर : उन्होंने मूव कर दिया और हमने मन्जूर कर लिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : This is a non-official amendment.

श्री मथुरादास माथुर : उन्होंने मूव कर दिया और हमने मन्जूर कर लिया था।

(विराम)

श्री सभापति : आपने (श्री मथुरादास माथुर) स्वीकार किया है ?

श्री मथुरादास माथुर : (सी) वाला मामला क्लाज ९ का अमेन्डमेन्ट है : "Part (c) of the clause be deleted." उसको मन्जूर किया है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खंड ९ के भाग (सी) को जिसमें लिखा है : "Against serial number 10, in column number 2, the words "exercise books" shall be omitted, and"

Page No 105

(श्री सभापति)

यह जो धारा है इसके सम्बन्ध में जो संशोधन का प्रस्ताव श्री यशवन्तसिंह नाहर ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड ६ संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड ६ संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड (१) प्रिएम्बल, टाइटल आदि पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड (१) प्रिएम्बल टाइटल आदि पारित किया गया।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९७० को पारित किया जाय।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने अबके टैक्सेशन लाने में काफी दिमागी कसरत से काम लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने यह देखते हुए (छ) ऐसी बात की है कि जिसके ऊपर सदन में बराबर विचार करने से भी कुछ हासिल हुआ है या सदन को मता पाये हैं यह मैं समझा नहीं। कल जब विनियोग विधेयक पर यहां मतदान हो रहा था, रोटी और दाल पर जिस तरह से टैक्स लगाया है उससे सदन में और सदन के बाहर सब लोग यह सोचते हैं कि माननीय वित्त मंत्रीजी रोटी और दाल पर नाराज क्यों हैं। मुझे इसका कारण रात को ९ और १० के बीच में समझ में आया जब कि वित्त मंत्री जी यह कह रहे थे कि रोटी दाल वे खाते नहीं हैं क्योंकि आपको अपना पेट घटाना है और शरीर को मोटा भी रखना है। इसलिये मैं समझता हूं कि रोटी और दाल पर ३ परसेंट रखा दिया है। उसका कारण यह है। मैं निवेदन करूं कि आज आप स्वयं नहीं कहते और दूसरे ढंग का नाम दिया। रोटी और दाल में १ परसेन्ट की बढ़ोतरी की है उसको वापस लेने का कष्ट करें···

श्री रामानन्द अग्रवाल : तुम्बी पकड़ा देंगे सब के हाथ में।

श्री नत्थीसिंह : सभापति महोदय, मैं क्या कहूं मैं रोटी और दाल की बात करने लगा और नाहर साहब ने जाकर वित्त मंत्री जी का ध्यान इधर उधर कर दिया है। वैसे कल रोटी और दाल की बात हो रही थी और वित्त मंत्री जी ने सब को तुम्बा पकड़ा दी लेकिन उससे हम सन्यास लेने वाले नहीं हैं। वे भी शायद सन्यास नहीं लेंगे। इसलिए रोटी दाल के बारे में निश्चित रूप से दुबारा विचार करें।

एक दूसरी बात मैं और अर्ज कर दूं कि आमदनी के आधार पर जो इन्कम टैक्स देते है, १० हजार की जिनकी इन्कम है उनके बच्चों से अधिक शुल्क लेकर छात्र-छात्राओं में जो भेदभाव करने की बात की है। आप सभी छात्रों को इसमें सम्मिलित करते। इसलिए इस पर दुबारा विचार करना चाहिए। इसमें एक खतरे की बात है। माननीय सभापति महोदय, इससे इस सदन के सारे लोगों को पीड़ित होना पड़ेगा अगर इस टैक्स को वापिस नहीं लेते हैं तो

(श्री नत्थीसिंह)

इससे सबको कष्ट होगा। इन्कम टैक्स देते नहीं है फिर भी १० हजार की आमदनी है या नहीं इसको प्रमाणित करना पड़ेगा और विधान सभा के सदस्यों का सर्टिफिकेट लेने के लिए लोग आयेंगे और विधान सभा के सदस्यों की मजबूरी है कि उनके पास कोई ऐसा तरीका नहीं कि जिससे वे जांच कर लें कि इसकी आमदनी कितनी है।

(३.२४ म. प.)

(श्रीमती कान्ता खतूरिया, सभानेत्री पदासीन)

स्कूलों में इसके लिए प्रमाण-पत्र बना दें नहीं तो आप बड़ी दुविधा की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं।

अभी वित्त मंत्रीजी कह रहे थे कि इस बात का उन्हें ध्यान है कि उनके राज्य में जो उद्योग चल रहे हैं उन पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस दृष्टिकोण से भरतपुर में उद्योग चल रहे हैं और अलवर में उद्योग चल रहे रहे हैं उनके विषय में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तेल में सरसों और खली पर टैक्स का यहां पर मापदण्ड लगाया है। हमारे इलाके का तेल उद्योग है ...

श्री मथुरादास माथुर : This is outside the perview of this Bill.

श्री नत्थीसिंह : आपके पावर में है। आप इस तरह से लगा सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि आपके पावर में है, आपके परव्यू में है। अगर नहीं करेंगे तो ठीक है।

सभानेत्रीजी, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो टैक्सेशन इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में हैं उसमें केवल ३ पर्सेन्ट टैक्स लेते हैं और राजस्थान में ५-७ पर्सेन्ट तक का टैक्स लगाते हैं तो इसका प्रतिकूल प्रभाव यहां पर पड़ेगा। ७ पर्सेन्ट सरसों पर लगा दिया तो उत्तर प्रदेश से सरसों यहां पर आती है और वह तेल-मिलों के काम में आती है। अब तेल वाले अपने उद्योगों को यू० पी० में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से कहना चाहता हूं कि जो छोटे-मोटे उद्योग है, राजस्थान में उन उद्योग धन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इस बात को भी आप ध्यान में रखें।

आपने जो बात कही है उसको मैं जानता हूं। आपने कल बजट पास किया है और उसकी अन्तिम पूर्णाहूति आज है, एक-दो और होंगे उन सब में जिनकी तरफ आपकी नजर नहीं जाती थी उनको देखें और इस देखने में रोटी, दाल के साथ जो चीजें रह गई हैं उनके बारे में पुनर्विचार करें। नजर तो पड़ती है मगर नजर साफ पड़े यह देखना है। इतना ही निवेदन करना है।

श्री रामचन्द्र आर्य : दाल-रोटी को कैसे मान लें ? दाल के हलुवे की बात हो तो मान लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभानेत्रीजी, जो बिक्री टैक्स में वृद्धियां की है और जो बिल तृतीय वाचन के लिए हमारे सामने पेश है।

(माननीय वित्त मंत्रीजी के ऑफिसर्स गैलेरी से बात करने पर)

माननीय वित्त मंत्रीजी आप आयें।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि वित्त मंत्रीजी बजट पेश करते हुए आपने एक मजबूरी यह जाहिर की थी कि राज्य की वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए मुझे मजबूरन और बिक्री टैक्स बढ़ाने के साधनों का उपयोग करना पड़ा है। आपने इसे कामधेनु की संज्ञा दी थी। और इस रूप में टैक्सेशन के सिस्टम में वित्तीय साधनों के जुटाने के सिस्टम में अनिवार्य है ऐसा आपने इसके बारे में कहा था। हम लोगों ने बजट के सामान्य बहस के दौरान और इस विभाग की बहस के दौरान और एप्रोप्रिएशन बिल की बहस के दौरान आपकी जो जनरल टैक्सेशन पॉलसी है, आपकी अपने वित्तीय साधन जुटाने की नीति है उसमें आमूल दशा में परिवर्तन करने की आवश्यकता की ओर संकेत किया था। परन्तु, सभानेत्रीजी, इस बात को वित्त मंत्रीजी भी स्वीकार करेंगे कि एक पिछड़े हुए प्रदेश में, राजस्थान जैसे में जहां कि प्रति व्यक्ति आमदनी काफी नीचे है, बिक्री टैक्स का बोझ सामान्य तौर पर सामान्य नागरिक के ऊपर पड़ता है। बावजूद इस बात के इस बिक्री टैक्स में कुछ दरें जो बढ़ाई गई हैं उसमें इस बात का ध्यान भी रखा गया कि लग्जरी गुड्स पर या सेमी-लग्जरी गुड्स के ऊपर और सेल्स टैक्स बढ़ाया जाय, लेकिन फिर भी जो वित्तीय साधन जुटाने की मजबूरी है उसमें यह कहीं जिक्र नहीं है कि केवल यह सीमा लग्जरी और सेमी-लग्जरी गुड्स तक रहे। जिस तरह से होटल्स और रेस्ट्रां पर टैक्स बढ़ाया और जिसका असर सामान्य आदमी पर पड़ा उसका ईको इस सदन में चारों तरफ सुनने को मिला। इसलिए जब आप बिक्री कर को ही अपने वित्तीय साधन बनाने का एक मुख्य आधार मानकर चलते हैं तो फिर लग्जरी और सेमी लग्जरी गुड्स की सीमा बहुत ही सीमित है, और इस रूप में आप इस दिशा में चलेंगे तो लाजिमी तौर पर आप लोगों की नेसेसिटीज, आवश्यकताओं की चीजों पर बिक्री कर लगाने के मोह को नहीं छोड़ सकते हैं। इस रूप में एक दफा तो आपने कापियों तक पर टैक्स लगाया जिसको आपने इस सदन की भावनाओं को देखकर वापिस लिया। इसी तरीके से जो होटल्स और रेस्ट्रां पर पहले से जो दो पर्सेन्ट लगा हुआ है उसमें आपने अभी एक पर्सेन्ट और बढ़ाकर रखा है। तो अच्छा यह होता कि अगर आपने लग्जरीज और सेमी-लग्जरीज के ऊपर कुछ टेक्सेशन बढ़ाया था तो कम से कम नेसेसीटीज, जिन पर पहले से लगा हुआ है, आप कम कर देते, उसमें छूट आप दे देते। आप यह कह कर बचकर निकलना चाहते हैं कि रोटी और दाल पर २ पर्सेन्ट तो पहले ही लगा हुआ है तो दो पर्सेन्ट को हटा कर एक पर्सेन्ट और बढ़ाकर २ के बजाय ३ पर्सेन्ट करते हैं तो औचित्य तो आज इस बात का है, अगर आप दिशा बदलना चाहते हैं, अगर लग्जरीज और सेमी-लग्जरीज पर टैक्स लगाना चाहते हैं तो पहले जो नेसेसिटीज पर टैक्स लगे हुए हैं, उनको हटाने की दिशा में आपको पकड़नी चाहिए। केन्द्रीय बजट में इस दिशा को, थोड़ी मात्रा में ही सही, लेकिन पकड़ने का संकेत किया है, उसको इसकी तरफ कदम बढ़ाने की इच्छा अवश्य है। हम यह आशा करते हैं कि राजस्थान सरकार भी उस दिशा की तरफ कदम बढ़ायेगी। इसलिए, सभानेत्रीजी, मैं निवेदन करूंगा कि होटल और रेस्ट्रां पर जो आपने तीस हजार की टर्न ओवर पर या उसके ऊपर की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

टर्न ओवर पर टैक्स लगाया है यह निश्चित रूप से सामान्य आदमी के खाने पर, जिसको सामान्य भाषा में कहा जाय तो दाल रोटी पर टैक्स लगाया है। यह बिल्कुल दुरुस्त है कि आपने दो पर्सेन्ट टैक्स पहले लगाया था, अब दो पर्सेन्ट के ऊपर एक पर्सेन्ट और बढ़ाया है। यह दिशा गलत है इसलिए इस पर से तीन का तीन पर्सेन्ट आज हटाने की आवश्यकता है।

सभानेत्री महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा, वित्त मंत्रीजी! आगे आने वाले वर्षों में भी बजट पेश होगा, और उस समय आपके सामने मजबूरी आ जायगी तो आपका मेन साधन इन्कम का यह बिक्री टैक्स ही रहने वाला है। आप और किसी को न पकड़ कर, किसी दूसरी चीज को न पकड़कर इस कामधेनु पर ही निर्भर रहते मालूम पड़ते है। तो फिर ऐसा लगता है कि आपका अभी जो मौजूदा टैक्सेशन का लेवल है और जो टैक्सेशन इस साल इम्पोज किया है, आपके ही एस्टीमेट के अनुसार २८ करोड़ रुपये के पिछले टैक्सेशन हैं और एक करोड़ के टैक्सेशन इस बजट में आपने प्रपोज किये हैं—इस प्रकार २९ करोड़ रुपये की इस सेल्स टैक्स के जरिये आमदनी हो जायगी, जो करीब १४, रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से आता है। इसलिए आपको इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। अभी जो टैक्सेशन है उससे आगे बढ़ कर इस कामधेनु की और ज्यादा दुहने वाले तो नहीं हैं—यह आश्वासन आपको देना चाहिए। और जो नेसेसिटीज पर टैक्सेशन लगा हुआ है इसको आप हटायेंगे इस दिशा में आप विचार करना शुरू करेंगे, इस बात को आपको सोचना चाहिए।

सभानेत्रीजी, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अगर सरकार की ओर से टैक्सों की चोरी को रोकने की तरफ ज्यादा प्रयत्न किया जाय तो काफी हद तक बेहतर नतीजे निकले सकते हैं और लोगों को कुछ राहत भी दी जा सकती है और आमदनी भी स्टेट की बढ़ सकती है। मैं पिछले दिनों के आंकड़े देख रहा था, सेल्स टैक्स जो एरियर में रहा है उसके आंकड़े देख रहा था, उन आंकड़ों को देखने पर, सभानेत्रीजी मालूम हुआ कि १९६६-६७ में जो एरियर रहा, वह पिछले पांच-छः वर्षों में जितना हर वर्ष एरियर रहा, उसमें यह १९६६-६७ का, जो कि इलेक्शन इयर था, एरियर एबनार्मल है। सेल्स टैक्स का एरियर छोड़ दिया गया है करीब १ करोड़ १४ लाख। शायद १९६६-६७ में एरियर ज्यादा छोड़ा क्योंकि और वर्षों में एरियर बीस लाख का है, पच्चीस लाख का है, तीस लाख का है। जब और सालों में इतना ही एरियर रहता है तो मैं वित्त मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि आखिर इस १९६६-६७ में इतना एबनार्मल एरियर छोड़ने का क्या कारण है? सामान्य तौर पर यह बात समझ में आती है कि वह इलेक्शन ईयर था और इलेक्शन ईयर में कुछ लोगों के वोट लेने के लिए, व्यापारी लोगों को रियायत देने के लिए यह सेल्स टैक्स छोड़ दिया गया।

श्री मथुरादास माथुर: कहां छोड़ा है सेल्स टैक्स? सेल्स टैक्स छोड़ने का किसी अधिकारी को अधिकार नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: एरियर में रखने के मैं आंकड़े आपको बताता हूं। यह आंकड़े बोलते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : यह आंकड़े नहीं बोलते, आप गलत कहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आडिट रिपोर्ट आप देखिये, यह एरियर जो है यह १९६६-६७ में कितना है और उससे पहले चार सालों में कितना है ? इस साल में एबनार्मल है तो क्यों हैं ? यह आपको एक्स्प्लेन करना चाहिए। हो सकता है और भी कारण हों लेकिन ऑन दी फेस ऑफ इट इसे देखें तो मालूम पड़ता है कि १९६६-६७ इलेक्शन ईयर है, तो सामान्य रूप से यह मालूम पड़ेगा कि इलेक्शन ईयर होने के कारण एक्सेप्शनल तरीके से एरियर छोड़ दिया गया, बाद में कभी आगे वसूल कर लेंगे, यह कहा होगा या स्टे हो गये होंगे और किसी बिना पर छोड़ दिया गया होगा।

तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था, आपने इस बिल में कुछ सुविधायें इंडस्ट्रियलिस्ट्स को दी हैं उनके लिए जो माल कमीशन एजेन्ट वगैरह खरीदेंगे, उनको वह सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह प्राविजन आपने इसके अन्दर रखा है। अभी सैकिण्ड रीडिंग में उनको हमने पास भी किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो यह आवाज उठाई जा रही है कि टैक्सों की चोरी बहुत हो रही है, उसके बावजूद आप इस बात की तरफ ध्यान न देकर ऐसे प्रोविजन्स को इन्ट्रोड्यूज कर रहे हैं, इसके अन्दर यह भी लेकूनाज हैं, जो यह लूप होल हैं, जिनके जरिये टैक्स की चोरी होती है, जो चोरी के रास्ते हैं, उन चोरी के रास्तों और गलियों को इस कानून में छोड़ा है, जबकि आज आम आदमी इन टैक्सों का पैसा देता है और बड़े लोग चोरी के रास्तों और गलियों का फायदा उठा कर बहुत से आयटम टैक्सों की चोरी करते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा, अगली साल जब आप रिव्यू करेंगे तब देखेंगे कि आपके इन प्राविजन्स से कितने लोग लाभ उठाते हैं। यह बात कह कर यह प्राविजन रखते हैं कि नोटिफाइड इन्डस्ट्री के माल की खरीद और बिक्री के लिए और रॉ मेटिरियल के लिए यह चीज कर दी गई है, कमीशन एजेंट चाहे कितना ही माल खरीदें बेचें उस पर सेल्स टैक्स नहीं होगा। इस तरह से आप उनसे तालमेल बिठा सकते हैं लेकिन इस तरह चोरी का रास्ता इस बिल के अन्दर इन्ट्रोड्यूज किया जा रहा है और उसको अपनी मेजोरिटी से आपने पास कराया है। मैं कहूंगा कि यह एक बहुत बड़े ताज्जुब की चीज है अगले वर्ष जब आप रिव्यू करेंगे तब इसका आपको अन्दाज लगेगा। इसका क्या नतीजा होगा ? सभानेत्री जी, जो इस प्रकार से आपने ट्रान्सफर ऑफ प्रापर्टी के लिए प्राविजन रखा है, जो लोग टैक्स को इवेड करने के लिए अपनी प्रापर्टी को ट्रान्सफर कर देते हैं उनके बारे में इसमें प्राविजन रखा है। मुझे बड़ी खुशी होती, अगर आपकी नीयत वास्तव में यह होती कि टैक्स को लोग इवेड न करें, टैक्स को इवेड करने के लिए अपनी प्रापर्टी को बेच कर टैक्स से बरी न हों-अगर यह नीयत थी आपकी तो मैं कहूंगा कि यह प्रोविजन जिस तरह से आपने इसमें रखा है यह प्राविजन आपकी उस इन्टेन्शन को मीट नहीं करता है, यह प्राविजन आपके इस लेकुना के कारण से जिस तरह से लोग टैक्स से बचने के लिए प्रापर्टी को सेल करते हैं उनको ऐसा करने देने के आपके पर्पज को पूरा नहीं करता है। जिस तरह से झुंझुनू से आने वाले माननीय

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
सदस्य ने कहा कि जिस प्रकार के प्राविजो को आप स्वीकार कर रहे हैं, फार बोनाफाइड कन्सीडरेशन, वेल्यूएबल कन्सीडरेशन की बुनियाद पर वह ट्रान्सफर या सेल जायज होगा, तब कोई भी वेल्यूएबल कन्सीडरेशन की बुनियाद पर बेच कर, बोनाफाइड कन्सीडरेशन के नाम पर ट्रान्सफर करके, बेनामी में कोई बिक्रवाला के बाद में आपके इस कानून को परव्यू से निकल सकता है। इसलिए आपके पास में कोई तरीका होना चाहिए, कोई प्राविजन होना चाहिए इस प्रकार का कि जिसके आधार पर आप अपने टैक्स को सीक्योर कर सकें। आपके टैक्स की प्लेज अच्छी होती यदि आप इस तरह का कोई जनरल प्राविजन इसमें डाल देते, आप कोई जनरल तरीके

(३.४६ म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

का प्राविजन इसमें डाल देते कि कोई भी प्रापर्टी को ट्रान्सफर करे तो It is payable by the person transferring the property. इस तरीके का कोई जनरल प्राविजन हो, जो यह निर्णय करने में सहायक हो सके कि वेल्यूएबल कन्सीडरेशन है या नहीं। एवरी बडी, जो भी खरीददार है, वह मान कर चलता है कि जो प्रापर्टी वह खरीद रहा है, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट का पहले का टैक्स है वह फर्स्ट चीज होगी इनहैरेन्ट। इस तरह का प्राविजन आप लॉ में करें जिससे वेल्यूएबल कन्सीडरेशन के लिए है या बगैर वेल्यूएबल कन्सीडरेशन के लिए है इस चीज का निर्णय लिया जा सके। इस प्रकार का प्राविजन होगा तो इस प्रकार के डिफाड से आप बच सकते हैं वरना आप कुछ कनिंग लोगों को ४२० आदमियों को यह सहूलियत देते हैं कि वे तो टैक्स को डिफाड कर जायं और साधारण आदमी वैसे ही डिफाड करने का प्रयत्न नहीं करते हैं। चालाक लोग पकड़े नहीं जायेंगे, इसलिये आपका यह प्रोविजन रिडन्डेन्ट हो जायगा।

चौथी बात में यह कहना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स के आपके कार्मशियल ऑफिसर्स हैं, इस सदन में पहले भी इस बात का जिक्र किया गया था कि वे लोग तरह-तरह के चन्दे और वसूलियां करने में हिस्से लेते हैं अभी इस बात का जिक्र किया गया और मैं कहना चाहता हूं अभी इसी मार्च महिने में आप के कार्मशियल टैक्स ऑफिसर्स ने डिस्ट्रिक्ट में एडवान्स में सेल्स टैक्स वसूल किया है। मुझे इसमें आपत्ति नहीं होती अगर इन्कम टैक्स की तरह सेल्स टैक्स के लिये भी एडवान्स पेमेन्ट पेयेबल बाई ला कर दिया जाय। अगर एडवान्स पेमेन्ट लेना है तो एडवान्स पेमेन्ट का कोई पर्सेंटेज कम्पलसरी कर दिया जाय तो कोई आपत्ति नहीं पर कर-कानून इस तरह की हिदायत नहीं देता और आप एक्जीक्यूटिव आर्डर दे कर और आपको सर्विसेज को यह कह कर कि जो ज्यादा टैक्स वसूल करेगा उसकी एफिसियेन्सी इस बुनियाद पर गिनी जायगी, इस आधार पर एडवान्स पेमेंट वसूल करवायें तो यह एक दम अनुचित है। वैसे तो आपने ब्लेक मार्केटिंग की बात बहुत बढ़ा दी पर एडमिनिस्ट्रेशन में यह ब्लेक मार्केटिंग मत करो कि कानून से, रूल से आप जिस चीज को नहीं करवा सकते वह टेलीफ़ोन से करवाना चाहें और अपने फाइनेन्सेज को बढ़ायें, एग्जेगरेटेड दिखाना चाहें यह बिल्कुल अनुचित है। इसलिये मैं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कहूंगा वित्त मंत्रीजी कि आपका यह कहना काफी नहीं है जब माननीय सदस्य सदन में कहते हैं कि ऐसा हुआ है, आप यह कहें कि किसी व्यापारी की शिकायत आयेगी तो जांच करवाऊंगा। मैं कहना चाहता हूं कि सब डिस्ट्रिक्स में एडवान्स जमा करवाया गया है, अलवर में ऐसा हुआ है। इन्कम टैक्स के कानून में तो इस प्रकार का प्रावधान है पर आपके कार्मशियल टैक्स आफिसर्स को, आपके द्वारा इस प्रकार एडवान्स जमा करवाने की कार्यवाही से, आर्बीट्रेरी अधिकार आ जायेंगे। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इसकी जांच आवश्यक है कि इस प्रकार की एडवान्स वसूलियां हुईं या नहीं हुईं? हुईं तो किस तरह से हुईं? गवर्नमेन्ट की तरफ से इस प्रकार की वसूलियों के लिये इन्स्ट्रक्शन्स थे या आपके कार्मशियल टैक्स आफिसर्स ने स्वयं अपनी मंशा से इस तरह की वसूलियां की हैं? माननीय वित्त मंत्रीजी के सामने कुछ मिसालें कार्मशियल टैक्स आफिसर्स के जरिये चन्दा इकट्ठा करने के बारे में सदन में कही गई हैं, उस पर उन्होंने विश्वास दिलाया था कि एन्क्वायरी करूंगा। जैसलमेर के बारे में मैंने जिक्र किया था कि जैसलमेर में आफिसर्स क्लब बनाने के लिये आपके कार्मशियल टैक्स आफिसर्स ने, रेवेन्यू आफिसर्स ने और दूसरे आफिसर्स ने अपने अपने हिस्से का कोटा बांध लिया और अपने-अपने कोर्ट में उन्होंने इस प्रकार की वसूली की। कानून के माफिक आपके कार्मशियल आफिसर्स को असेसमेंट के पावर्स हैं कि वे इतना असेसमेंट कर सकते हैं। इसलिये व्यापारियों ने डर कर आपके टैक्स की कीमत पर चन्दा दिया, वह चन्दा दिया तो व्यापारियों ने नहीं दिया वह आपने दिया है। इस तरह से चन्दा वसूल करना चाहते हैं तो इससे तो अच्छा है कि स्टेट-ग्रान्ट दे दें।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, बिल को पारित करते वक्त तीसरी स्टेज पर माननीय सदस्य जो अलवर से आये हैं उन्होंने और भरतपुर से से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विचार रखे हैं, उनका स्वागत करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: इनकी बातों से एग्री करता हूं, यह भी कहो।

श्री मथुरादास माथुर: सुन लो।

क्योंकि दोनों माननीय सदस्य समाजवादी हैं, इसलिये वे जो कहते हैं, उनके भाषणों के आकार और प्रारूप को उस दृष्टि से देखता हूं। माननीय सदस्यों ने जो बातें कही, खास तौर से भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन का ध्यान और राज्य सरकार का ध्यान इस ओर खींचा अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इसका जिक्र किया और कुछ दिनों से यह बहुत बड़ा प्रचार चल रहा है कि हमने दाल-रोटी पर टैक्स लगाया है। मेरे साम्यवादी और समाजवादी दोनों सदस्यों ने जो इस स्लोगन को डेवलप किया है इसके लिए इनकी अक्ल की तारीफ करता हूं। कोई बात नहीं थी, इन्होंने एक बवंडर खड़ा कर दिया और जगह जगह प्रचार कर दिया कि राजस्थान सरकार दाल-रोटी पर टैक्स लगा रही है और इस तरह से मेरे साम्यवादी बजट पर ठंडा पानी डालने की कोशिश की है

Page No 112

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपका बजट साम्यवादी बजट नहीं है

श्री मथुरादास माथुर : आप तो समझते नहीं हैं क्यों कि समाजवाद से आप की पार्टी का क्या मतलब ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह समाजवादी बजट नहीं, पूंजीवादी बजट है।

श्री मथुरादास माथुर : गौर से सोचिये कौनसी रेस्ट्रां पर टैक्स लगाया है, कौनसी दाल पर टैक्स लगाया है। जो रेस्ट्रां है, नीरोज है, रामबाग पेलेस होटल है, खासा कोठी है; उन पर लगा है। अगर रामबाग होटल में, खासा कोठी में कोई चुपड़ी रोटी खाय तो २०० रुपया कमरे का किराया दे सकता है; वह यह नहीं दे सकता ? उपाध्यक्ष महोदय. मेरा निवेदन है कि वहां रोटी खायें, दाल खायें, दाल में पाव भर मक्खन का छमका लगा दें और हमारे साम्यवादी और समाजवादी माननीय सदस्य कह दे कि माथुर साहब ने रोटी और दाल पर टैक्स लगा दिया....

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : इस बारे में थोड़ा सा कहूंगा, क्योंकि आपने एक ऐसा पोइन्ट रख दिया है। समाज में बड़ा-छोटा कोई हो, रोटी और कपड़े के मामले में सब पर इकसार होते है। चाहे छोटा हो या बड़ा हो रोटी के मामले पर छोटा बड़ा मत करिये। और चोजों पर टैक्स लगा दीजिये, शराब पर ज्यादा टैक्स लगा दीजिये

श्री मथुरादास माथुर : रूस आप हम सब साथ चलेंगे। मैं कई दफा गया हूं। लेकिन आपकी बात समझ नहीं पाया।

मैंने रोटी दाल पर कोई कर नहीं लगाया है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : किस पर लगाया है फिर ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : माथुर साहब आप बता दें....

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है....

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप मानते तो हैं अन्तरात्मा में, माथुर साहब ? आप अन्तरात्मा से प्रभावित हैं। अन्तःकरण की बात कहें आप।

श्री मथुरादास माथुर : यह चार्ज लगाया है कि राज्य सरकार ने रोटी और दाल पर टैक्स लगाया है। ढाबे, बड़े-बड़े रेस्ट्रां, ३० हजार के टर्न ओवर तक माफ हैं। रेल्वे स्टेशन पर रेस्ट्रां हैं। मैडम बैठ जाइये, रोटी दाल ही परोस रहा हूं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : एक ढाबे पर कितनी बिक्री हो जाती है रोज की ?

श्री मथुरादास माथुर : ७५ से ८० रु० तक।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एम. एल. एज. होटल है वहां पर इन्वाइट करता हूं आपको, वहां साधारण रोटी दो-दो आने की मिलती है, स्पेशल रोटी चार आने की मिलती है, उससे पूछिये कि कितना टर्न ओवर है। उसको भी देना पड़ेगा। चपरासी, एम. एल. एज. और जो भी खाता है....

श्री देवीदत्त गाड़िया : सेल्स टैक्स ऑफिसर वहां आवेंगे, उन पर छापा मारेंगे। वे लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं क्योंकि उनके अका

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
कर गुजर करते हैं। हिसाब नहीं रख सकेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फ्री स्टाइल होटल है, केटरिंग होटल है। उन पर लगा दीजिये ५ पर्सेन्ट।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आपको पता नहीं है कि छोटे-छोटे ढाबों पर कितनी बिक्री होती है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इतना सब कह रहे हैं तो आप मान ही लीजिये।

श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : पेट भरने का जो धन्धा करते हैं उन पर आप टैक्स लगा रहे हैं खेती करने वालों पर तो नहीं लगाया।

श्री मनोहरसिंह मेहता : हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कृपया इसको वापिस ले लीजिये।

श्री मदनसिंह दांता : छोटे-छोटे लोग यह धन्धा करते हैं और पेट भरते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : १।। रु० का एक आदमी का बिल बनता है। २० आदमी एक साथ बैठते हैं। आप जरा हिसाब तो लगाइये।

श्री मथुरादास माथुर : ढाबे में गोश्त-रोटी बेचते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : वह भी उसमें आवेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : छोटे कर्मचारियों को लूटखसोट करने का हक दे रहे हैं। आपके अधिकारी छापे मारेंगे और लूट खसोट करेंगे छोटे-छोटे ढाबों पर।

(शोरगुल—व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : चार रोटी खाओ तो १।। रुपये का बिल बन जावेगा। दो रुपये का बिल बन जावेगा। आप उनको देखो कि कितना बेचते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आपके चौके पर ७५ रु० का खर्च आता होगा तो उस पर भी टैक्स लगा दीजिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : महिला सदस्याओं की ओर से पुरजोर कहा जा रहा है। अब तो मानिये।

श्री मदनसिंह : वित्त मंत्रीजी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। एक काश्तकार है दांता का। ६० मील यहां से दूर है, वह वहां से चलता है तो पहले तो आपकी मोटर में बैठा उसका टैक्स देगा। उसके बाद रेनवाल में ठहरेगा और वहां रोटी खायेगा तो टैक्स देगा। रेनवाल से जयपुर आता है तो मोटर का फिर टैक्स देगा और यहां पर तीन रोज ठहरेगा तो ढाबे में रोटी खावेगा तो आपको फिर टैक्स देगा। आप उस आदमी पर टैक्स लगा रहे हैं। ३० हजार वालों पर नहीं लगा रहे हैं। रामबाग वालों पर लगाओ। शराब के ठेकेदारों पर दो-दो रुपया और बढ़ा दीजिये। यह टैक्स तो कन्ज्यूमर जो गरीब तबका है उस पर पड़ता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ३० हजार से ५० हजार तक इसकी सीमा बढ़ा दी जाय।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आमदनी बहुत थोड़ी होती है और बदनामी ज्यादा होती है।

श्री जगन्नाथ : नहीं लगाना चाहिये।

श्री नत्थीसिंह : इसीलिये कह रहे हैं।

(शोरगुल : व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह तो लूट-खसोट और रिश्वतखोरी का बाजार खोल रहे हैं, बड़े-बड़े टैक्स पेयर से तो वसूल नहीं करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : इस जवाब के देने के बाद मेरा जवाब समाप्त होगा और फिर बिल पारित होगा न ?

उपाध्यक्ष महोदय, सब माननीय सदस्यों और खास तौर से इधर बैठने वाली लेडी मेम्बर्स के आग्रह को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने इस बात का निर्णय किया है।

"Food preparations ordinarily prepared by Tanduriwalas and Dhabawalas when sold by them shall be exempted"

उपाध्यक्ष महोदय, बाकी दूसरी बातों का मैं जवाब दे चुका हूं। और उसके लिये समय लेना नहीं चाहूंगा। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय ?

(स्वीकृति)

विधेयक पारित किया गया।

श्री मथुरादास माथुर: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) विधेयक, १६७० को विचरार्थ लिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कल के लिये पोस्टपोन किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : दोनों कल पास हो जावेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज फर्स्ट अप्रेल भी है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कल कर लीजिये। माथुर साहब आपको क्या आपत्ति है कल ले लिया जाय ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कान्क्रीट सजेशन दूंगा कल।

श्री मथुरादास माथुर : जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि कल यात्री कर विधेयक और दूसरा छोटा सा बिल है वह पास कर दिया जायगा, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् ४.१० बजे बृहस्पतिवार दिनांक २-४-७० के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ठ-१

(तारांकित प्रश्न संख्या ४४५ की सूची)

कार्यालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर और जोधपुर, बीकानेर नक्शा रेवेन्यू बकाया मुकदमात सन् १९६२ से ३१-१२-६९ तक के

विषय	सन्	बीकानेर	जोधपुर	कुल योग
१	२	३	४	५
डिग्री २२१	६३	–	१	१
	६४	–	२	२
	६५	–	५	५
	६६	१०	१७	२७
	६७	१८	३६	५४
	६८	६१	७८	१३९
	६९	१०८	११६	२२४
	योग....	१९७	२५५	४५२
२२५ आर. टी. ए.	६५	–	३	३
	६६	१	१२	१३
	६७	५	४३	४८
	६८	४८	६०	१०८
	६९	१६६	१८७	३५३
	योग....	२२०	३०५	५२५
७५-७६ एल. आर.	६४	१	२	३
	६५	–	२	२
	६६	१	२०	२१
	६७	१२	३६	४८
	६८	४४	११५	१५९
	६९	६६	१६९	२३५
	योग....	१२४	३४४	४६८
गंग केनाल	६७	४	–	४
	६८	२३	–	२३
	६९	७१	–	७१
	योग....	९८	–	९८

१	२	३	४	५
पंचायत एक्ट	६६	–	१	१
	६७	३	३	६
	६८	५	१	६
	६९	९	३	१२
	योग....	१७	८	२५
पी. डी. आर.	६७	–	२	२
	६८	१	–	१
	६९	२	२	४
	योग....	३	४	७
म्युनिसिपल एक्ट	६३	–	१	१
	६४	–	–	–
	६५	–	–	–
	६६	–	२	२
	६७	–	७	७
	६८	३	१८	२१
	६९	३	१७	२०
	योग....	६	४५	५१
नजरसानी	६९	११	३	१४
	योग....	११	३	१४
मुतफरकात	६४	–	१	१
	६५	–	१	१
	६६	–	३	३
	६७	–	१०	१०
	६८	४	५	९
	६९	३३	२८	६१
	योग....	३७	४८	८५
	कुल योग....	७१३	१०१२	१७२५

परिशिष्ट–२

(तारांकित प्रश्न संख्या ४५७ की सूची)

क्रम सं०	नाम गांव	ख० नं०	रकबा	किस्म जमीन	आदेश अधिकारी किस्म परिवर्तन	आदेश नं० व तारीख	परिवर्तन कारण
१.	डीडिया कलां	४२८	३०।)	गै० मु० मगरा	एस० डी० ओ०, नागौर	७६०/२२-२-६७	पंचायत की मांग पर आबादी में
		४२३	२३।।)३	,,	,,		
२.	जायल	८३३	६)२	,,	,,	३४६/२८-८-६७	काश्त हेतु
		२४१३/७	१०)	,,	,,	११४०/१५-७-६८	,,
		२७७४	१५)	,,	,,	१६०२/ ५-७-६९	,,
३.	सुवादियां	१/५६३	१३)२	गोचर	राज्य सरकार	एफ० २(२१६) राज./ख/६७, दिनांक २२-११-६७	काश्त हेतु
		३०	१६।।)	,,	,,		
४.	खबर पं० सं०, सोमड़ा	५३५	४।।)४	गै० मु० मगरा	एस० डी० ओ०, नागौर	३७७/२८-२-६८	पंचायत की मांग पर आबादी में
		३६६	८।।)३	,,			
		२००	५।।)२	,,	,,		
५.	रोल	१२८१/२	१५)	गै० मु० मगरा	,,	१८५१/१४-८-६९	काश्त हेतु
		१२८१/३	१६।।)	,,	,,	,,	,,
६.	गुगरियाली	३५	७।।।)	गै० मु० मगरा	,,	१४०७/१६-८-६७	काश्त हेतु

परिशिष्ठ–३

(तारांकित प्रश्न संख्या ४५८ की सूची)

चित्तौड़गढ़ जिलों में जलप्रदाय योजना का कार्य-प्रगति विवरण

(शहरीय जलप्रदाय योजनाएं)

योजना का नाम	भौतिक प्रगति विवरण	वर्ष ६९-७० में खर्च की राशि (रु. लाखों में)	स्कीम को पूर्ण करने की अवधि
१	२	३	४
१. चित्तौड़गढ़	पूर्ण	०.०१	१-१-६८
२. कपासन	पूर्ण	०.०४	दिसम्बर, ६४
३. निम्बाहेड़ा	पूर्ण	—	१-९-६४
४. छोटी सादड़ी	पूर्ण	—	१-६-६४
५. प्रतापगढ़	पूर्ण	०.०१	९-३-६१
६. बड़ी सादड़ी	एच टाइप क्वार्टर कार्यालय भवन, पाइप लाइन व क्वार्टर का कार्य चालू है, सर्विस रिजर्वायर का कार्य शीघ्र ही हाथ में लिया जाने वाला है	०.३५	१९७१–७२
(ग्रामीण जलप्रदाय योजनाएं)			
७. घोसून्डा	पम्प रूम राईजिंगमेन व जल स्रोत तैयार हो चुके हैं। एस. आर. भी बनकर तैयार हो चुका है। पाइप लाइन का कार्य चालू है	०.१५	१९७०-७१
८. बस्सी	एस. आर. पम्प रूम बन चुके हैं जल स्रोत का कार्य चालू है	०.२५	१९७०-७१
९. बेगूं	एस.आर. पम्प हाउस क्वार्टर आदि कार्य पूर्ण हो चुके हैं	०.८९	१९७०-७१
१०. भादसोड़ा	पूर्ण	०.३०	जनवरी, ७०

Page No 119

१	२	३	४
११. कनेरा	एच. टाईप क्वार्टर का एक भाग पूर्ण हो चुका है, कुए व एस.आर. का कार्य चालू है, पाइप लाइन का कार्य हाथ में लिया जा रहा है	०.११	१९७०-७१
१२. सावा	क्वार्टर का कार्य पूर्ण हो चुका है एस. आर. व कुए का कार्य अन्तिम चरण में है, अन्य कार्य शीघ्र ही शुरू किये जावेंगे	०.२१	१९७०-७१

परिशिष्ट–४

(तारांकित प्रश्न संख्या २०१ की सूची)

जागीरदार व जागीर कर्मचारी जिनको नायब तहसीलदार के पद पर चयन कमेटी द्वारा नियुक्त किया गया था व उनकी वरिष्ठता अनुसार उनको तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया गया

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति नायब तहसीलदार के पद पर	पदोन्नति तहसीलदार के पद पर	नायब तहसीलदार के पद पर स्थाई होने का दिनांक
१		२	३	४
१.	श्री रामचन्द्रसिंह	अप्रेल, १९५७	२२–५–५७	१२–२–६०
२.	श्री लालसिंह	१०–११–५६	१४–११–६०	१२–२–६०
३.	श्री विजयसिंह	९–११–६३	अक्टूबर, ६८	—
४.	श्री गोविन्दसिंह	१८–७–६१	२–७–६८	—
५.	श्री धर्मवीरसिंह	३–६–६१	१०–११–६५	३–६–६१
६.	श्री धर्मपालसिंह	१६–९–६१	जनवरी, ६६	—
७.	श्री दलपतसिंह	५–९–६१	१८–९–६८	—
८.	श्री भवानीसिंह	३–६–६१	यह इस समय निलम्बित है व इनका कार्य असन्तोषजनक होने से पदोन्नत नहीं किये गये है	३–६–६१
९.	श्री महताबसिंह	१३–३–६२	२–७–६८	—
१०.	श्री प्रभूदान उज्ज्वल	२५–६–५५	१९६०	—
११.	श्री गणपतसिंह छीतलवाना	१८–१२–६०	१९६९	—
१२.	श्री गणपतसिंह (खेजड़ला)	२५–८–६०	१९६९	—
१३.	श्री दाउलाल	२–३–५५	१९५९	—
१४.	श्री शिवनारायण	२१–८–५५	२९–१०–५९	—
१५.	श्री पदमसिंह	२०–६–६०	२–७–६८	—
१६.	श्री नरपतकरण	२३–५–६०	२–७–६८	—
१७.	श्री कानसिंह भसोल	१–८–५५	१९६०	—
१८.	श्री कानसिंह राठोड़	६–६–५५	५–११–५९	—

Page No 121

१	२	३	४
१९. श्री डूंगरसिंह	सेपटेम्बर, ५७	१९६७	३–६–६१
२०. श्री पूरणप्रकाश	२८–३–६३	१२–६६	—
२१. श्री अमरसिंह	१८–३–५५	१९५९	१२–२–६०
२२. श्री उम्मेदसिंह	१–१–६१	१९–१०–६८	—
२३. श्री नरपतसिंह	२२–११–६२	२६–९–६७	—
२४. श्री दिलीपसिंह	३–६–६१	अक्टूबर, ६५	३–६–६१
२५. श्री गुमानसिंह	१२–२–६०	२९–१२–६४	१२–२–६० व २९–१२–६४ स. तहसीलदार के पद पर

परिशिष्ट–५

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

सांचोर तहसील में भूमि का आवंटन

४६५. श्री गंगा सहाय (कठूमर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जालोर जिला की सांचोर तहसील में भोजा, होती गांव, भवातडा, सार्करिया, चितलवास रामपुरा, एवं सुराचन्द में सम्वत् २०२३, २०२४ व २०२५ में भूमि का अलॉटमेन्ट किया गया था ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि उस गांव के रहने वालों को एलॉटमेन्ट में प्राथमिकता नहीं दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं, इन्हीं गांवों में रहने वालों को ही अलॉटमेन्ट में प्राथमिकता दी गई है ?

राजलदेसर जल योजना

४६६. श्री रावतराम (छापर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कस्बा राजलदेसर (चूरू) की जल योजना के अन्तर्गत अभी तक क्या कार्य हुआ है ?

(२) चालू वित्तीय वर्ष में उक्त कार्य के लिए कितनी धन राशि रखी गई है ?

(३) क्या यह सही है कि कस्बे की तमाम हरिजन बस्तियों में पाइप लाइन बिछाने की योजना है ? यदि हां, तो कस्बे में बिछाये जाने वाले पाइप लाइन का नक्शा सदन की मेज पर रखें।

(४) योजना कार्य कब तक पूरा होने का अनुमान है और कस्बे को पानी कब तक सप्लाई किया जावेगा ?

उत्तर

(१) निम्न कार्य किये जा चुके हैं:—

(१) भवन निमार्ण कार्य।

(२) पाईप लाइन डालने का कार्य।

(३) स्वच्छ जलाशय निर्माणाधीन हैं।

(२) चालू वित्तीय वर्ष ६९-७० में इस योजना के लिए ३-१० लाख रुपये रखे गये हैं।

(३) जी हां, योजना का चार्ट सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(४) योजना का कार्य धन व सामग्री की उपलब्धि पर वित्तीय वर्ष १९७१-७२ में पूर्ण किये जाने की संभावना है।

ग्राम असनावर की जल योजना

४६८. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन):—क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम असनावर, पंचायत समिति झालरापाटन, जिला झालावाड़

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

द्वारा ग्रामीण जलप्रदाय योजना हेतु २०००) रु. जमा कराये गये थे ? यदि हां, तो यह रकम कहां जमा हुई ?

(२) इतने वर्षों बाद भी स्वीकृति लेकर कार्य चालू नहीं हुआ ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

उत्तर

(१) जी नहीं इस विभाग में इस ग्रामीण जलप्रदाय योजना हेतु कोई धन राशि जमा नहीं हुई ।

(२) अभी हाल में लिये निर्णयानुसार–असनावर ग्राम की जनसंख्या २००० से कम होने के कारण यहां पर कोई जलप्रदाय योजना लागू नहीं की जा सकती ।

Page No 124

परिशिष्ट—६

(तारांकित प्रश्न सं० ४३६ की सूची)

नक्शा क्राइम, सर्किल छबड़ा दिनांक १-१-६९ से १५-२-७० तक

क्र० सं०	नाम थाना	किस्म जुरायम	इल्जाम नं०	जाय वकूआ	माल मसरूका	माल बरामद	विशेष
१	२	३	४	५	६	७	८
१.	छबड़ा	डकैती	४६	खेड़ी	३६०.००	—	
२.	,,	,,	६५	पचपाड़ा	—	—	
३.	,,	,,	७८	हेलशरा	१४२.००	१००.००	
४.	छीपा बड़ोद	,,	५७	घाघोनिया	१,३६७.००	—	
५.	अटरू	,,	१०	कराडिया	२६,२६०.००	—	
६.	,,	,,	१२	,,	१०,०००.००	१०, ००.००	
७.	हरनावदा	,,	१८	झंझनी	३६,०००.००	३६,०००.००	
८.	बापचा	,,	४	कापरखोह	१०,२५२.००	—	
९.	,,	,,	१४	कराडिया	२ २०५.००	—	
१०.	,,	,,	५०	रामपुरा	७५ .००	—	
११.	,,	,,	२०	मलोन	१,२४०.००	१००.००	
१२.	,,	,,	२१	नानूखोड़ी	५०.००	५०.००	
	टोटल	डकैती	१२		९१.६५६ ००	४६,२५०.००	

परिशिष्ट–७

(तारांकित प्रश्न सं० ४५४ की सूची)

किस्म	अभियोग	छः माह से कम	छः माह से अधिक	१ वर्ष से अधिक	२ वर्ष से अधिक	३ वर्ष से अधिक	४ वर्ष से अधिक
राजस्व	४२२	१२८	९०	१५४	३८	१०	२
फौजदारी	३१०	१४६	६६	७८	१७	१	२

परिशिष्ट—द

(अतारांकित प्रश्न सं. ४८३ की सूची)

LIST OF THE INDUSTRIAL UNITS LOCATED IN KEKRI AREA

1.	M/s	Satrunjaua Manak Factory Co. Ltd., Kekri	Oil Crushing
2.	„	Mathuralal Gokul Dass Oil Mills, Kekri	do
3.	„	Kataria Oil Mills, Kekri	do
4.	„	Mahaveer Oil Mill, Ajmer Road, Kekri	do
5.	„	Rathi Oil Mill, Kekri	do
6.	„	Moolchand Laduram, Ajmeri Gate, Kekri	Biri Mfg.
7.	„	Maganlal Sampatlal, Ajmeri Gate, Kekri	do
8.	„	Goyal Ginning Factory, Kekri	Ginning Factory
9.	„	Laxmi Cotton Ginning Factory, Kekri	do
10.	„	Rajmal Gajanand Ginning Factory, Kekri	do
11.	„	Kekri Press Co., Kekri	Pressing
12.	„	Walker Anjaria and Sons (P.) Ltd., Kekri	
13.	„	Roopchand Moratmal Wool Cleaning Factory Sadar bazar, Kekri	Wool Cleaning
14.	„	Brijnath Mohanlal Wool Cleaning Factory, Kekri	do
15.	„	Govind Singh Narendra Singh C/o West Patent Press, Kekri	do
16.	„	Gulabchand Bajaj Wool Cleaning Factory, Kekri	do
17.	„	Mukadan Wool Cleaning Factory, Kekri	do
18.	„	Moratmal Mochi, Sadar Bazar, Kekri	Shoe Mfg.
19.	„	Rajasthan Tin Works, Outside Junia Gate, Kekri	Tin Container
20.	„	Sri Gopal Ginning Factory, Kekri	Ginning
21.	„	Indrachand Rajgadia & Sons (P.) Ltd., Kekri	Mica Cutting
22.	„	Dohri Mills, Kekri	Ginning Sawing
23.	„	Ramswaroop Gendalal, Kekri	Handicraft Cloth
24.	„	Rathi Oil Mills, Kekri	Oil
25.	„	Rampal Ramnivas, Morigate, Kekri	Biri
26.	„	Rampal S/o Fondalal, Kekri	Machinery & Tools
27.	„	Ramjeewan S/o Sukhram, Kekri	Shoe Making
28.	„	Peerulal S/o Chhogalal, Kekri	do
29.	„	Gokul S/o Sukhram, Kekri	do

तारांकित प्रश्न संख्या ९ उ० प०

पंचायत समिति क्षेत्र, केकड़ी में उद्योगों को वितरित किये गये ऋण का सूचना प्रपत्र

क्रम सं०	इकाई समिति का नाम	स्थान	उद्योग की प्रकृति	ऋण स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत ऋण	ऋण वसूली की स्थिति	इकाई कार्यरत है या बन्द
१.	श्री इन्द्राशंकर पुत्र रामपाल	केकड़ी	साबुन	५५–५६	२५००–००	पूरा चुका दिया है	बन्द
२.	श्री रामपाल पुत्र फोंदालाल	,,	मशीन व उपकरण	५५–५६	२५००–००	पी० डी० आर० में वास्ते वसूली रकम पूरी वसूल हो गई	चालू
३.	श्री श्यामसुन्दर पुत्र लक्ष्मीनारायण	बघेरा	जीनिंग फैक्ट्री	५६–५७	५०००–००	पी. डी. आर में वास्ते वसूली	बन्द
४.	श्री भंवरलाल पुत्र मिश्रीलाल	केकड़ी	रेडीमेड वस्त्र	५६–५७	३५००–००	पूरा चुका दिया है	बन्द
५.	श्री रामनिवास पुत्र रामचन्द्र	केकड़ी	आटे की चक्की	५६–५७	५००–००	,,	बन्द
६.	श्री धनरूप पुत्र जैठमल	केकड़ी	केप इन्ड०	५७–५८	१०००–००	,,	बन्द
७.	श्री रामजीवन पुत्र सुखराम	केकड़ी	शू-मेकिंग	५७–५८	५००–००	,,	चालू
८.	श्री पीरूलाल पुत्र छोगालाल	केकड़ी	,,	५७–५८	१०००–००	,,	चालू
९.	श्री गोकुल पुत्र सुखराम	केकड़ी	,,	५७–५८	५००–००	,,	चालू
१०.	श्री जमालुद्दीन पुत्र मोहम्मदहुसैन	केकड़ी	मशीन व उपकरण	६५–६६	२०००–००	मामला पी० डी० आर० में वास्ते वसूली	बन्द

Page No 128

परिशिष्ट—९

(अतारांकित प्रश्न संख्या ४८४ की सूची)

सेन्ड स्टोन की दरों का स्टेटमेन्ट

१. जिला कोटा	६.०० रु० प्रति घन मीटर
२. जिला बून्दी	६.०० रु० प्रति घन मीटर
३. जिला झालावाड़	६.०० रु० प्रति घन मीटर
४. जिला सवाई माधोपुर	११.०० रु० प्रति घन मीटर
५. जिला भरतपुर	१४.१७ रु० प्रति घन मीटर
६. जिला जोधपुर	१.५० प्रति टन
७. जिला पाली	१.५० प्रति टन
८. जिला नागौर	१.५० प्रति टन
९. जिला बीकानेर	१.५० प्रति टन
१०. जिला भीलवाड़ा	१.५० प्रति टन
११. जिला चित्तौड़	१.५० प्रति टन

परिशिष्ट—१०

(अतारांकित प्रश्न संख्या ४८७ की सूची)

सूची (ब) अतारांकित प्रश्न संख्या ३९ सा० नि० मं०

इटावा से लाखेरी वाया लबान रोडः—

मील संख्या	नाम ठेकेदार	तारीख	
१ से ३	भारत सेवक समाज	२३-३-६०	
४ से ७	सरदारीलाल ठेकेदार	२८-१०-६०	
केशोराय पाटन से लबानः—			
७ से ४	मदनमोहन गोयल	—	
४ से ४/४	सुखलाल ठेकेदार	४-११-६५	
४/४ से ७	गुरुवचनसिंह प्रीतमसिंह	१८-१-६५	
९ से १२	भारत सेवक समाज	७-१-६५	
१०/६ से १३/२	मदनमोहन गोयल	२०-३-६६	
१३/२ से १६	भारत सेवक समाज	२०-४-६५	
२५/४ से २८	बछराजलाल बोहरा	५-१२-६३	ठेका समाप्त कर दिया
	मदनमोहन गोयल	८-१०-६८	

———

परिशिष्ट—११

(अतारांकित प्रश्न सं० ५०४ की सूची)

प्रतिलिपि पत्र दिनांक २७-७-६९—ओर से श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य विधान सभा, राजस्थान (स्टेशन रोड लाडनूं), जयपुर वास्ते श्रीमान् जिलाधीश महोदय, नागौर ।

विषय:—तहसील लाडनूं के सरकारी गोदाम में से गायब हुये अनाज के सम्बन्ध में ।

महोदय,

तहसील लाडनूं के सरकारी गोदाम में से जो धान का घोटाला हुआ था, उसकी जांच आपके कार्यालय द्वारा की जा रही थी, परन्तु उक्त जांच का परिणाम निकाल कर अभी तक किसी को जिम्मेदार ठहरा कर कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त मामले का निपटारा शीघ्र-अतिशीघ्र करवा कर दोषियों को दण्ड दिलवाने की व्यवस्था करावें ।

भवदीय,

ह० हरजीराम बुरड़क ।

प्रतिलिपि -हरजीराम बुरड़क, सदस्य राजस्थान विधान सभा, वास्ते श्रीमान् अकाल राहत मन्त्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर दिनांक १५-७-६९ ।

विषय: तहसीलदार लाडून द्वारा फेमीन तकावी के वितरण में किये जा रहे घोटालों के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निवेदन है कि तहसीलदार लाडनूं द्वारा फेमीन तकावी किसानों को वितरण करने में मनमानी करते हैं तथा अभी तक तकावी का वितरण कोई एक-दो गांवों को हा किया है और जहां पर अपना सौदा बैठ जाता है वहीं पेमेन्ट करता है । उक्त तहसीलदार-जी इतना गलत कार्य कर रहे हैं इसका उदाहरण आपके समक्ष पहले ही आ चुका है । जैसे ग्राम मुणोंची, नाडी बाबत हलाहल फर्जी रिपोर्ट करके कार्य बन्द करवा दिया था ।

ऐसी सूरत में निवेदन है कि सही रूप से तकावी का वितरण करने के लिये आवश्यक है कि उक्त कार्य किसी निष्पक्ष अधिकारी से करवाया जावे । इसलिये या तो एस० डी० ओ०, डीडवाना से या नायब तहसीलदार, लाडनूं इस फेमीन तकावी का वितरण करवाने के आदेश प्रदान करावें ।

भवदीय,

ह० हरजीराम बुरड़क,

सदस्य, विधान सभा ।

परिशिष्ट–१२

(अतारांकित प्रश्न सं० ५०८ की सूची)

क्र० सं०	नाम तहसील	प्रश्न भाग (१)	प्रश्न भाग (२)	प्रश्न भाग (३)
१	२	३	४	५
१.	सवाई माधोपुर	मार्च, ७० तक १३४६ भूमिहीन हरीजनों को ५६७३ एकड़ भूमि आवंटित हुई।	१३१६ व्यक्तियों को कब्जा दिलाया गया तथा ३० को कब्जा दिलाने की कार्यवाही की जा रही है ११३० को पट्टे दिये जा चुके हैं।	कब्जा तथा पट्टे दिलाने की कार्यवाही चालू है। जून, ७० तक पूर्ण हो जावेगी।
२.	खण्डार	मार्च, ७० तक २५१ भूमिहीन हरिजनों को भूमि आवंटित की गई।	१५० व्यक्तियों को पट्टा तथा कब्जे दिये गये।	१४-४-७० तक पूर्ण कार्यवाही हो जावेगी।
३.	गंगापुर	८८८ व्यक्तियों को १८३९ एकड़ भूमि आवंटित की गई।	७२८ आदमियों को पट्टे दिये गये और ७६० व्यक्तियों को कब्जा दिया गया।	१६० व्यक्तियों को पट्टे देने की कार्यवाही की जा रही है।
४.	बामनवास	अनु० जाति के ४६८ व्यक्तियों को १३२० एकड़ भूमि और ७५६ अनु० जन-जाति के व्यक्तियों को १३२० एकड़ भूमि दी गई।	१२२४ व्यक्तियों को पट्टे तथा कब्जे दिलाये गये।	किसी को पट्टा देना शेष नहीं है।

१	२	३	४	५
५.	नादौती	५०३ व्यक्तियों को १०६६ एकड़ भूमि दी गई।	५०३ व्यक्तियों को पट्टे तथा कब्जे दिये जा चुके हैं।	किसी को कब्जा देना शेष नहीं है।
६.	हिण्डोन	२६७ व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया किया गया।	१५७ को पट्टे व कब्जे दिलाये गये।	११० को पट्टे तथा कब्जे दिलाने की कार्यवाही चालू है।
७.	टोडाभीम	११० भूमिहीनों (हरिजनों) को २४८ एकड़ भूमि आवंटित की गई	१०२ को पट्टे तथा ११० को कब्जा।	८ व्यक्तियों को पट्टे देने के लिये नोटिस जारी कर दिये हैं।
८.	करौली	भूमि का आवंटन नहीं हुआ।		

परिशिष्ट-१३

(अतारांकित प्रश्न संख्या ५१० की सूची)

वर्ष १९६९-७० में अनुसूचित जातियों हेतु दिये गये योजना के प्रावधान की सूची

क्रमांक	नाम योजना	धनराशि लाख रुपयों में
१.	छात्रवृत्ति	२.४५
२.	छात्रावास (राजकीय)	१.२५
३.	कन्या छात्रावास	१.५०
४.	छात्रावास भवन निर्माण	०.७५
५.	छात्रावास हेतु अनुदान	०.५५
६.	उद्योग प्रशिक्षण केन्द्रों का विकास	०.०४
७.	कुटीर उद्योगों हेतु निर्ब्याज ऋण	०.२४
८.	हरिजन बस्तियों में नल	८.६५
९.	सम्पूर्ण मकानों हेतु अनुदान	०.५०
१०.	पेय जल कूप	०.७५
११.	मकानों हेतु अनुदान	२२.५०
१२.	भंगी कष्ट मुक्ति आन्दोलन	५०.००
१३.	प्रचार	०.५०
१४.	हरिजन बस्तियों में विद्युत्	१३.५०
१५.	कानूनी सहायता	०.१०
१६.	प्रशासन, शोध एवं समन्वय	०.१०
१७.	मेहतरों व भंगियों की दशा सुधार	२.७५
	कुल योग	१०६.१३

———

परिशिष्ट-१४

(अतारांकित प्रश्न संख्या २४४ की सूची)

नोटिफाइड एरिया कमेटी, सवाई माधोपुर के सदस्यों की सूची

१. श्री सैयदअली, एडवोकेट

२. श्री भालचन्द शर्मा

३. श्री विनोदशंकर पारीख

४. सहायक अभियन्ता, पी० डब्ल्यू० डी०, सवाई माधोपुर

५. मुख्य नगर आयोजक या सहायक नगर आयोजक

६. उप-खण्ड अधिकारी, सवाई माधोपुर

७. स्थानीय विधान सभाई सदस्य

८. श्री नारायण, सरपंच, जटवाड़ा
(अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि)

९. श्री रामकुमार, प्रधान, पंचायत समिति, सवाई माधोपुर

१०. मेडिकल अधिकारी, सवाई माधोपुर

११. अध्यक्ष, नगरपालिका, सवाई माधोपुर
(नगरपालिका चुनाव के पश्चात्)

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक 1 अप्रेल, 1970)

पृष्ठ सं. 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
2	अन्तिम से 12	हु	हुई
2	,, 5	का	को
2	,, 2	सम्बन्धा	सम्बन्धी
3	16	जनस्वास्थय	जन स्वास्थ्य
3	अन्तिम से 13	जंसी	जैसी
4	,, 10	एवं वाका	–
5	,, 4	मिया	किया
11	13	को	का
14	8	रिर्पो	रिपोर्ट
20	अन्तिम से 5	प्रावधान भीसा भाई जी,	प्रावधान है भीखाभाई जी
26	12	वपिस	वापिस
50	अन्तिम से 10	इलाक	इलाके
59	,,	बजली	बिजली
67	,, 10	(ए.डी.एफ.)	(ए. डी. एस.)
68	,, 9	में	ने
70	,, 3	संलग्न	संलग्न
71	3	मंत्री	मंत्री
80	अन्तिम से 6	त	तक
82	,, 11	वा	का
8:	,, 7	नर	नगर
86	3	गांपुर	गंगापुर
89	12	डडवाना	डीडवाना
97	अन्तिम से 3	सय	सदस्य
114	शीर्षक	–वाले 9 विधेयक	–वाले विधेयक
123	17	करे	किये
127	3	इस	एक
129	अन्तिम से 9	मेर	मेरी
131	17	पर्म	फार्म
133	अन्तिम से 12	ता रिकवरी	तो रिकवरी
133	,, 6	बोड	बोर्ड
140	,, 9	सका	सकते
141	19	ादया	दिया
142	18	जिसों	जिसमें
143	अन्तिम से 11	जस्टिफिकेशन	जस्टिफिकेशन
161	13	बा	का
164	अन्तिम से 16	एडवास	एडवान्स

1	2	3	4
167	3	वरे म	बारे में
167	4	संशाधन	संशोधन
167	अन्तिम से 5	नहीं कि	नहीं है कि
167	4	ो सी -खतं	को वही-खाते
167	3	ग्रार	ग्रौर
168	10	सौद	सौदा
168	5	वननं	बनाने
168	4	दुरुयोग	दुरुपयोग
169	2	इस	इसके
170	3	ट्रक पड़ा	ट्रक में पड़ा
176	अन्तिम	इत	इतना
183	14	रियेलाइ्शन	रियेलाइजेशन
185	10	किसो	किसी
187	10	गय	गये
187	अन्तिम से 12	रात्रं	रात्रि
187	,,	ाग	मांग
189	शीर्ष	(मथुरादास माथुर)	(श्री मथुरादास माथुर)
198	अन्तिम से 6	प्राविजन् ा	प्राविजन्स
216	10	सभानेत्रीजा	सभानेत्री जी
216	अन्तिम से 7	छड़	छोड़
217	17	तसरी	तीसरी
217	अन्तिम से 9	ाप	ग्राप
218	8	ग्रार	ग्रौर
219	अन्तिम से 5	बगैर	बगैर
220	9	ग्रापक	ग्रापके
220	19	लिसे	लिये
222	8	सेसे	से
238	अन्तिम से 3	मी	भी